लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 34 शुक्रवार, 7 जुलाई, 1967 / 16 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 34 Friday, July 7, 1967/Asadha 16, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
991	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में दस्तकारी की वस्तुओं और हथकरघे के कपड़ों की बिक्री	Sale of Handicraft and Handloom Goods in South East Asian Countries ...	4583-4586
993	नायलन के रेशेदार धागे (फिलामेंट यार्न) का आयात	Import of Nylon Filament Yarn ...	4586-4589
994	रूस से सिनेमा तथा स्टूडियो की मशीनों का आयात	Import of Russian Cinemas Studio Machinery	4589-4590
995	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan ...	4590-4592
996	पुस्तकों का आयात	Import of Books ..	4592-4595
997	अलाभप्रद रेलवे लाइनें	Uneconomic Railway Lines ..	4595-4598
998	उद्योगों को लाइसेंस देना	Industrial licensing	4598-4601
अल्प-सूचना प्रश्न/ S. N. Q. Nos.			
25	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को सूखा सहायता ऋण	N C D C Employees Drought Relief loan ...	4601-4605
प्रश्नों के लिखित उत्तर / तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. No.		WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
992	कानपुर के कपड़ा मिलों में कपड़े का बिना बिका स्टाक	Unsold stock of cloth in Kanpur Textile Mills ..	4605

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS. Contd.

999	डीजल इंजन	Diesel Traction ..	4605
1000	आंध्र प्रदेश में खानों से तांबा निकालना	Copper Mining in Andhra Pradesh ...	4606-4607
1001	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हानि	Loss in Hindustan Steel Limited	4607
1002	हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता	Hindustan Motors, Calcutta	4607-4608
1003	रूई की गांठों का अधिग्रहण	Requisitioning of Cotton Bales ...	4608
1004	दस्तकारी और हथकरघा निर्यात निगम	Handicrafts and Handloom Export Corporation	4608-4609
1005	अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना	Setting up of Newsprint Factories	4609-4610
1006	सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Plants ..	4610
1007	नियंत्रण हटाये जाने के बाद इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel after Decontrol ...	4610
1008	टिकट रिजर्व कराना	Reservation of Tickets ...	4610-4612
1009	आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल आरगेनाइजेशन के कर्मचारी	Employees of Iron and Steel Control Organisation	4612
1010	नये उद्योगों की स्थापना के लिये रियायतें	Concession for Estabilshing New Industries ..	4612-4613
1011	आयातित रूई	Import Cotton	4613
1012	विदेशों में बाजार अनुसन्धान सर्वेक्षण	Market Research Survey Abroad	4613-4614
1013	लोहा तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Pricerise of Iron and Steel	4614
1014	अमरीका में होने वाले विश्व उत्सव (वर्ल्ड जम्बोरी) में चाय बोर्ड के प्रतिनिधि	Tea Board's representatitive to the World Jamboree in U.S.A.	4614

तां. प्र. संख्या./ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1015	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Exports to South Vietnam	4614-4615
1016	अमृतसर के सीमान्त नगरों से उद्योगों का अन्य स्थानों पर ले जाया जाना	Shifting of Industries from Border Towns of Amritsar	4615
1017	मोटर गाड़ी उद्योग के मानक	Standards for Automobile Industry	4615-4616
1018	कपास के मूल्य	Price of Cotton	4616
1019	मैसूर में जापान के सहयोग से छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars with Japanese Collaboration at Mysore	4616
1020	लुधियाना में शक्ति चालित करघे तथा ऊनी होजरी उद्योग	Powerloom and Woollen Hosiery Industry in Ludhiana	4617
अतारांकित प्रश्न संख्या/U.S.Q No.			
4850	गंधक का आयात	Import of Sulpher	4617-4618
4851	कपास का मूल्य	Price of Cotton	4618
4852	भारमोचक (रिलीविंग) परिवहन सहायकों का चयन	Selection of Relieving Transportation Assistants ...	4619
4853	भारमोचक (रिलीविंग) परिवहन सहायकों का चयन	Selection of Relieving Transportation Assistants ...	4619-4620
4854	रूसी फिल्में	Russian Films	4620
4855	कपड़ा उद्योग	Taxtile Industry	4620
4856	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scootars	4620-4621
4857	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	Hindustan Machine Tools	4621-4623
4858	नेशनल इंस्टरूमेंट्स लिमिटेड	National Instruments, Ltd.	4623

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

4859	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	National Instruments, Ltd. ...	4623
4860	संवर्ग पद (अनुसचिवीय)	Grade Posts (Ministerial)	4624
4861	रेलवे में चोरी के मामले	Thefts on Railways	4624
4862	चलचित्रों का निर्यात	Export of Films ..	4625
4863	सरकारी क्षेत्र में मशीन के पुर्जों का निर्माण	Machine Tools manufacture in Public Sector ...	4625
4864	छिद्रण करने वाले बर्मों का निर्यात	Manufacture of Drilling Rigs ...	4625–4626
4866	डी।बी.के. रेलवे	D. B. K. Railway	4626
4867	गुजरात में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Gujarat	4626
4868	दिल्ली से सीधे पुरी जाने वाले डिब्बे में भीड-भाड	Over-crowding in through Coach from Delhi to Puri	4627
4869	गुजरात में औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences in Gujarat ...	4627–4628
4870	रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा	Railway Staff College, Baroda ..	4628
4871	गुजरात में हथकरघे की वस्तुओं का उत्पादन	Production in Handloom Goods in Gujarat ...	4628
4872	रैड आक्साइड कारखाने	Red-oxide Factories	4629
4873	गोआ में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Goa ..	4629
4874	अमरीका को नकली बालों (विगों) का निर्यात	Export of Wigs to U S A	4630
4876	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन	Production of Hindustan Steel Ltd.... ..	4630–4631
4877	नेपा पेपर मिल्स	Nepa Paper Mills ..	4631
4878	पटना में रेलवे डाक्टर	Railway Doctors in Patna	4631
4879	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर जलपान गृहों में चोर बाजारी	Black Marketing in Refreshment Rooms at Station of N.E. Railway	4632

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4880	गोआ से चलने वाली रेल गाड़ियों की रफ्तार बढाना	Increase in speed of Trains going from Goa ..	4632
4881	गोआ का मरगांव स्टेशन	Margao Station in Goa	4633
4882	जयनगर और काठमाण्डू के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Jaynagar and Kathmandu	4633
4883	काडी में दुर्गा काटन मिल	Durgn Cotton Mills at Kadi	4633–4634
4884	खंडवा स्टेशन पर जल शीतक (वाटर कूलर)	Water Cooler at Khandwa Station ..	4634
4885	इन्दौर से रेलगाड़ियों में सोने के स्थान का कौटा	Quota of Berth in Trains from Indor ..	4634
4886	बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल रेलगाड़ी का रुकना	Stoppage of Punjab Mail at Burhanpur Railway Station	4634–4635
4887	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh ...	4635
4888	समस्तीपुर से नरकटिया गंज के बीच बड़ी लाइन	B.G. Line from Samastipur to Narkatiangnj ...	4635
4889	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	4635–4636
4890	चाय का निर्यात	Export of Tea	4636–4637
4891	मध्य प्रदेश में माल डीब्बों का अभाव	Nonavailability of Wagons in M.P.	4637
4892	निर्यात संवर्द्धन परिषदें	Export promotion councils ...	4638
4893	चमड़े के माल का निर्यात	Export of Leather Goods ...	4638–4639
4894	युरोपियन इकॉनामिक कम्युनिटी के सदस्य देशों को निर्यात	Export to E.E.C. Countries ...	4639–4640
4895	लघु उद्योग	Small Scale Industries	4642
4896	टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को रात्रि कार्य-भत्ता	Night Duty Allowance to Ticket-Checking Staff	4642

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4897	विशेष गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of Special Trains ..	4642
4898	हैदराबाद के निकट रेल-गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Hyderabad	4643
4899	शाहदरा स्टेशन पर आसाम मेल को रोकना	Stoppage of Assam Mail at Shahdara	4643
4900	बरौनी के निकट माल-गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Barauni	4643–4644
4901	तन्जानिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Tanzania	4644
4902	कडवाकुडुरू के समीप मालगाड़ी की दुर्घटना	Accident to Goods train near Kadavakuduru ...	4644–4645
4903	अलौह धातुओं का प्रयोग	Use of Non-Ferrous Metals ..	4645–4646
4904	कोयले की मांग	Demand for Coal	4646
4905	ऐमोनियम सल्फेट के मूल्य	Prices of Ammonium Sulphate ...	4646
4906	लक्खीसराय रेलवे दुर्घटना	Luckeesarai Railway Accident ..	4647
4907	चाय वित्त और प्रत्याभूति निगम	Tea Finance and Guarantee Corporation ..	4647–4648
4908	ढली हुई टीन की चादरों की कमी	Shortage of Galvanised Tin Sheets	4648
4910	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production ...	4648–4649
4911	मैगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	4649
4912	अखबारी कागज का निर्माण	Manufacture of Newsprint	4649
4913	व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बैठक	Meeting of the UNCTAD	4650

अता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
4914 जमालपुर रेलवे वर्कशाप से रेलवे के कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Railway Employees from Jamalpur Workshop ..	4650–4651
4915 रूई का मूल्य	Price of Cotton	4651
4916 रेलवे मंत्रालय में समितियां	Committees in Ministry of Railways	4651–4652
4917 बराकर स्टेशन पर गाड़ी का रुकना	Stoppage of Train at Barakar Station	4652
4918 भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant ..	4652
4919 शाहदरा – सहारनपुर के बीच छोटी रेलवे लाइन	N.G. Line between Shahadra-Saharanpur ...	4653
4920 1960 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway employees taking part in the 1960 Strike ..	4653
4921 माल उतराने का भाड़ा	Charges for unloading of goods ..	4653–4654
4922 दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर जलपान गृह	Refreshment Rooms at Delhi/New Delhi Station	4654
4923 उत्तर प्रदेश में उपरि/निचले पुल	Over/Under Bridges in U.P.	4654–4655
4924 उत्तर प्रदेश को आवंटित माल डिब्बे	Coal Wagons Allotted to U.P.	4655
4925 खनिजों का निर्यात	Export of Minerals	4655
4926 रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons ..	4655–4656
4927 जोधपुर मेल के लिये सोने के स्थानों का आरक्षण	Reservation of Berths for Jodhpur Mail ...	4656–4657
4928 बागान जांच आयोग	Plantation Inquiry Commission	4657
4929 चाय बोर्ड के सामने निर्णय के लिये पड़े हुए ऋण आवेदन-पत्र	Loan Applications Pending before the Tea Board ...	4657
4930 इण्डिया यूनाइटेड मिल्स	India United Mills	4658

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4931	आयात-निर्यात संयुक्त नियंत्रक	Joint Controller of Imports and Exports ...	4658
4932	साइडिंग और लाइन क्षमता	Siding and Line Capacity	4658
4933	सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात	Imports by Public Undertaking	4659
4934	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर निर्माण कारखाना	Tractor Factory in Madhya Pradesh ..	4659
4935	बाढ़ से खड़ और छितौनी के बीच रेलवे लाइन का खराब हो जाना	Damage to Railway Line between Khada and Chhitauni by Floods	4659–4660
4936	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रेस द्वारा प्रकाशित 'नई चेतना'	'Nai Chetana' Published by N.C.D.C. Press...	4660
4937	कपास का आयात	Import of Raw Cotton	4660
4938	सूती कपडे का निर्यात	Export of Cotton Textiles ...	4661
4939	खुर्दा रोड स्टेशन पर विश्राम कक्ष (रिटायरिंग रूम)	Retiring room at Khurda road Junction ...	4661
4940	भारतीय रेलवे की वर्ष गांठ	Anniversary of Indian Railway	4661–4662
4941	मशीनों द्वारा यातायात सम्बन्धी हिसाब किताब निकालने की व्यवस्था	Mechanisation of Traffic Accounts Procedure	4662–4663
4942	चाय बोर्ड द्वारा खोले गये अतिथि गृह (गैस्ट हाउस)	Guest Houses Maintained by Tea Board ..	4663
4943	मेरठ सिटी जंक्सन पर इंजन की दिशा मोडने का उपकरण (टर्नटेबल)	Turn Table at Meerut City Junction	4663
4944	रेलवे सम्पत्ति पर लेखांकन	Inscription on Railway Properties... ...	4663–4664

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4945	जे.के रेयन मिल	J.K. Rayon Mill	4664
4946	दो पहिये वाली गाड़ियों के इंजनों का निर्माण	Manufacture of Engines used in two Wheeled Vehicles ..	4664–4665
4947	बैरागढ़–भोपाल फाटक पर रेलगाड़ी की ट्रक से टक्कर	Truck-Train Collision at Bairagarh-Bhopal Level Crossing	4665
4948	रूस को बकरे की खालों का निर्यात	Export of Goat Hides to Russia	4665–4666
4949	कपड़े की उत्पादन लागत	Cost of Production of Textiles — ..	4666
4950	रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Staff .. —	4666–4667
4951	इटारसी और न्यूयार्ड के बीच डीजल कार का चलाया जाना	Running of Diesel Car between Itarsi and New Yard	4667
4952	इटारसी में नया यार्ड	New Yard at Itarsi ...	4667–4668
4953	दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार	Trade with South Vietnam	4668–4669
4954	दक्षिण अंदमान द्वीप में उद्योग	Industries in South Andamans	4669
4955	छोटी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	Small Public Limited Companies — ..	4669
4956	लाइसेन्स जारी करना	Issue of Licences ...	4669–4670
4957	व्यापार बोर्ड	Board of Trade —	4670
4958	मद्रास में व्यापार मेला	Trade Fair in Madras	4670–4671
4959	इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Steel Plant	4671
4960	गोआ में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Goa	4672
4961	ऐमोनियम सल्फेट का आयात	Import of Ammonium Sulphate	4672

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4962	रेलवे बोर्ड द्वारा अमींचंद प्यारेलाल सार्थ समूह के साथ सौदे	Deals with Aminchand Pyarelal Group of Railway Board ..	4672–4673
4963	अत्यावश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण तथा विनि-यन्त्रण	Control and Decontrol of Essential Commodities ...	4673
4964	राजस्थान में स्कूटर बनान का कारखा ा	Scooter Factory in Rajasthan	4673
4965	चार्जमैनों को प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus to Chargemen	4674
4966	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की विदेश यात्रा	Visit of S.T.C. Officers Abroad	4674
4967	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों का विदेशों में भेजा जाना	Officers of State Trading Corporation	4674–4675
4968	काश्मीर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Kashmir	4675
4969	कानपुर में सूती कपडों का कारखाना	Cotton Mill in Kanpur	4675
4970	हातिया परियोजना में हड़ताल	Strike in Hatia Project ..	4676
4971	अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Factories ..	4676
4972	बम्बई उपनगर के रेलवे फाटकों पर पुल	Bridges over Railway Crossing in Bombay Suburban ...	4677
4973	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi & Village Industries Commission	4677
4974	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बन्द खानें	Mines closed in Maharashtra and Madhya Pradesh ..	4678
4975	रेलवे दुर्घटनाएं	Railway Accidents ..	4678–4679

अतां. प्र संख्या/U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd		
4976	मनुष्यों के बालों का निर्यात / Export of Human Hairs	4679–4680
4977	आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के कर्मचारी / Employees of Iron and Steel Control Organisation ...	4680
4978	आसाम मेल के साथ प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ना / Attaching of First Class Compartment to Assam Mail ...	4681
4979	रबड़ का उत्पादन / Production of Rubber	4681–4682
4980	सरकारी क्षेत्र में चाय के बगीचे / Tea Gardens in Public Sector ..	4682
4981	उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार / Trade with North and South Vietnam	4682
4982	दुर्गापुर में कोयला साफ करने का कारखाना / Coal Washery at Durgapur ..	4682
4983	खराब हो जाने वाली वस्तुएं छुड़ाना / Taking Delivery of Perishable Commodities	4682–4683
4984	अभ्रक का निर्यात / Export of Mica ..	4683
4985	फरक्का में माल ढोने वाली किश्ती व्यवस्था / Wagon Ferry Service at Farakka ...	4683–4684
4986	राजस्थान में हैवी इलैक्ट्रिकल्स का कारखाना / Unit of Heavy Electricals in Rajasthan ...	4684
4987	चाय सम्बन्धी विशिष्ट पाठ्यक्रम / Specialised Tea Course	4684
4988	हरीचाय का निर्यात / Export of Green Tea ..	4684–4685
4989	सूत का मूल्य / Price of Yarn ...	4685–4686
4990	रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले अटैन्डेड / Attendents attached to Trains	4686
4991	तीसरे दर्जे के शयनयानों में स्थान की कमी / Shortage of Accommodation in Third Class Sleeper Coaches ...	4686–4687

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

4992	दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली बोगियां	Bogies running between Delhi and Hyderabad	4687
4993	बादाम पहाड़ और गोरूमाहिसानी में लौह अयस्क निकालना	Iron Ore Mining at Badampahar and Gorumahisani	4687–4688
4994	उत्तर प्रदेश में उत्तर, रेलवे के स्टेशनों पर जल की सप्लाई	Supply of Water at Stations of N. Railway in U.P.	4638
4995	नेपा पेपर मिल्स में उत्पादन	Production in Nepa Paper Mills	4689
4996	राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम	S.T.C. and M.M.T.C.	4689
4997	माल का यातायात	Goods Traffic	4689–4690
4998	पटसन से बने माल का निर्यात	Export of Jute Goods	4690–4691
4999	वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों का निर्माण	Production of Commercial Vehicles...	4691
5000	बोकारो में रूसी तकनीक	Russian Technique at Bokaro ..	4691–4692
5001	वातानुकूलक मशीनों तथा रेफ्रिजेरेटरों का निर्माण	Manufacture of Air Conditioners and Refrigerators ..	4692
5002	टरबो जेट रेलकारे	Turbo-Jet Railcars	4692–4693
5003	होस्पेट में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plant at Hospet... ..	4693
5004	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	4693–4694
5005	टेलीविजन सैटों का आयात	Import of T.V. Sets	4694
5006	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	Banasthali Vidya Peeth, Rajastha n ..	4694–4695

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
5007 भारी मोटर गाड़ियों के ढांचों का निर्माण	Manufacture of Heavy Vehicles Chasis	4695–4696
5008 पूना–लोनावाला क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करना	Declaring-Poona Lonavala Area as a Suburban area ..	4696
5009 रेलवे बोर्ड में पदावनति (रिवर्शन)	Reversion in Railway Board	4696–4697
5010 गोरखपुर–इलाहाबाद सेक्शन पर रेल दुर्घटना	Accident on Gorakhpur-Allahabad Section	4697
5011 मथुरा जक्सन के रेलवे टिकिट परीक्षक	T.C. Staff Mathura Junction ..	4697–4698
5012 सूती मोजे बुनियान आदि बनाने के सूत का आयात	Import of Cotton Hosiery Yarn ..	4698
5013 बड़ौदा डिवीजन में रेल-गाड़ी ड्राइवर	Train Drivers on Baroda Division ...	4698
5014 प्रथम श्रेणी के क्लर्क	Clerks Grade I	4698–4699
5015 निर्यात और आयात	Exports and Imports	4699–4700
5016 अमरीका को बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis to USA	4700
5017 शराब का आयात	Import of Liquer	4700–4701
5018 हस्तशिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम	Handicrafts and Handloom Corporation ...	4701
5019 आयातित कारों की बिक्री	Sale of Imported Cars ...	4701
5020 लखनऊ एक्सप्रेस रेल गाड़ी के साथ दूसरे दर्जे की बोगी लगाई जाना	Attaching of Second Class Bogie to Lucknow Express ...	4702
5021 राजस्थान में जिप्सम की खोज	Exploration of Gypsum in Rajasthan	4702–4703

तारांकित प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5022 पोकरन और जैसलमेर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line from Pokaran to Jaisalmer ..	4703
5023 चार्ज मैनों और फोरमैनों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण	Revision of Grades of Chargemen and Foremen ...	4703
5024 औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	4703–4704
5025 कोटा में शयन डिब्बों में स्थान	Seats in Sleeper Coaches at Kotah ..	4704–4705
5026 कपड़ा उद्योग को रेयन के धागे की सप्लाई	Supply of Rayon Yarn to Textiles Industry	4705
5027 कम वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Low Paid Railway Employees...	4075
5028 श्री लंका को कटपीस कपड़े का निर्यात	Export of Cut piece Cloth to Ceylon	4705–4706
5029 डाक विभाग के एक कर्मचारी की हत्या	Murder of Postal Employees	4706
5030 कानपुर के मैथोडिस्ट हाई स्कूल के समीप रेलवे फाटक पर हाल्ट स्टेशन का बनाया जाना	Halt Station and Crossing near Methodist High School, Kanpur ..	4707
5031 आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू गोदामों के मालिकों को सिंगरेणी के कोयले की सप्लाई	Supply of Singereni Coal to Tobacco Barn Owners of Andhra ...	4707
5032 भारत में निर्मित कारों की किस्म	Quality of Cars Manufactured in India ...	4707–4708
5033 दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	4708–4709
5034 बिहार में रेशम का कारखाना	Silk Factory in Bihar	4709

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

5035	बिहार में रेलवे लाइन का विस्तार	Extention of Railway Line in Bihar.. ..	4709–4710
5036	भारतीय रेलवे सामान और उपकरणों का निर्यात	Export of Indian Railway Store and equipment ...	4710
5037	पश्चिम रेलवे का बाह्यायातायात कार्यालय	Foreign Traffic Office, Western Railway ...	4710–4711
5038	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Bhilai Steel Plant	4711
5039	नेवेली बिजली घर	Neiveli Power Plant	4712
5040	सेंट्रल बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स	Central Board of Industries and Commerce	4713
5041	रुलकेला को तालचेल से मिलाने वाली रेलवे लाइन	Railway Line Connecting Rourkela with Talchar	4713
5042	आसाम में कागज का कारखाना	Paper Mill in Assam ..	4713
5043	आसाम को लोहे की चादरों का नियतन	Allotment of C. I. Sheets to Assma	4714
5044	हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल के कर्मचारियों की माँगें	Demands of H. E L. Euployees Bhopal ...	4715
5045	भारतीय रेलवे का सम्बन्ध	Affiliation of Indian Railways	4715
5046	कुटीर उद्योग	Cottage Industries ..	4715-16
5047	अम्बाला छावनी और सहारनपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains Running between Ambala Cantt. and Saharanpur	4716
5048	रेलवे कर्मचारियों की वर्दियां	Railway Employees Uniforms ..	4716-17
5049	चौआ नाला पुल	Choa Nala Bridge ..	4717

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
5050	उत्तर रेलवे के प्रशासनिक वर्कशाप विंग के क्लर्क	Clerks of Administrative/Workshop Wing, Northern Railway ...	4717–4718
5051	छत वाले माल डिब्बों की कमी	Shortage of Covered Wagons ..	4718–4719
	6 जुलाई, 1967 की ध्यान दिलाने वाली सूचनापर वक्तव्य के बारे में (प्रश्न)	Re-Statement on Calling Attention Notice on 6th July, 1967 (Query)	4719
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	4719
	सरकार द्वारा कोयले से नियन्त्रण हटाने के निर्णय किये जाने के समाचार	Reported decision of Government to Decontrol Coal	4719
	श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	4719
	डा० चन्ना रेड्डी	Dr. Channa Reddy ..	4720
	सभा पटल पर पत्रों के रखने के बारे में विनिर्णय	Ruling Re:Laying of Papers on the Table ..	4722
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	4723
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assest to Bills	4723
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	4724
	छटा प्रतिवेदन	Sixth Report ...	4724
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	4724
	नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	4724
	सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House ..	4725
	अनुदानों की मांगें (जारी)	Demands for Grants, 1967–68 (Could) ..	4726–4733
	सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय	Ministry of Irrigation and Power	4726
	श्री इश्वर रेड्डी	Shri Eswara Reddy	4726
	श्री जी. एस. रेड्डी	Shri G. S. Reddi ...	4727
	श्री ओंकारलाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	4728

अतां. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	4729
श्री लकप्पा	Shri K. Lakkappa .. —	4731
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh ... :	4732
श्री महारज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ...	4732
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bhora	4732
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	4733
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	4733
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित	Private Members, Bills–Introduced	
(1) कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1967 (धारा 293क व 324क आदि का प्रतिस्थापन) (श्री मधुलिमये का)	(1) Companies (Amendment) Bill 1967 (Substitution of Sections 293A, 324A etc.) by Shri Madhu Limaye	4734
(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 2, 10 आदि का संशोधन) (श्री मधुलिमये का)	(2) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 2, 10 etc.) by Shri Madhu Limaye... ...	4734
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (आठवीं अनुसूचि का संशोधन) (श्रीइन्द्रजीत मल्होत्रा का)	(3) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of the Eighth Schedule) by Shri Inder J. Malhotra	4735
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 48 और सातवीं अनुसूची का संशोधन) (डा० गोविन्द दास का)	(4) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 48 and the Seventh Schedule) by Dr. Govind Das	4735
(5) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 5 का संशोधन (श्री पन्नालाल बारूपाल का)	(5) The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1967 ... .. (Amendment of sections) by Shri Pannalal Barupal	4736

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (प्रस्तावना का संशोधन (श्री कृष्णदेव त्रिपाठी का)	(6) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of the Premble) by Shri Krishna Dev Tripathi ...	4736
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (सातवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री कृष्णदेव त्रिपाठी का)	(7) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of the Seventh Schedule) by Shri Krishna Dev Tripathi	4736
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 37 क का रखा जाना) (श्रीकृष्ण देव त्रिपाठी का)	(8) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Insertion of article 37A) by Shri Krishna Dev Tripathi	4737
(9) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 3,4 आदि का संशोधन) (श्री कृष्णदेवत्रिपाठी का)	(9) The Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 3, 4 etc.) by Shri Krishna Dev Tripathi ..	4738
(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 217 227 आदि का संशोधन) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	(10) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 217, 227 etc.) by Shri Prakash Vir Shastri ...	4738
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 का संशोधन) जारी (श्री नाथपाई का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	4739–4747
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee ..	4739
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	4739
श्री कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi ..	4740
श्री क. नारायणराव	Shri K. Narayana Rao ...	4742
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ...	4743
श्री वेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua	4744
श्री आ. ना. मुल्ला	Shri A.N. Mulla ...	4744
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri A.B. Vajpayee	4745

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Yiswanatham	4746
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	4746
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narayan ..	4746
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vashudevan Nair	4747
श्री सोनावने	Shri Sonavene ..	4747
लाल किला, दिल्ली में "ध्वनि तथा प्रकाश झांकी" के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. 'Son-et Lumierc' Spectacle at the Red Fort, Delhi	4748
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	4748
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	4750

....

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 7 जुलाई, 1967/16 आषाढ़, 1889 (शक)
Friday July 7, 1967/Asadha 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : कल हम तीन अथवा चार प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं उठा सके थे। यह सौभाग्य की बात है कि इस बात को यहां एक मत से प्रकट किया गया है कि हमें अधिक प्रश्न उठाने चाहियें। अतः साधारणतया प्रत्येक प्रश्न के लिये लगभग पांच अथवा छः मिनट का समय दिया जायेगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में दस्तकारी की वस्तुओं और हथकरघे के कपड़ों की बिक्री

+

***991. डा० करणीं सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में दस्तकारी की भारतीय वस्तुओं तथा हथकरघे के कपड़ों की बहुत अधिक मांग है;

(ख) क्या जापान से एक शिष्टमण्डल भारत के दस्तकारी तथा हथकरघा निगम के निमन्त्रण पर फरवरी 1967 में भारत आया था और उसने भारत में दस्तकारी की वस्तुओं

और हथकरघे के कपड़े के लिये जापान में बाजार बनाने के हेतु कुछ योजनाएं पेश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। शिष्टमंडल की योजना यह थी कि एक प्रदर्शन का आयोजन किया जाये और फिर जापान में बाजार की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जाये।

(ग) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम मामले पर आगे कार्यवाही कर रहा है।

डा० कर्णी सिंह : दक्षिण पूर्व एशिया के किन किन देशों में हमारे प्रदर्शन कक्ष हैं, जिन में भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है और क्या हांग कांग में ऐसा कोई प्रदर्शन कक्ष है ?

श्री शफी कुरेशी : दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हमारे प्रदर्शन कक्ष नहीं हैं, परन्तु हम कुछ देशों में समय समय पर प्रदर्शन आयोजित करते हैं। जापान उन देशों में से एक है। हमने आस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया तथा मलेशिया में कुछ प्रदर्शन आयोजित करने का भी निर्णय किया है।

डा० कर्णी सिंह : लगभग एक वर्ष पहले जब मैं हांग कांग गया था तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने मुझे बताया था कि वहां भारतीय प्रदर्शनन कक्ष की बहुत मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार वहां कोई प्रदर्शन कक्ष खोलने का है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय हथकरघे के कपड़े तथा अन्य उत्पाद उचित गुण प्रकार के हों, ताकि विदेशी बाजारों में उनकी साख बंध सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कुछ देशों को हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं के निर्यात के आँकड़े 2.80 करोड़ तक पहुंच गये हैं किन्तु जहां तक हांग कांग का सम्बन्ध है हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वहां पर हमारी हथकरघा तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बिक सकती हैं और अच्छी रिपोर्ट मिलने पर हम इस मामले पर विचार करेंगे। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम किस्म नियंत्रण की देखभाल करता है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि हांगकांग में रहने वाले भारतीय लोगों ने भारत सरकार से प्रस्ताव किया है कि वे वहां पर एक सहकारी समिती बना कर भारत सरकार द्वारा सप्लाई किया जाने वाला माल खरीदने के लिये तैयार हैं, यह सामान वहां पर प्रदर्शन कक्ष में रेखा जाना चाहिए और भारत सरकार इतनी रियायत दे कि कीमत का भुगतान वे माल की बिक्री के बाद करेंगे। इस प्रकार भारत पूर्व के देशों को न केवल पर्याप्त माल ही बेच सकेगा, अपितु पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी कमायेगा ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हांगकांग में हरो लाल नामक गैर सरकारी एक फर्म है जो भारत से हस्तशिल्प और हथकरघे की कुछ वस्तुओं का आयात करती है। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम वहां की किसी आयात फर्म की किसी भी प्रार्थना पर अवश्य विचार करेगा।

बलराज मधोक : क्या इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी, नहीं।

Shri M. A. Khan : May I know the composition of the Handicrafts Board and the salaries of its Chairman and other non-official member and how long they have been working in their respective capacities ? Has the hon. Minister received any complaints about mis-appropriation of fund tn the Board.

Shri Shafi Qureshi : The Handicrafts Board was set up in 1952. At present Shrimati Kamla Devi Chattopadhya is its Chairman whose intergrity cannot be doubted. But it is true that there are some members who are continuing their memberships since its inception. But now the Ministry of Commerce has decided immediately to implement its decision. So far as mis-appropriation of funds is concerned, the matter is being investigated by the Special Police Establishment.

There are atleast 21 non-official members in Board and Shrimati Kamla Devi Chattopadhyaya, the Chairman of the Board does not draw any salary but she has been allotted a free furnished accommodation in Delhi. Shri L. C. Jain, the Member Secretary, gets Rupees 500/- per month as salary in addition to T.A. and D.A. and other non-official Member are not paid any salary.

श्री नायनार : धागे के मूल्य बढ़ जाने तथा स्टोक जमा हो जाने से केरल में हथकरघा मजदूरों के तीन लाख परिवार बेरोजगार हो गये हैं। कन्नूर जिले में 441 फैक्टरियां बन्द हो गई है और एक लाख परिवार बेरोजगार हो गये हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद बाजार में माल बिकता ही नहीं है। क्या सरकार हाथ करघे के कपड़ों को बेचने के लिये हथकरघा मजदूरों को सहायता देने के हेतु कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम हथकरघा की समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हथ करघे से बने कपड़े को शक्ति चालित करघे से तथा मिल में बने कपड़े के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। अतः कुछ कपड़े का स्टाक जमा हो जाना स्वाभाविक है। हम इस सम्बन्ध में केरल सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने केरल के संसद सदस्यों से विचार विमर्श किया है। सहायता का मामला विचाराधीन है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या यह सच है कि अन्य देशों में हमारे प्रदर्शन कक्ष पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, हथकरघे के कपड़े की बिक्री को बढ़ाने के लिये हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं है तथा इन प्रदर्शन कक्षों में काम करने वाले कर्मचारी क्रय विक्रय के व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रदर्शन कक्षों में अच्छा कार्य हो रहा है। जहां कहीं हम आवश्यक समझते हैं, हम प्रदर्शन कक्ष खोलते हैं। हम अवश्य इस सम्बन्ध में जांच करेंगे।

श्री कण्डपन : कुछ गैर सरकारी उद्योग पतियों को, छोड़कर जिनका विदेशों में अच्छा कारोबार चल रहा है, हमारे हथकरघे के कपड़े की बिक्री बढ़ाने का तथा पर्याप्त माल की खपत के लिये कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हो रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : विदेशों में हथकरघा की वस्तुओं को बेचने के लिये सरकार सभी उपाय कर रही है। मैं बता चुका हूं कि सुव्यवस्थित प्रचार के लिये कुछ उपाय किये गये हैं। उदाहरणार्थ, अमरीकी बाजार में बेचे जाने वाले विशेष किस्म के कपड़े के सम्बन्ध में मन्दी थी। इसलिये सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि कपड़े की अन्य किस्में तैयार की जानी चाहिए और अन्य देशों में बाजारों का पता लगाया जाना चाहिए। अतः सरकार सतत इस बात प्रयत्न करती है हमारा माल कहां बिक सकता है। जहां भी माल बिकेगा हम उन्हीं देशों को माल बेचेंगे। हम प्रचार कार्य भी कर रहे हैं।

नायलन के रेशेदार धागे (फिलामेंट यार्न) का आयात

\+

*993. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री 25 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच नायलान के रेशेदार धागे के आयात से सम्बन्धित अभियोग की अपनी नीति का पुनर्विलोकन कर लिया है;

(ख) क्या मधुसूदन गोवर्धनदास तथा उससे सम्बद्ध अन्य फर्मों पर इस बीच छापे मारे गये हैं;

(ग) क्या वस्त्रायुक्त और आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक को आयात के गैर-कानूनी सौदों में सक्रिय भाग लेने के परिणाम स्वरूप इस बीच मुअत्तिल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित फर्मों और व्यक्तियों में विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 945/67]**

Shri Madhu Limaya : Sir, the statement does not contain an answer to part (b) of the question. Even "does not arise" has not been stated in answer. You should fepri-mand the Minister a bit.

Shri Dinesh Singh : It is given in the statement that all these details were given in reply to a question in this regard on the 31st March, 1967. As the cases against these firms are subjudice the question of raising them does not arise.

Shri Madhu Limaye : In that case, the hon. Minister could have stated that no raid was made. In regard to two officers-Textile Commissioner and Joint Chief Controller of Import and Export-it has been given in the statement, "appropriate action against erring officers will be taken in due course." When I wrote to the hon. Minister to suspend these officers, he stated that unless I made out a prima facie case he could not take action. During the discussion on the demands relating to the Ministry of Commerce I had laid on the Table three documents with your permission. One of the documents purported to be a licence for non-whisks fibre which could not be transferred without the permission of Textile Commissioner. But these licences were transferred in the name of M/s. Dhanraj Mills which had been declared insolvent and the Textile Commissioner knew fully well that M/s. Dhanraj Mills could not avail of the actual users licence. This establishes a prima facie case against the Textile Commissioner.

These licences were for non-whisks fibre, but the office of the Joint Chief Controller of Import and Export converted them into licences for nylon filament yarn. There is a difference between fibre and nylon filament yarn-there is a ban on nylon filament yarn. Not only that the licence, after effecting changes in it, was delivered to M/s Madhusudan Gordhandas Company at the conter itself and it was not sent by post. This established a prima facie case against the Joint Chief Controller of Import and Export. Has the hon. Minister seen all these documents in the Library ? Does he still feel that no prima facie case is made out.

Shri Dinesh Singh : You will see that in my reply I referred to the information given in answer to a question on 31st of March. Therein it had been stated that the Special Police Establishment is making investigations against the employees of the Textile Commissioners' Office and the Office of the Joint Chief Controller of Import and Export and that necessary action would be taken after the report was received.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister should state whether he still thinks that a prima facie case has not been made out. I am not against an investigation.

Shri Dinesh Singh : Sir, we have to proceed in these matters according to law and we cannot dismiss an officer simply because a prima facie case has been made out against him.

Shri Madhu Limaye : They might be suspended.

Shri Dinesh Singh : Even for that there are rules

श्री रंगा : क्योंकि इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया है, इससे पता चलता है कि सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला था। क्या अब तक यह प्रथा नहीं थी कि ऐसे मामलों में सरकार अधिकारियों को निलम्बित करती रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात ठीक हो सकती है। परन्तु प्रश्नकाल में इन बातों को नहीं लिया जा सकता।

Shri Madhu Limaye : The second part of the 57th Report of the Public Accounts Committee deals with the Export Promotion Scheme wherein the Committee has given its

recommendations regarding Madhusudan Gordhandas Company, Textile Commissioner and the Joint Chief Controller of Import and Export, Have the Government sent an action taken report to the Committee ? I want a categorical reply to this question.

Shri Dinesh Singh : I do not have the details of what has been sent to the Public Accounts Committee in relation to its report.

Shri Madhu Limaye : This is no answer. I raise my point of order under rule 50.

श्री दिनेश सिंह : मैं बिना जानकारी के नहीं बता सकता कि क्या हमने कोई प्रतिवेदन भेजा है और वह प्रतिवेदन क्या है ।

Shri Madhu Limaye : I have not said "what", but "whether you have sent a report."

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में 27 मिलों का उल्लेख किया गया है, जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं । क्या यह सच है कि इन विशिष्ट अधिकारियों की तब्दीली न करने या उनको निलम्बित न करने के कारण इस मामले की उचित जांच नहीं हो सकेगी ? इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन अधिकारियों के निलिम्बत या तब्दीली पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक जांच का सम्बन्ध है, विशेष पुलिस स्थापना की जांच पूरी हो गई है । अब हम अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने पर विचार कर रहे हैं । इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

Shri George Fernandes : May I know whether the enquiry against the Textile Commissioner and the Joint Chief Controller of Import and Export was held by the Special Police Establishment or only a departmental enquiry was held and if it was held by the S. P. E., whether its report has been received and if so, what action is proposed to be taken on that report ?

Shri Dinesh Singh : The investigations have been carried out by S. P. E. and it will not be proper for me divulge anything unless some decision is taken on that report,

Shri George Fernandes : Sir, I wanted to know whether the Government have witheld its consent or given its consent to file cases against these two officers in a Court of law.

Shri Dinesh Singh : Investigations against the officers have not since been completed.

Shri A. B. Vajpayee : What is the number of officers apart from these two against whom investigations have been made by S. P. E. ?

Shri Dinesh Singh : As I submitted just now the investigation against the officers has not yet been completed and therefore I cannot give the details.

Shri Kauwar Lal Gupta : May I know whether the quota etc. of the said 27 mills has since been stopped and whether the C. B. I. report includes the names of some officers with whose connivance all those things were done and if so the number thereof ?

Shri Dinesh Singh : As already stated since the investgation relating to the officers is not yet complete, I cannot give their number. As regards mills, they have already been black listed.

रूस से सिनेमा तथा स्टूडियो की मशीनों का आयात

***994. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक फर्म को, रूस से 31,50,000 रुपये की सिनेमा तथा स्टूडियो की मशीनों का आयात करने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि सिनेमा मशीन तथा अन्य उपकरण गत कई वर्षों से देश में बनाये जा रहे हैं और वे अच्छी किस्म के पाये गए हैं; और

(ग) क्या ऐसे लाइसेंस का दिया जाना उनके मन्त्रालय के 114–6–66 के पत्र संख्या 12 (11) एफ. टी. सी./66 में दिये गये इस आश्वासन के अनुकूल हैं, जिसमें कहा गया है कि "जिस प्रकार के सिनेमा उपकरण देश में बनते हैं, उस प्रकार के उपकरणों को रूस अथवा अन्य किसी देश से आयात करने की अनुमति नहीं है चाहे वे उस देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल भी न हो ?"

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम को ऐसे सिनेमा उपकरण के आयात की अनुमति दी जायेगी जो आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत अनुमेय है। ऐसी मदों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी जिनका देश में निर्माण होता है तथा जो प्रतिबन्धित माल की सूची में शामिल हैं।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether these import licences of the value of Rs. 31 lakh 50 thousand are not meant for the import of articles menufactured here ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir. These are meant for the import of those articles only which are not manufactured here.

Shri A. B. Vajpayee : Is the hon. Minister prepared to place on the Table a list of banned articles as also a list of those articles which the firm will be permitted to import ?

Shri Dinesh Singh : If the hon. Member wants I will place those lists on the Table.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : सिनेमा उद्योग में भारत को संसार में दूसरे या तीसरे स्थान पर समझा जाता है। क्या सिनेमा उपकरणों और स्टूडियो की मशीनों में हम अब भी अन्य देशों से आयात पर इस हद तक निर्भर करते हैं कि विदेशी मुद्रा के संकट के समय में भी हमें रूस से कुछ मशीनें आयात करने के लिये इतनी बड़ी राशि सुरक्षित करनी पड़ती है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां; दुर्भाग्य से हम सभी उपकरणों का निर्माण नहीं करते ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

+

*995. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष इस सम्बन्ध में की गई चेष्टा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में अपने इकतरफा निर्णय पर दृढ़ रहने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माल वाहक जहाजों को छोड़ने के सम्बन्ध में कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने इस सभा में बताया था कि कुछ विदेशी सरकारों की सलाह पर जो मालवाहक जहाज भारत द्वारा छोड़ा गया था वह संभवत: इस आशा पर छोड़ा गया था कि उन विदेशी सरकारों की सलाह पर पाकिस्तान भी हमारे मालवाहक जहाजों को छोड़ देगा । उस माल वाहक जहाज को छोड़ने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है जो इस समय पाकिस्तान में है ?

श्री दिनेश सिंह : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं नहीं समझता कि माल वाहक जहाज को अलग कैसे समझा जा सकता है ?

श्री दिनेश सिंह : माल वाहक जहाज व्यापार का अंग नहीं है; माल वाहक जहाज दूसरे देशों से हमारे देश में आ रहा था और वह पाकिस्तान द्वारा जब्त कर लिया गया था । व्यापार पाकिस्तान और भारत के बीच है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वह इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं । माल वाहक जहाज का जब्त किया जाना भी दोनों देशों के बीच व्यापार बहाल न किये जाने का एक बड़ा कारण है और इसलिये, यह बहुत संगत है ।

श्री दिनेश सिंह : मैं फिर निवेदन करूंगा कि दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है : माल जहाज के जब्त किये जाने के सम्बन्ध में सभी ब्यौरा मैंने पिछली बार सभा के समक्ष रख दिया था

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : पाकिस्तान से हम मुख्य रूप से कच्चा पटसन आयात करते थे और अब उसके स्थान पर काम आने वाली वस्तु हम थाईलैंड से आयात करते हैं। जब हम पाकिस्तान पर किसी आयातित वस्तु के लिये निर्भर नहीं करते हैं। तब, पाकिस्तान के साथ एक पक्षीय रूप से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना हमारे लिये क्यों आवश्यक है ?

श्री दिनेश सिंह : व्यापार में निर्भरता और अनिर्भरता का कोई प्रश्न नहीं होता है। दो देशों के बीच व्यापार एक आर्थिक कार्यवाही है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, ताशकन्द घोषणा की भावना का पालन करते हुए, हमने प्रतिबन्धों को हटा कर व्यापार सम्बन्धों को सामान्य बनाने की कोशिश की थी।

श्री रा० बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक प्रतिबन्धों को नहीं हटाया है। क्या इन दोनों देशों के बीच निकट भविष्य में आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ऊंचे स्तर पर कोई कदम उठाया जा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : हम तो प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु पाकिस्तान का प्रत्युत्तर अच्छा नहीं है।

श्री हेम बरुआ : ताशकन्द करार के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन रावलपिंडी में बुलाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि उस सम्मेलन में माल वाहक जहाज को छोड़ने और व्यापार से प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय किया गया था; यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने उस निर्णय का पालन न करके ताशकन्द करार और उस निर्णय का उल्लंघन नहीं किया है ?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान ताशकन्द करार के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है।

श्री हेम बरुआ : यह क्या उत्तर है ? पाकिस्तान द्वारा उन शर्तों का पालन कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि सभा जानती है, यह एक घोषणा है न कि करार और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि ताशकन्द घोषणा के पश्चात पाकिस्तान ने उन सौदों के सम्बन्ध में भुगतान करना बन्द कर दिया है जो लड़ाई के पहले किये गये थे, यदि हां, तो क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को किये जाने वाले सभी भुगतानों को रोकने के सम्बन्ध में कोई जवाबी कार्यवाही की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक भुगतान सम्बन्धी करार का सम्बन्ध है, मुझे वित्त मंत्रालय में अपनी साथी से पता करना होगा। हमारी ओर इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बात को ध्यान में रखा गया होगा।

श्री बलराज मधोक : जब माननीय मंत्री यहां आयें तो वह तैयार होकर आयें। यह एक बहुत ही संगत प्रश्न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान की कुछ वस्तुएं अन्य देशों द्वारा हमारे देश को पुनर्निर्यात की जाती हैं जैसे कि कच्चा पटसन और इसी प्रकार से कुछ भारतीय वस्तुएं अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को पुन: निर्यात की जाती हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम कुछ चीजें विभिन्न देशों से आयात करते हैं। मैं नहीं जानता कि वे चीजें मूल रूप से किस देश से चलती है। हो सकता है कुछ देशों ने पाकिस्तान से माल आयात करके हमें भेजा हो। माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसा कई देशों द्वारा किया जा रहा है।

Import of Books

*996. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large number of books on literature are being imported;

(b) whether it is also a fact that apart from books on scientific and other useful subjects books on sex are also being imported to a large extent;

(c) the amount of foreign exchange being spent every year on such books; and

(d) whether Government are contemplating to check the import of such books ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Under the current import policy Established Importers of books are allowed quotas up to 150 per cent of their best year's imports. There are no separate quotas for literary and scientific books, but journals, periodicals and books of fiction are allowed only up-to 40% of the quota licences with the additional safeguard that only 10% of the total quota may be utilized for importing books of fiction.

2. There is a provision for issue of supplementary licences for import of technical books, books of reference concerning law, for for use in connection with medical practice, scientific research, industrial process.

3. The total value of imports of books during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 (April-February) was Rs. 3.29 crores, Rs. 2.76 crores and Rs. 3.10 crores respectively, Journals and Periodicals accounted for, in the period under question, Rs. 11 lakhs, Rs. 7 lakhs and Rs. 16 lakhs only.

4. Import of obscene and undesirable books is banned and the Customs are required to implement it. All licences for the import of books are issued subject to the condition that they will not be vaild for the import of undesirable types of books, comics, fiction and magazines. A number of periodicals of an obscene and undesirable character have been banned.

Shri Prakash Vir Shastri : From the statement it appears that during the last 20 years we imported such books of the value of Rs. 20 crores. In view of the acute shortage of foreign exchange do Government propose to modify its policy regarding the import of such books ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member knows that since the Britishers left this country the education has increased tremendously and this has necessitiated the import of books. There have been persistent demands in this House to lift all bans on the import of books. It is correct that constant efforts should be made to check the import of undesirable books.

Shri Prakash Vir Shastri : In reply to part (b) of the question the hon, Minister stated the import of obscene and undesirable books has been banned, but at the crossings in Delhi where foreign literature is sold, such books are seen in abundance. Have Government tried to ascertain that obscene books are not sold under the cover of other useful books and have the Government taken any action against the persons dealing in obscene books ?

Shri Dinesh Singh : I think we have not made any such enquiry, but I will try to conduct an enquiry.

Shri Raghuvir Singh Shastri : In view of our fast changing view point due to the influence of Western what is measuring rod prescribed by the Government in regard to obscenity ? What steps are being taken and what vigilance is being exercised to see that such literature does not find its way into the hands of the young generation ?

Shri Dinesh Singh : The term obscenity cannot be precisely defined and I do not want to get myself involved into this controversy. But still we try not to allow the import of such books and periodicals as contain undesirable pictures.

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या विभिन्न देशों के साथ किये गये सांस्कृतिक करारों के अन्तर्गत भारत की पुस्तकों का निर्यात कर रहा है और हम किस भाषा की पुस्तकें सब से अधिक संख्या में आयात कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा ख्याल है अंग्रेजी की पुस्तकें बड़ी संख्या में आयात की जाती हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या भारत भी विभिन्न देशों को पुस्तकें निर्यात कर रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, हम भी पुस्तकें निर्यात करते है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, on the first of July also I had raised the issue that the licences for the import of books, are importing very cheap books and utilise the foreign exchange thus saved for the import of watches etc. Have the Govcrnment held an enquiry into it ?

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir, the Hon. Member had referred to that and I had asked for an enquiry into that.

Shri Bibhuti Mishra : It is a fact that after the devaluation of our rupee prices of foreign Medical and Economics books have increased a lot and whether the Government

is considering to import cheap editions of such books so that it may be convenient for the science and economics students to purchase them ?

Shri Dinesh Singh : Yes, please. The importers will also earn a lot of profit because they would import cheap editions of such books by having foreign currency licence they can sell them in big quantity,

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the nature of action intended to be taken by Government so that the poor students of our country may get these books.

Shri Dinesh Singh : The arrangement of printing has to be made for that and I think some steps have been taken by the Ministry of Education in this direction.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अश्लील पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री के 'लेडी चैटरलीज़ लवर' के सम्बन्ध में क्या विचार हैं ? क्या उन्होंने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री पीलू मोदी : वह उनकी निजी राय जानना चाहते हैं या औपचारिक राय ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं सरकार की राय जानना चाहता हूं। क्या पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और यदि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तो यह पुस्तक पुस्तकों की दुकानों पर क्यों मिलती हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : 'नहीं' का क्या अर्थ है ? क्या इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अथवा नहीं ?

Shri Randhir Singh : There have been several institutions, associations and unions who organise anti-national and anti-social programes in our country and there by the country suffers greatly. They receive books free of cost in large quantity as a bribe. They sell those books here and thereby they want to start anti-national activities against the country.Is the Hon. Minister aware that there have been some such unions and whether he thinks something inconnection with their imports.

Shri Dinesh Singh : If the books have been imported without money, it is clear that no foreign currency is involved in them. Here they were looking from the point of view of foreign currency,

श्री स्वैल : माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ प्रकार की पुस्तकों का देश में आयात नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की जांच के लिये कोई व्यवस्था या इस प्रकार का कोई दूसरा तरीका ढूढ़ा है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि कौनसी पुस्तकें देश में आयात की जानी चाहिये और कौनसी पुस्तकों का आयात देश में नहीं किया जाना चाहिये। यदि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है तो क्या उस व्यवस्था को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि इस देश के नागरिकों को कौनसी पुस्तकें पढ़नी चाहिये और कौनसी नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पुस्तकों का सम्बन्ध है इसका निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और देश विरोधी पुस्तकों के मामले में गृह-मंत्रालय निर्णय लेता है। जहां तक उन पत्रिकओं का सम्बन्ध है जिन पर प्रतिबन्ध लगा है, उन पर आयात और निर्यात महा नियंत्रक अपना निर्णय देते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां आयात और निर्यात महानियंत्रक नहीं हैं, परन्तु मुख्य नियंत्रक हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : पिछले दो वर्षों से विश्वविद्यालय और कालिज इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि सरकार की प्रतिबन्ध की आयात नीति के कारण, जो बहुत अनुचित और जो देश के हित के विरुद्ध है, उन्हें आवश्यक निर्देश पुस्तिका और पत्रिकाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं।

श्री दिनेश सिंह : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है। मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि इस वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना में पुस्तकों के आयात कोटे में वृद्धि कर दी गई है। 1963–64 की तुलना में 1965–66 के कोटे में 50 प्रतिशत की कमी हुई थी। अब हमने न केवल उसको पूरा किया है बल्कि वास्तव में इसे 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा पुस्तकालयों और दूसरी संस्थाओं को यह पूरी छूट दी गई है कि वह अपने वास्तविक प्रयोग में आने वाली पुस्तकों की आवश्यकता के आधार पर तकनीकी पुस्तकों का आयात कर सकते हैं।

अलाभप्रद रेलवे लाइनें

+

*997. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री न० कु० सांघी :
श्री पार्थ सारथी :
श्री हेम राज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अलाभप्रद रेलवे लाइनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने रुपये की बचत होगी; और

(ग) कौन-कौनसी लाइनों को बन्द करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) अलाभप्रद लाइनों की समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा के परिणाम से यह निश्चय किया जायेगा कि क्या इनमें से किसी लाइन को बन्द करने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए अभी कोई निश्चित सूचना नहीं दी जा सकती ।

Shri S. C. Samanta : I want to know whether the Railway Budget is discussed in some Railway Committee before it is being presented every year ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड स्वयं ही पुनर्विलोकन करता है और प्रत्येक मामले में उचित कार्यवाही करता है ।

Shri S. C. Samanta : Whether or not assistance is given to those narrow gauge railway lines, run by private companies and its management, which are going in loss ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां : इस समय लगभग 11 कम्पनियां गैर सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं । वे सब उस समझौते के अन्तर्गत आती हैं जिसके अनुसार 5 प्रतिशत लाभांश की गारन्टी दी जाती है । जब उन्हें हानि होती है और जब वह 5 प्रतिशत लाभांश दे सकती तब उस सीमा तक सरकार सहायता करती है ।

श्री हेमराज : क्या यह तथ्य है कि कुंजरू दुर्घटना समिति ने ब्रांच लाइनों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुंजरू समिति ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बहुत सी सिफारिशें दी हैं । कुछ हद तक वे ब्रांच लाइन और विशेषकर नैरो गेज से सम्बन्धित हैं । हमने उनको क्रियान्वित किया है ।

Shri K. N. Tiwari : What would be the amount of saving on dismantling these uneconomic lines and what have been the savings as a result if dismantling the existing lines so far.

श्री चे० मु० पुनाचा : इन अलाभप्रद लाइनों को चलाने से प्रत्येक वर्ष हमें लगभग 5.5 करोड़ रुपये की हानि होती है । हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि कौनसी विशेष लाइन लाभप्रद नहीं है और उन्हें बन्द कर दिया जाये । परन्तु इसके लिये भी व्यापक अध्ययन, और सम्बिन्धत राज्य सरकारों से उचित सलाह की आवश्यकता होगी ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the reasons for closing down the shuttle train from Patna Junction to Digha Ghat in which a large number of Government employees used to travel.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी विशेष गाड़ी के सम्बन्ध में न पूछें । केवल सब से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिये ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : इन अलाभप्रद लाइनों या रेलवे प्रणाली के सम्बन्ध में जांच कर रही समिति ने क्या परिणाम निकाले हैं क्या यह अपना निर्णय लाइनों की मितव्ययता या दूसरे विचारों को ध्यान में रख कर करेंगे ।

श्री चे० मु० पुनाचा : योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई यातायात समन्वय समिति ने यातायात समन्वय के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी हैं। यह निर्णय इस आधार को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि क्या रेल यातायात की तुलना में सड़क यातायात द्वारा अधिक सुविधा पूर्ण और लाभप्रद तरीके से कार्य किया जा सकता है।

श्री शशि रंजन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अलाभप्रद लाइनों को हटाने के अलावा क्या वह वर्तमान लाइनों के स्थान पर नई अच्छी लाभप्रद लाइनें निर्माण करने के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण करेंगे ? उदाहरण के तौर पर एक लाइन मुज्जफरपुर से लखनऊ मनिहरी होकर जाती थी। इससे 70–80 मील के फासले में कमी होनी थी, परन्तु उस लाइन को समाप्त कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इसके सर्वेक्षण करेंगे और इन लाइनों पर कम खर्ची करेंगे जिनसे अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : वे व्यक्तिगत मामले हैं और रेलवे बोर्ड उनके सम्बन्ध में लगातार ध्यान रखता है। जिस विशेष लाइन का सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है, इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा।

Shri Abdul Gani Dar : The Hon. Minister has told that the lines have been dismantled because they were economically wrong. I want to know whether they would dismantle the whole lines because they had presented the deficit railway budget. When there is great trouble in the whole country, it may be necessary to send the army or police in any part of the country. Whether all these things have been taken into consideration and whether it has also been taken into consideration that it may not effect the comfort of that area. I want to know whether before dismantling the lines you had thought that it would not cause inconvenience to the people and if necessary they would be able to send the army.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं यह नहीं कहता कि ये सब लाइनें समाप्त की जा रही हैं। वे 63 लाइनें हैं जो समाप्त की जा रही हैं। सामरिक महत्व, क्षेत्र में यातायात की आवश्यकताओं और सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : कुछ रेलवे लाइनें अनाचार विशेषकर बिना टिकट यात्रा करने के लिये कुख्यात हैं। मैं आसाम की ऐसी एक रेलवे लाइन को जानता हूँ जिसका प्रबन्ध मार्टिन बर्न लि० द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वह है चपरमुख–सिलघट लाइन है. जहां बिना टिकट यात्रा करना नियम बन चुका है। क्या माननीय मंत्री लाइनों के लाभ और अलाभ कार्य का पता लगाते समय इस प्रकार बिना टिकट यात्रा करने पर भी विचार करेंगे, जिसके लिये जनता दोषी नहीं है।

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां। यह भी एक शर्त होगी।

Shri Shiv Charan Lal : The Hon. Minister has told that the uneconomic lines are being dismentaled. I want to know whether he would be kind enough to get the construction of those lines on which there is profit. For example a train goes from Agra to Baha.

I do not know what was the necessity of discontinuing that train. Whether you would restart it ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन लाइनों के साथ जो लगातार नुकसान में जा रही है, नई लाइनों के निर्माण पर भी, जिन पर अधिक लाभ होगा, विचार किया जा रहा है ।

Shri Shiv Charan Lal : My question has nat been answered. It has been running between Agra and Baha since 1942. I want to know why the train between Agra and Baha has been discontinued and whether he would manage to get it restarted. It is very necessary for going Atawaha from Agra.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

Shri Achal Singh : Whether the hon. Minister is aware that there used to be no loss on any railway line. The loss is caused because 60% of the passengers travelled without tickets. Whether some consideration has been given to stop ticketless travelling so that this loss may be stopped.

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सूचना मेरे लिये नई है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Discussion has already been made at the time of Railway Grants regarding Martin Burn Companies like S. S. Light Railway and some railway lines of Bihar. Now the time to finish its contract has come near. I want to know whether the Government has taken a decision to finish its contract so that it could take its management itself.

श्री चे० मु० पुनाचा : यह व्यवस्था दस वर्ष के लिये है । दस वर्ष बाद हम स्थिति का पुर्नविलोकन करते हैं और इसके बाद ही यह निर्णय करते हैं कि हमे इसका प्रबन्ध करना चाहिये या कम्पनी को ही कुछ शर्तों के अन्तर्गत इसका प्रबन्ध चलाते रहने की स्वीकृति दे देनी चाहिये । जिस समय समझौते पर विचार किया जायेगा हम इस विषय की ओर ध्यान देंगे ।

उद्योगों को लाइसेंस देना

+

*998. **श्री रा० बरुआ :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक उद्योगों को लाइसेंस देने का संबंध है छः नये उद्योग वर्ष 1967–68 की 'प्रतिबन्धित सूची' में शामिल किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं तथा उस सूची में इस समय कौन कौन से उद्योग शामिल हैं;

(ग) 'प्रतिबन्धित सूची' को किन सिद्धान्तों के आधार पर बनाया जाता है; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय में इन मामलों पर विचार करने और सिफारिशें करने वाला कोई विशिष्ट एकक अथवा विशेषज्ञ अभिकरण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 946/67]**

श्री रा० बरुआ : विवरण से यह ज्ञात होता है कि डेरी मशीनरी को भी प्रतिबन्धित सूची में रख लिया गया है । क्या हमें यह समझना चाहिये कि हम आत्मनिर्भर हैं ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : लक्ष्य इसमें आ जाता है ।

श्री रा० बरुआ : हाल ही में समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बिरला उद्योग समूहों को और लाइसेंस देने से रोका जा रहा है । क्या ऐसा लाइसेंस सम्बन्धी नीति के अनुकरण करने के परिणाम स्वरूप हो रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि कोई कम्पनी प्रतिबन्धित की गई सूची में से किसी वस्तु के लाइसेंस के लिये आवेदन करती है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हाल की दी गई छूट के अनुसार 25 लाख या इससे कम की पूंजी वाली कम्पनियों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । उस श्रेणी के उद्योगों के लिये यह प्रतिबन्ध और विनियमन लागू होंगे जिनकी उद्योग में 25 लाख से कम पूंजी लगी है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जहां तक नीति का सम्बन्ध है उन्हें लाइसेंस के लिये लाइसेंस देने वाली समितियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । यह वस्तुएं उन वस्तुओं से सम्बन्धित हैं जो लाइसेंस देने वाली समितियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं और जिनके सम्बन्ध में सूची तैयार की जा चुकी है (बाधाएं)

श्री स० मो० बनर्जी : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बिरला समूह के सम्बन्ध में मंत्रालयों को जानकारी दी गई है और एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है । क्या यह तथ्य है कि सब सम्बन्धित मंत्रालयों को एक परिपत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिरला उद्योग समूह को जब तक कोई नये लाइसेंस न दिये जायें जब तक कि हजारे आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार पत्र से उत्पन्न होता है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस बात का उत्तर दूंगा कि क्या कुछ उद्योगों को प्रतिबन्धित सूची में रख दिया गया है यदि हां तो उनकी संख्या क्या है तथा वे कौन कौन से उद्योग हैं इस सम्बन्ध में मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि आप वास्तव में विवरण देखेंगे तो माननीय मंत्री ने उसमें कहा है कि 'हाल ही में जोड़े गये उद्योगों के नाम अस्वीकार की गई सूची में' यह अस्वीकार की गई सूची है। समाचार उनसे उत्पन्न होकर ही प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह ही हमने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में पढ़ा है। आप कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें यह बताने दीजिये कि क्या यह तथ्य है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब तक पूरी तौर से जांच नहीं हो जाती तब तक बिरला उद्योग समूह को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये वह अलग से सूचना दे सकते हैं। वास्तव में हमारे रिपोर्ट पर सभा में चर्चा की जानी है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री राज्य सभा में पहले ही कह चुके हैं कि जब तक विशेषज्ञों द्वारा जांच नहीं हो जाती तब तक और नये लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। क्या वह राज्य सभा में अपने दिये गये वक्तव्य को दोहरा नहीं सकते ?

श्री हेम बरुआ : यदि उन्होंने राज्य सभा में ऐसा कहा है तो राज्य सभा, जो कि उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसे उससे क्यों वंचित रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दी० चं० शर्मा : जो उन्होंने राज्य सभा में कहा है उसको यहां नहीं दोहराया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह इससे इन्कार नहीं करते। वह कहते हैं कि आज प्रातः के समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाशित हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उन्होंने हां या नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह कहा गया है कि :—

"अस्वीकृत सूची बनाते समय इन उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया है कि यदि लक्ष्यों और अनुमानित मांग के विरुद्ध किसी विशेष उद्योग को पहले ही लाइसेंस दे दिये गये हों....." यही मुख्य कसौटी है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसी कोई कसौटी भी नहीं है कि यदि कोई लघु उद्योग औद्योगिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित है तब ही उसको उठाया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : यदि आप मुख्य प्रश्न के भाग (ख) को देखें तो आपको पता लगेगा कि श्री बनर्जी का प्रश्न इससे उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह यह कह सकते हैं कि इसका उत्तर उन्होंने राज्य सभा में पहले ही दे दिया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है छः नये उद्योगों का नाम प्रतिबन्धित सूची में जोड़ दिया गया है और दूसरे उद्योग जिनका नाम प्रतिबन्धित सूची में था, इसमें शामिल कर लिया गया है। मैंने दोनों वस्तुओं की पूरी सूची रख दी है।

Shri Rabi Ray : What is the objection of the hon. Minister in replying to Shri Banerjee's question ?

Shri Malahu Prasad ; He has not said anything unparliamentary,

---

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को सूखा सहायता ऋण

+

अ०सू०प्र०#25. श्री प्र० कु० घोष : **श्री कार्तिक ओराओ :**
श्री बाल्मीकि चौधरी : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची के कर्मचारियों को सूखा सहायता ऋण दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें ये ऋण देने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) अभी तक नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) हां, महोदय। क्षेत्रों में शीघ्र ही और निगम के हैड क्वाटर पर सामान्य स्थिति आने पर यथा सम्भव जल्दी से जल्दी।

श्री प्र० कु० घोष : इस आश्वासन पर कि सामान्य हालत पुनः स्थापित होते ही सूखा सहायता ऋण दे दिया जायेगा, मुख्यालय के कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के लिये मनाया जा सकता था, परन्तु प्रबन्धकों ने स्वयं मंत्री महोदय के अनुदेशों के अन्तर्गत गिडी कोयला खान के पांच कर्मचारियों को, जो कि संहला के सदस्य हैं, मुअत्तल करने का नोटिस जारी कर दिया; अतः मुख्यालय में भी आन्दोलन जोर पकड़ गया। गिडी कोयला खानों में हड़ताल 27-6-1967 को आरम्भ हुई थी। इन परिस्थितियों में क्या मंत्री महोदय उस नोटिस को वापस ले लेंगे या, सामान्य स्थिति बहाल करने की दृष्टि से उसे प्रसुप्तावस्था में रखेंगे।

डा० चन्ना रेड्डी : गिडी कोयला खानों से मजदूरों को हटाने की जानकारी मंत्रालय को नहीं दी गई है और न ही मंत्रालय स्तर पर कोई निर्णय किया गया था। तथापि, यह समाचार प्राप्त हुआ है कि पांच मजदूरों का मामला लम्बित पड़ा है। उनके विरुद्ध कुछ मामले पिछले कई महीनों से लम्बित हैं और कार्यवाही की गई है और उस प्रश्न पर राष्ट्रीय कोयला खान, खान कर्मचारी संघ और प्रबन्धकों में बातचीत चलती रही है और वे आदेशों को लम्बित रखना चाहते थे। प्रबन्धक ऐसा करना संभव नहीं समझते, क्योंकि कार्यवाही सोच विचार करके की गई थी। मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं है।

आपकी अनुमति से मैं सभा की जानकारी के लिये बता दूं कि हमने एक जांच समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। समिति के निर्देश पदों और इसके सदस्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उस जानकारी को शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : समाचार-पत्रों में आया था कि जब इस सभा के माननीय सदस्य द्वारा स्वयं इस मामले को माननीय मंत्री की जानकारी में लाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या आप कृपया मंत्री महोदय को यह हिदायत देंगे कि वह एक सभा के किसी सदस्य का अपमान न करें।

श्री प्र० कु० घोष : संघ के प्रतिनिधि दिल्ली में आये थे और जब वे अब तक दिये गये आस्वासनों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में मंत्री को एक अभ्यावेदन देना चाहते थे, तो मंत्री महोदय ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने की बजाये उनसे दुर्व्यवहार किया और खानों में वर्तमान हड़ताल और बेचेनी का यह भी एक कारण है। क्या मंत्री महोद स्वयं रांची जायेंगे, संघ के प्रतिनिधियों को सुनेंगे, यह पता लगायेंगे कि प्रबन्धकों ने अब तक दिये गये किन किन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है ओर उनको यथा शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ताकि वर्तमान असंतोष को समाप्त किया जा सके ?

डा० चन्ना रेड्डी : मई में कुछ प्रतिनिधि मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने इस बात के लिये आग्रह किया कि उन्हें इंटक के 65,000 मजदूरों का प्रतिनिधि माना जाये। मैंने उन्हें बताया कि जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम संबन्धी मामलों का सम्बन्ध है मामलों की जांच की जा सकती है, परन्तु जहां तक 'इन्टक' का सम्बन्ध है 'उन्हें मान्या देना मेरे लिये उचित न होगा। उनको सूखा सहायता देने के प्रश्न पर बोर्ड ने विचार किया है। 52 मांगों में से लगभग 16-17 को मान लिया गया है। नवीनतम जानकारी के अनुसार स्थिति काफी सामान्य है और अब बहुत कम मजदूर हड़ताल पर हैं।

जहां तक मेरे रांची जाने का सम्बन्ध है, बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है और जब वह मंत्रालय का मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहे केवल तब ही मंत्रालय बीच में आ सकता है।

श्री हेम बरुआ : सदस्य का अपमान करने के बारे में आपको क्या कहना है ?

डा० चन्ना रेड्डी : श्री घोष ने अपने बारे में नहीं कहा है, उन्होंने मजदूरों के साथ किये गये व्यवहार के बारे में कहा है, जिसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : In view of the explosive situation there, may I know time by which the Committee will be appointed and its work completed ?

Dr. Channa Reddy : I hope the enquiry Committee will submit its report whithin two or three months. But in the meantime Labour matters relating to the giving of allowance and the daily work will contimue as usual. The Bard and if need be the Ministry will also investigate in to the matter.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस समिति का प्रतिवेदन आने तक पूर्ववत, स्थिति रखी जायेगी और सेवा से निकाले गये सभी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रसुप्तावस्था में रखी जायेगी क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत खराब है ?

डा० चन्ना रेड्डी : नियमों के अधीन उचित कार्यवाही करने के पश्चात 5 मजदूरों को मुअत्तल किया गया है । राष्ट्रीय कोयला खान कर्मचारी संघ ने आग्रह किया कि इन आदेशों को लम्बित रखा जाना चाहिये, परन्तु प्रबन्धकों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि कार्यवाही नियमानुसार की गई है । जहां तक पूर्ववत् स्थिति बनाये रखने के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि इसका कोई और भी निर्वचन हो सकता हो, सिवाय इसके कि मुअत्तल किये गये कर्मचारियों को बहाल किया जाये ।

Shri Bibhuti Mishra : What steps do the Government propose to take in the best interest of the labour and itself in view of the fact that the Board is only an autonomous body and not a sovereing body and the powers to the Board have been delegated by the Parliament ?

Dr. Chenna Reddy : Government have appointed a Committes which will go in to the question of why profit is not accruing and why economy is not being mantained. I concede that the responsibiity of enquiring into all these matters rests with the Government.

Shri Bibhuti Mishra : Will the Government take steps to see that the question of giving drought loan is expedited early ?

Dr, Chenna Reddy : Drought loan has nothing to do with this committee. I have already stated that we have taken a deciston on the question of giving drought relief loan and it is being implemented. Grant of this loan is being witheld to those involved in the illegal strike at present. This loan is being given to those working in coal fields.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की छिद्रण तथा भूतत्वीय शाखा के कर्मचारियों ने सेवा की असुरक्षा के प्रश्न पर अधिकारियों को, हड़ताल करने का ताजा नोटिस दिया है ।

डा० चन्ना रेड्डी : कर्मचारी संघ द्वारा आरम्भ में विभिन्न मांगों को, जिनमें 1965 और इससे पिछले वर्षों में बोनस का दिया जाना शामिल है, हड़ताल करने या आधार बनाया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या छिद्रण और भूतत्वीय शाखा के कर्मचारियों ने हड़ताल का कोई नया नोटिस दिया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या समिति के निर्देशपदों में श्रम सम्बन्धों को भी शामिल किया जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : निर्देशपद तैयार किये जा रहे हैं और उन्हें यथासम्भव अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उपक्रम में श्रमिक सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से भिन्न नहीं हैं । अतः यह एक सामान्य प्रश्न है ।

Shri George Fernandes : What is the policy of the Government in regard to the imporving of labour relations and the giving of drought relief loans to the employees ?

Dr. Chenna Reddy : I have already stated that the Board decided on the 24th June to advance loans to the labour working in the field immdiately and to the rest affer they have returned from the strike. As regards labour management relations the Board and the Ministry would take whatever steps they consider necessary.

श्री अब्राहम : कितने मजदूर इस समय हड़ताल पर हैं और कितने मजदूर भूख हड़ताल पर हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

Shri K. N. Tiwary : As this is a dispute between the labour and the Public Sector, do Government propose to hand over this matter to the Labour Ministry ?

Shri Chenna Reddy As at other places when there is a deadlock between labour and management, here also efforts are made to bring about conciliation

श्री रंगा : क्या जांच समिति उन विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करेगी जिनके कारण श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं और क्या हालत में सुधार करने के लिये आवश्यक सिफारिशें की जायेंगी ।

डा० चन्ना रेड्डी : जैसा कि मैंने बताया समिति के निर्देशपद बहुत व्यापक होंगे और उनमें माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के अतिरिक्त उत्पादिता आवश्यकता से अधिक संख्या में कर्मचारियों का रखा जाना मितव्ययिता आदि शामिल होंगे और हम उन्हें यथासम्भव क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Have some cases of violence by labour come to the notice of the Governments, and if so the details thereof and what preventive steps have been taken to check their recurrence ?

Dr. Chenna Reddy : The management was gheroed and kept under confinement in a room from 9.00 A. M. to 6.00 P. M. slogand were shouted spitting on the acting Managing Director.....

श्री स० मो० बनर्जी : और आप गुण्डों से काम लेते हैं.....(व्यवधान) इसकी जांच होनी चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Unsold Stock of cloth in Kanpur Textile Mills

*992. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that cloth worth about 5 crores of rupees is lying unsold in the textile mills in Kanpur;

(b) Whether it is also a fact that the mills have been closed down due to accumulation of cloth;

(c) The number of workers rendered surpius due to the closing down of the mills; and

(d) The steps Government propose to take to avert this crisis ?

The Deputy Ministre in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Quireshi): (a) The mills in Kanpur had about 16.80 million metres of cloth in stock with them on the 31st May. This stock is normal and is lower than the stocks in the previous months,

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

डीजल इन्जन

*999. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री उमा नाथ : **श्री चक्रपाणि :**
श्री वि० कु० मोदक : **श्री प० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप के इंजन से गाड़ी चलाने की तुलना में डीजल के इंजन से गाड़ी चलाने पर कितनी कागत आती है;

(ख) डीजल इंजनों से गाड़ी चलाना आरम्भ करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीजल तेल पूर्णतया इस देश में ही पैदा किया जाता है, यदि नहीं, तो पिछले वर्ष कितने प्रतिशत डीजल तेल आयात किया गया; और

(घ) क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कोयले का अधिक प्रयोग करने की सिफारिश की गई है।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाश्रा) : भाप के इंजन से गाड़ी चलाने की तुलना में डीजल इंजन से गाड़ी चलाने पर कितनी लागत आती है, यह बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि लागत कई बातों पर निर्भर होती है जैसे अपेक्षित रकम का निवेश, सम्बन्धित ईंधन का मूल्य और उसकी उपलब्धता, प्रत्येक खण्ड की स्थिति एवं विशेषताएं खासकर ढलान, यातायात का घनत्व, गाड़ी-भार आदि। मोटे उदाहरण के रूप में पश्चिम रेलवे के रतलाम शेड से सम्बद्ध खण्डों पर कुल 1000;मीटरिक टन किलोमीटर यातायात ढोने की अनुमानित लागत डीजल इंजन से 2.88 रुपये और भाप इंजन से 3.40 रुपये आती है। इसमें इंजनों और शेडों की पूंजी लागत पर मूल्यहास तथा सभी परिचालन व्यय शामिल है।

(ख) भाप कर्षण के बदले डीजल कर्षण अपनाने की मुख्य कसौटी इसकी परिचालन सम्बन्धी सुविधाएं हैं, जैसे बेहतर ढंग से चल पड़ने का प्रयास, लम्बी गाड़ियां खींचने की क्षमता, निरन्तर समान शक्ति कायम रहना, जल्दी रफ्तार बढ़ाने और घटाने की सुविधा, लम्बी अवधि तक उपयोग के लिए उपलब्ध होना, तेजी से और शीघ्र आना जाना और रास्ते में पानी और ईंधन लेने के लिए न ठहरना।

(ग) जी हां। अब हम डीजल तेल के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो गये है, हालांकि 1966 में कुल खपत का 12 प्रतिशत आयात किया गया था।

(घ) जी हां।

आन्ध्र प्रदेश में खानों से तांबा निकालना

***1000. श्री अनिरुद्धन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में खानों से तांबा निकलने की बहुत सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में खानों से ताम्बा निकालमें के काम को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश के बहुत से जिलों में, विशेष रूप से मैसूर जिले के अग्निगुण्डाला खण्ड और अमन जिले के येलमबेलू-मेलारम स्थानों में, तांबा के लिये अनुसंधान किये हैं। इनमें से अग्निगुंडाला खण्ड के चार पूर्वेक्षण नालांकोंडा, ढुकोंडा, बंडलामोट्ट (बोलामपल्ले) और पैडागा वलाकोंडा आशाजनक पाए गये हैं। तदनुसार और अधिक विस्तृत अनुसन्धान किये गये हैं। जिनमें अन्वेषणात्मक व्यधन भी करना पड़ा है। इन अनुसन्धानों के आधार पर प्राप्त सामग्री को लेकर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो कि खनिज निक्षेपों के विकास की एक सरकारी कम्पनी है, अग्निगुंडाला निक्षेपों के विदोहन और पद्धतिपूर्ण विकास के लिये एक शक्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है। एक तांबा खनन और उत्पादन में अनुभवी विदेशी कम्पनी के साथ सहयोग करके इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेट में हानि

*1001. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 2 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले है तथा क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई उपाय किये गये है ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न एककों को स्वतंत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) नमूने के तौर पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ ऐसे विभागों का अध्ययन किया है जहां कर्मचारियों के आवश्यकता से अधिक होने की संभावना थी। अध्ययन से पता चला है कि अधिकतया अकुशल, अर्द्ध-कुशल और लिपिक वर्गों के कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है। इन फालतू कर्मचारियों को जहां तक संभव होता है, कारखानों के विस्तार के फल स्वरूप जहां कहीं भी अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती हैं वहां रखा जा रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के समूचे प्रश्न पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

Hindustan Motors, Calcutta

*1002. **Shri Shashi Ranjan :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Bhagwan Das :
Shri K. Haldar :
Shri K. Ramani :
Shri Viswanatha Menoni

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that criminal cases under the Import-Export Act have been filed against the Hindustan Motors, Calcutta and their five employees ;

(b) if so, whether Government have withdrawn import licences of the said firm at least for the time the cases are pending in the court ; and

(c) the action so far taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) Yes, Sir. On completion of investigation, a case was filed in the Court of the Chief Presidency Magistrate, Calcutta on 3-6-1967. Having regard to the interest of the labour force employed in the enterprise and to the need for uninterrupted production of automobiles, it has not been considered feasible to discontinue the grant of licences during the pendency of the case.

रुई की गांठों का अधिग्रहण

***1003. श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० को० अमीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारियों से रुई की गांठों का अधिग्रहण करने तथा निर्धारित दर पर रुई सप्लाई करने के बारे में हाल में किए गए उपायों से हजारों व्यापारियों तथा लाखों किसानों को बहुत अधिक घाटा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये उपाय प्रभावहीन साबित हुए है क्योंकि कपड़ा मिलें बाजार में किसी भी दर पर सूत बेचने के लिये स्वतंत्र हैं और सूती कपड़े के लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन पर मूल्य नियंत्रण नहीं है ; और

(ग) क्या रुई अधिग्रहण व्यवस्था इसके प्रभारी लोगों के लिये घूसखोरी का एक नया साधन बन गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) रुई का अधिग्रहण उपयुक्त अधिकतम मूल्यों पर किया गया है । अतः किसी उत्पादक अथवा किसान को घाटे का कोई प्रश्न ही नही उठना चाहिए । हो सकता है कि उन व्यापारियों को घाटा हुआ हो जिन्होंने, इस आशा में कि सरकार रुई का अधिग्रहण करके रुई के अधिकतम मूल्यों को प्रवृत्त नहीं करेगी, सट्टा व्यापार करके ऊंचें मूल्यों पर रुई खरीदी हो । यदि मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ता मिलों को रुई उपलब्ध कराने के लिये ये उपाय न किये गये होते तो मूल्य कहीं और ऊंचे पहुँच जाते । जहां तक अधिग्रहण व्यवस्था से घूसखोरी उत्पन्न होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

दस्कारी और हथकरघा निर्यात निगम

***1004. श्री सम्बन्धन :** क्य वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस्तकारी और हथकरघा निर्यात निगम ने पेरिस में जगह के लिये 5,50,000 नये फ्रैंक पगड़ी दी थी ;

(ल) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसने सरकार से पहले स्वीकृति ले ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृति किन परिस्थितियों में दी गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सम्पन्न बाजारों में हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के निर्यात की अधिक सम्भावनाए होती हैं। अतः भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के लिये पेरिस को एक अच्छा बाजार समझा गया था। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार ने, हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के पेरिस में एक दुकान-सह-भंडार खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार की प्रयोजना की सफलता के लिये उपयुक्त स्थान एक प्रमुख आवश्यकता होती है। फ्रांस में भारतीय राजदूतावास की सहायता से पेरिस में रु फूबौर्ग सेंट ओनोर पर उचित स्थान ढूंढ लिया गया। इस स्थान की किराये की शर्तों में 48,000 नये फ्रैंक वार्षिक किराये के अतिरिक्त 550,000 नये फ्रैंक का एक मुश्त भुगतान भी शामिल था। यह विशिष्ट अवधि के लिये इस स्थान के पट्टे पर आधारित है, जो इस मामले में नौ वर्ष है एवं निगम की इच्छा पर इसका नवीकरण भी हो सकेगा। इस प्रकार का एक मुश्त भुगतान फ्रांसीसी विधि के अन्तर्गत वैध है और इस पर 16 प्रतिशत की दर पर कर भी लगता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि दुकान को एक उचित स्थान पर स्थापित किया जाना है जहां ग्राहक सुगमता से पहुंच सकें और यह देखते हुए कि एक मुश्त राशि का भुगतान भी प्रथागत है, जिसकी वसूली निगम द्वारा स्थान को छोड़ते समय विद्यमान दरों पर की जा सकेगी, यह निर्णय किया गया था कि उक्त स्थान को किराये पर लेने की अनुमति दे दी जाये।

अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना

***1005. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में यूनेस्को की सहायता तथा विदेशी सहयोग से अखबारी कागज के दो कारखाने लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) यूनेस्को की सहायता से देश में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज की स्थापना का एक

प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा और इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाने

*1006. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : जैसा कि 26 मई 1967 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के भावी संगठन के समूचे प्रश्न पर इस समय मंत्रालय विचार कर रहा है और अभी तक इस बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Supply of Steel after Decontrol

*1007. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether following the decontrol of Steel, the stockists are not supplying steel goods against the orders placed with them prior to the decontrol and also are indulging in black-marketing by refusing to accept new orders ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr . Channa Reddy) : (a) and (b) : A few complaints have been received from some State Governments about non-supply of steel goods by stockists against orders placed prior to decontrol. The action to be taken in this regard is being examined. As regards new orrees there is no longer any control over distribution and prices. The Joint Plant Committee has announced a scheme for supply of steel materials which are in short supply, to the consumers on an equitable basis.

टिकट रिजर्व कराना

*1008. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि लम्बी यात्रा करने के लिये टिकट बड़े स्टेशनों पर एक महीना पहले खरीदने पड़ते हैं तथा इससे ऐसे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है जिन्हें एक महीने पहले ही से आने जाने की यात्रा की योजना बनानी पड़ती है ;

(ख) क्या ऐसी यात्रियों के लिये जिन्हें मृत्यु, विवाह, बीमारी, आदि के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ जाती है, अल्प सूचना देने पर टिकट देने की व्यवस्था की जा सकती है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जब किसी यात्री को टिकट देने की खिड़की पर यह कोरा उत्तर दे दिया जाता है कि टिकट नहीं है तभी वही टिकट पुलिस और बुकिंग क्लर्कों की सांठगांठ से पास ही अधिक दामों पर चोरी छिपे बेच दिये जाते हैं ; और

(घ) इस समाज विरोधी कार्यवाही को रोकने तथा यात्रियों की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गर्मियों में यातायात की भारी भीड़ को सम्हालने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलों पर अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा को परीक्षण के तौर पर बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस तरह स्थान का आरक्षण 30 दिन पहले से किया जा सकता है, लेकिन इस अवधि में यदि स्थान उपलब्ध हो तो यात्री किसी भी समय टिकट खरीद सकते हैं और आरक्षण करा सकते हैं। यह व्यवस्था यात्रियों की सुबिधा के लिए की गयी है और परीक्षण के परिणाम का अध्ययन करके इस पर फिर से विचार किया जायेगा।

(ख) यात्री अल्प सूचना पर हमेशा यात्रा-टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन आरक्षित स्थान की व्यवस्था तभी की जा सकती है, यदि वह उपलब्ध हो।

(ग) रेलवे टिकटों की चोर-बाज़ारी के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे है।

विवरण

टिकट--घरों में पर्यवेक्षण कर्मचारियों की संख्या, खासकर भीड़-भाड़ के समय बढ़ा दी जाती है ताकि किसी अनाचार में कर्मचारियों की सांठ--गांठ की संभावना न रहे।

2. गाड़ियों में शायिकाओं और सीटों के आरक्षण में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए रेल अधिकारियों के सहयोग से विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अचानक जांच की जाती है। रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के चौकसी संगठनों द्वारा भी स्वतंत्र रूप से इस तरह की जांच की जाती है।

3. कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों की टिकट-खिड़कियों पर भीड़--भाड़ के समय सादी पोशाक में चौकसी कर्मचारियों और चल टिकट परीक्षकों का एक विशेष दस्ता तैनात किया जाता है ताकि अवांछित तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में टिकट

खिड़कियों पर तैनात पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की भी सहायता ली जाती है।

4. प्रत्येक शिकायत की पूरी तरह जांच की जाती है और जिन मामलों में दोष सिद्ध हो जाता है, उनमें कड़ा दण्ड दिया जाता है।

5. जिन यात्रियों के स्थान पहले से आरक्षित नहीं रहते, उन्हें दूसरे और तीसरे दर्जे में ऐसी जगहें दी जाती हैं जो आरक्षित नहीं रहतीं। यदि वातानुकूल और पहले दर्जे की जगहों की भारी मांग हो, तो गाड़ियों में गुंजाइश होने पर इस तरह के स्थान वाले अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाते हैं।

आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल आरगेनाइजेशन के कर्मचारी

#1009. श्री गणेश घोष : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल अरगेनाइजेशन के अनेक कर्मचारियों को, लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटाने की नीति के कारण, छंटनी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इन कर्मचारियों को बोकारो इस्पात कारखाने में नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस कारखाने के कितने कर्मचारियों को बोकारो इस्पात में नियुक्त कर दिया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नियंत्रण हटाये जाने के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू हो जाएंगे परन्तु उनकी ठीक ठीक संख्या के बारे में पता लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात कारखाने ने कहा है कि वे लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के फालतू कर्मचारियों को कारखाने में नौकरी देने के बारे में विचार करेंगे, परन्तु कितने कर्मचारियों को बोकारो इस्पात कारखाने में नौकरी मिलती है, उनकी ठीक ठीक संख्या तभी मालूम हो सकती है जब उनको नौकरी के लिए चुन लिया जाये।

Concession for Establishing New Industries.

***1010. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fifteen States have urged the Central Government to give certain concessions for establishing new industries ;

(b) if so, the nature of these concession ; and

(c) the names of those States ?

The Minister of Industrial Development And Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali-Ahmed) (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

आयातित रुई

***1011. श्री मि० सू० मूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा दिये गये अधिकार के अधीन इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने वर्ष 1966–67 में आयातित रुई पर प्रीमियम की कुल कितनी राशि वसूल की और इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने प्रीमियम की इस राशि का उपयोग किस तरह किया ; और

(क) क्या हथकरघों द्वारा खरीदी गई तथा प्रयुक्त की गई आयातित रुई से तैयार किये गये सूत पर छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) संभवतः माननीय सदस्य इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई द्वारा उन मिलों से लिये गये अंशदान की बात कर रहे हैं जिन्होंने रुई का आयात किया। इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई द्वारा इन अंशदानों का हिसाब पंचाग वर्ष के आधार पर रखा जाता है। वर्ष 1966 में एकत्र किए गये अंशदान की कुल रकम 4,89,28,813 रुपये थी। सम्पूर्ण रकम का उपयोग सूती कपड़े तथा अन्य सूती माल के निर्यात सम्वर्द्धन के लिये किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

विदेशों में बाजार अनुसन्धान सर्वेक्षण

***1012. श्री चिरंजीत राय :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में सरकार ने विदेशों में बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण' पर पृथक पृथक कितना धन व्यय किया ;

(ख) इन बाजार सर्वेक्षणों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) देश का निर्यात बढ़ाने के लिये उनका कहां तक उपयोग किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) : बाजार सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन सभी सम्बन्धित व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को भेजे जाते हैं ताकि वे अपने उत्पादों की योजना बना सकें और उन्हें लोगों की पसंद के अनुकूल बना सकें। बाजार सर्वेक्षण उन अनेक उपायों में से एक है जो निर्यात

प्रयत्न में सहायता प्रदान करने हेतु किये जाते हैं। अतः किसी विशिष्ट उपाय से निर्यात की वृद्धि को सम्बम्द्ध करना कठिन है ।

लोहा तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

*1013. **श्री नंजा गोडर :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त योजना समिति द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के कारण लोहे ओर इस्पात का मूल्य बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : संयुक्त संयंत्र समिति सभी प्रकार के इस्पात के मूल्य निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है अतः उनके हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका में होने वाले विश्व उत्सव (वर्ल्ड जम्बोरी) में चाय बोर्ड के प्रतिनिधि

*1014. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री राम सेवक यादव:**
श्री मधु लिमये : **श्री रवि राय :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अमरीका में इदाहो में अगस्त, 1967 में होने वाले विश्व उत्सव में भारतीय चाय बोर्ड का विचार एक प्रतिनिधि भेजने का है;

(ख) 50,000 रुपया खर्च करके भारत से एक प्रतिनिधि भेजने का क्या प्रयोजन है जब कि अमरीका में चाय बोर्ड का एक कार्यालय काम कर रहा है, जिसमें काफी योग्य कर्मचारी हैं और जिस पर काफी सरकारी धन खर्च हो रहा है; और

(ग) इस विश्व उत्सव में भाग लेने के लिये किस व्यक्ति को प्रतिनिधि चुना गया है और उसकी विशेष योग्यताएं क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत से चाय बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जा रहा है ?

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण वियतनाम को निर्यात

*1015. **श्री घोरेश्वर कलिता :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में तीन फर्मों, मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल एण्ड कम्पनी, खाम चन्द राज कुमार कम्पनी तथा इंडियन स्मेल्टिंग एण्ड रिपेयरिंग

वर्क्स, ने हाल में दक्षिण वियतनाम को 150 टन प्रतिरक्षा सम्बन्धी धातु अर्थात् लौह पिण्ड और पितल की चादरें भेजी थी;

(ख) क्या इन फार्मों ने इन धातुओं का दक्षिण वियतनाम को निर्यात करने से पहले सरकार की अनुमति ली थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इन फार्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) मैसर्स अमी चन्द प्यारेलाल एण्ड कम्पनी और मैसर्स खेम चन्द राजकुमार एण्ड कम्पनी ने वैध लाइसेसों पर, जो लोहा और इस्पात नियंत्रक ने उनको दिये थे। दक्षिण वियतनाम को एम० एस० राउन्ड्स का निर्मात किया है। मैसर्स इंडियन स्मैल्टिग एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स को इन राउन्ड्स के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। एम०एस० राउन्ड्स प्रतिरक्षा सम्बन्धी धातु नहीं है।

जहां तक पीतल की चादरों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अमृसर के सीमान्त नगरों से उद्योगों का अन्य स्थानों पर ले जाया जाना

1016. श्री गु० सिं० ढिल्लो : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर, फिरोजपुर, तथा गुरदासपुर के जिलों के सीमान्त नगरों से उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाये जाने को रोकने के लिए सरकार निम्नलिखित सुविधाये देने की किसी योजना का विचार कर रही है : (एक) वित्त व्यवस्था तथा बैंक सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में प्राथमिकता देना (दो) आय-कर देने तथा सरकारी ऋण अन्य देय राशियों को लौटाने के मामले में छूट तथा राहत देना; (तीन) कच्चे माल का सम्भरण; तथा (चार) तैयार माल के विक्रय की सुविधायें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) कथित सामूहिक निष्क्रमण के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मोटर गाड़ी उद्योग के मानक

1017. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने मोटर गाड़ी उद्योग में उपयुक्त मानक तथा विशिष्ट-विवरण लागू करने के लिए कुछ कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और मोटर गाड़ियों की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 947/67]

कपास के मूल्य

***1018. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री क. प्र. सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कपास के निम्नतम और अधिकतम मूल्यों की घोषणा की जाने में विलम्ब की संभावना है? और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) कोई असाधारण विलम्ब नहीं है। मामले पर विचार हो रहा है और आशा है कि कपास मूल्य नीति की शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी।

मैसूर में जापान के सहयोग से छोटी कारों का निर्माण

***1019. श्री क० लकप्पा :**
श्री लीलाधर कटकी :

औद्योकिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी सहयोग से मैसूर में छोटी कारों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम व्यक्ति वाली कारों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा प्राप्त अनेक प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मैसूर राज्य औद्योगिक विनिधान तथा विकास निगम ने जापानी फम के तकनीकि सहयोग से "माजदा 800" फैमिली कार के निर्माण के लिये किया है। प्रस्ताव में संयंत्र और मशीनरी पर, जिसमें आयातित मशीनरी के लिये 5 करोड़ रुपये सम्मिलित है, 17 करोड़ रु० के अनुमानित विनिधान से प्रति वर्ष 50,000 कारों के निर्माण की व्यवस्था है। कम कीमत वाली कारों के निर्माण के लिये प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पार्टी को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी गई है जिसमें उससे प्रस्ताव के बारे में पर्याप्त ब्यौरा मांगा गया है ताकि सरकार इसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार कर सकें।

लुधियाना में शक्ति चालित करघे तथा ऊनी होजरी उद्योग

*1020. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बुनियादी कच्चे माल की कमी तथा अन्य कारणों परिणाम स्वरूप लुधियाना के शक्ति चालत करघे तथा ऊनी होजरी उद्योग गंभीर संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उद्योगों को इस स्थिति से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद कुरेशी) : (क) से (ग) यद्यपि कच्चा माल आदि प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में इन उद्योगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु सरकार को किसी संकट की जानकारी नहीं है। इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं कि संभरण, सम्पूर्ण मांग तथा विदेशी विनिमय की कठिनाइयों से संगत स्थिति में इस उद्योग को कच्चे माल का उचित संभरण होता रहे।

गंधक का आयात

4850. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया ;
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री प० गोपालन ;.
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मं० रं० कृष्ण ;

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीस के दो जहाज "डेमिट्रिओस" और "अपातूरिया" पोलैण्ड के गाइडनिया से भारी मात्रा में गंधक बम्बई लाये हैं;

(ख) क्या इन जहाजों की माल-सूची तथा लदान-पत्र रोटरडोम में तैयार किये गये पाये गये हैं;

(ग) क्या शिपिंग लाइन्स ने यह नियम भारत से विदेशी मुद्रा ठगने के लिये अपनाया है क्योंकि हम पोलैण्ड के साथ रुपयों में भुगतान के आधार पर वस्तु-विनिमय करते हैं;

(घ) क्या जहाज अपातूरिया अब भी बम्बई बन्दरगाह में है और राज्य व्यापार निगम पिछले 10 दिन से इस जहाज पर प्रतिदिन 350 पौण्ड स्टर्लिंग की दर से विलम्ब शूल्क दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) : राज्य व्यापार निगम ने मार्च जून, 1967 की अवधि में लागत तथा गाड़ा आधार पर 45,000 मे० टन गंधक का आयात करने के लिये भारतीय अभिकर्ताओं के माध्यम से एक न्यूयार्क फर्म के साथ चार संवि-

दाएं की थीं। पहली संविदा के अन्तर्गत 10,000 मे० टन की एक खेप "डेमिट्रिओस" (यू० नानी ध्वज वाले जहाज) द्वारा मई, 1967 में बम्बई में पहुंची। वह माल उठा लिया गया और इसको तकनीकी प्राधिकारियों के नामित व्यक्तियों को बेच दिया गया। दूसरी संविदा के अन्तर्गत 10,000 मे० टन की एक दूसरी खेप "वाष्पजलयान अपातूरिया" द्वारा लाई गई प्रलेखों के अनुसार यह खेप मूलतः हालैण्ड की थी और "वाष्पजलयान अपातूरिया" पर लाई गई गंधक रोटरडोम पर लादी गई थी। यह जहाज लगभग 14 जून, 1967 को बम्बई पहुंचा था।

यह शिकायत मिलने पर कि "अपातूरिया" द्वारा लाई गई गंधक हालैण्ड की न होकर पोलैण्ड की थी और माल का लदान पोलैण्ड के एक पतन गाइडनिया पर किया गया था, सीमाशुल्क अधिकारियों ने माल के उतारने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने राज्य व्यापार निगम के निष्कासन अभिकर्ताओं से लदान प्रलेखों की जांच करने हेतु ले लिया था। चूंकि इस माल को विभिन्न प्रमुख रसायनिक कारखानों में शीघ्र वितरित किया जाना था, अतः राज्य व्यापार निगम ने सीमा शुल्क अधिकारियों से निवेदन किया कि वे माल की निकासी करने की अनुमति दे दें। राज्य व्यापार निगम द्वारा एक बोंड दिये जाने पर वे ऐसा करने के लिये सहमत हो गये। अब बौंड दिया जा चुका है। आशा है कि जहाज से शीघ्र ही माल की निकासी हो सकेगी।

राज्य व्यापार निगम ने न्यूयार्क में संभरकों तथा उनके भारतीय अभिकर्ताओं को नोटिस दे दिया है कि वे माल के उद्गम स्थान के सम्बन्ध में संविदा की शर्तों के किसी प्रकार भी भंग हो जाने के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम पर पड़ने वाले किसी विलम्ब शुल्क अथवा स्थान शुल्क और। अथवा किसी अन्य हानि। व्यय के लिये उत्तरदायी होंगे।

मामले की आगे जांच चल रही है।

कपास का मूल्य

4851. **श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :**
श्री रा० ढ़ो० भण्डारे :
श्री कृ० गु० देशमुख :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री प्रताप सिंह :
श्री देवराव पाटिल :
श्री विक्रम चन्द :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास की मूल्य–नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय केन्द्रीय कपास समिति और वस्त्र सलाहकार बोर्ड से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो कब और उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) कृषि मूल्य आयोग तथा कपास सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 1967 से अगस्त 1968 के मौसम के लिये कपास मूल्य नीति पर विचार किया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय द्वारा भारतीय केन्द्रीय कपास समिति समाप्त कर दी गयी है अतः इस समिति की सिफारिशें प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारमोचक (रिलीविंग) परिवहन सहायकों का चयन

4852, श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिविजनल सुपरिन्टेडेंट धनबाद द्वारा नियुक्त चयन बोर्ड द्वारा भारमोचक (रिलीविंग) परिवहन सहायकों का चयन अप्रैल, 1967 में न्यायिक आदेशों के अनुसार अवैध घोषित किया गया है और इसे वर्तमान नियमों, आदेशों का उल्लघंन ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायिक निर्णयों की उपेक्षा करके इन भारमोचक परिवहन सहायकों को अब भी अपने पदों पर काम करने दिया जा रहा है; और

(ग) क्या पूर्व रेलवे प्रशासन इस मामले में उच्चतर न्यायालय में अपील दायर करने का प्रयास कर रहा है जिससे सरकार को धन की ओर हानी उठानी पड़ेगी।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारमोचक (रिलीविंग) परिवहन सहायकों का चयन

4853. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में मार्च, 1967 में भारमोचक परिवहन सहायकों का कोई चयन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस चयन समिति के सदस्य कौन कौन थे;

(ग) क्या इस चयन समिति के अधिकारी बराबर ओहदे के लोग थे।

(घ) रेलवे बोर्ड के दिनांक 8 अक्टूबर, 1964 के पत्र संख्या ई० एन० जी०/5 पी० एम० आई०/24 तथा "दि इंडियन रेलवे इस्टैब्लिशमैंट मैंनूअल" के अध्याय 2 के पैरा 6 तथा 9 के अनुसार इस चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की लिखित परिक्षा क्यों नहीं ली गई; और

(ङ) क्या मुख्य प्रशासन अधिकारी चयन के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकता है जो मैनुअल में दिये गये नियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल हों ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रूसी फिल्में

4854. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितनी रूसी फिल्मों का आयात किया जाता है; और

(ख) क्या गत दस वर्षों में रूसी फिल्मों के आयात में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़ा उद्योग

4855. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि भारत के कपड़ा उद्योग की, जो किसी समय बहुत ही समृधि-शाली उद्योग था, हालत अब बहुत ही खराब है;

(ख) पिछले दो वर्षों में हमारे कपड़ा उद्योग ने देशवार कितनी विदेशी मुद्रा कमाई;

(ग) क्या कारण है कि सरकार रूई की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों को बढ़ने से रोकने में असमर्थ रही है तो इस समय निर्धारित अधिकतम कीमतों से भी अधिक है;

(घ) कपड़ा उद्योग को सर्वथा नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार का निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1966-57 में सरकार ने किसी न किसी कारण से कितने तथा किन किन कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) ; (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 948/67**]

स्कूटरों का निर्माण

4856. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी और कौन-कौन सी फर्में स्कूटर बनाती हैं, वे उनको कहां-कहां बनाती हैं और प्रत्येक फर्म का वार्षिक उत्पादन क्या है;

(ख) विभिन्न स्कूटरों के विक्रय मूल्य क्या हैं;

(ग) देश में स्कूटरों की वार्षिक मांग अनुमानतः कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सुविधाएं देने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सुविधाएं देने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक विवरण, जिसमें स्कूटर निर्माताओं के नाम, उनकी अधिष्ठापित क्षमता, 1964 से उनका वार्षिक उत्पादन और उन स्थानों का नाम जहां ये कारखाने स्थित हैं, सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 949/67]**

(ख) निर्माणाधीन स्कूटरों के वर्तमान कारखानेद्वारा फुटकर विक्रय मूल्य नीचे दिये जाते हैं :

स्कूटर की किस्म	कारखाना-द्वारा फुटकर विक्रय मूल्य रुपये
लम्ब्रेटा स्कूटर	2.369.68
वेस्पा स्कूटर	2,4०2.00
फैन्टाबुलस स्कूटर (सैल्फ-स्टार्टर)	3,200.00

उपरोक्त मूल्यों में पूर्ण गाड़ियों पर क्षेय-उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर शामिल नहीं हैं।

(ग) केवल स्कूटरों की मांग कितनी है, इसका अलग से कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इस उद्योग के लिये (स्कूटर/मोटर साइकिल/मोटर थ्री व्हलिर आदि सहित) तीसरी योजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 60,000 था। चौथी योजना के लिये अस्थायी क्षमता और उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क्षमता लक्ष्य संख्या प्रतिवर्ष	उत्पादन लक्ष्य संख्या प्रतिवर्ष
1,50,000	1,20,000

(घ) से (च) स्कूटर उद्योग को अब उन प्राथमिकता उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो उनकी अधिष्ठापित क्षमता की पूरी सीमा तक विदेशी मुद्रा के पात्र हैं। यह आशा की जाती है कि उद्योग को दी गई विदेशी मुद्रा की सहायता से 1967 में स्कूटरों का उत्पादन 1966 के मुकाबले लगभग दुगना हो जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

4857. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने जिस फर्म को अपने एक मात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है उसका नाम क्या है;

(ख) इस फर्म की पूंजी कितनी है और इसके निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ग) इस फर्म के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक मात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में इस फर्म की नियुक्ति अन्य फर्मों से पेशकश मंगाने के पश्चात् की गई थी; और यदि हां, तो उन अन्य फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ङ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने किन विशेष कारणों से अन्य फर्मों की अपेक्षा इस विशिष्ट फर्म को चुना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने मैसर्स महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लि० को स्वचालित लेथस के लिये और मैसर्स हिन्दुस्तान निर्यात तथा आयात निगम प्राइवेट लि० को हारिजटंल बोरिंग मशीनों के लिये एकल विक्रय एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) **महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लिमिटेड**

(एक) **प्रदत्त पूंजी**

सामान्य	2.64 करोड़ रु०
अधिमान्य	0.55 करोड़ रु०
कुल	3.19 करोड़ रु०

(दो) **निदेशक**

सर्वश्री केशव महीन्द्रा (चेयरमैन); एच० एस० मलिक; स्टीफेल ए० गिराड; अकबर हियादरी; एच० वी० आर० आयंगर; अलोक के० मित्रा; एच० सी० महीन्द्रा; आई० चटर्जी; योगिन्द्र एण्ड मफतलाल और बी० आर० सुले ।

हिन्दुस्तान निर्यात तथा आयात निगम प्राइवेट लि०

(एक) **प्रदत्त पूंजी** 5 लाख रुपये

(दो) **निदेशक**

सर्वश्री एस० आर० ग्रोवर और के० के० ग्रोवर तथा श्रीमती के० ग्रोवर ।

(ग) प्रत्येक करार तीन वर्ष की अवधि के लिये हैं। एजेन्टों को देय कमीशन बेसिक मशीन तथा विशेष सहायक पुर्जों के विक्रय मूल्य का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है; 10 प्रतिशत टूलिंग के लिये और 20 प्रतिशत फालतू पुर्जों के लिये।

(घ) और (ङ) अपने विस्तरीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के विदेशी सहयोग के साथ पहली बार "के" स्वचालित लेथस तथा होरिजंटल बोरिंग मशीनों जैसे नये तथा उन्नत मशीनी औजारों के निर्माण की योजना बनाई है। इस समय इन मशीनों को विक्रय पश्चात प्रभावशाली मरम्मत के लिये समवाय के पास आवश्यक संगठन नहीं है और यह अनुमान है कि इस कार्य के लिये एक कुशल संगठन बनाने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। अतः उन्होंने यह आवश्यक समझा है कि जो कम्पनियां विदेशी सहयोग दाताओं का अब तक भारत में प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं तथा आयातित मशीनों की विक्रय पश्चात

मरम्मत का काम कर रही है, उन को तीन वर्ष के लिये कम्पनी के एकक विक्रय एजेन्टों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये ।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

4858. श्री गणेश घोष : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जादलपुर (कलकत्ता) में बने थर्मामीटर गुण, प्रकार और मूल्य की दृष्टि से भारत में उपलब्ध अन्य अच्छे से अच्छे थर्मामीटरों के ही समान हैं;

(ख) वहां औसतन मासिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या इनका उत्पादन बन्द करने के लिये निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता द्वारा तैयार किया गया चिकित्सीय थर्मामीटर क्वालिटी के मामले में अन्य सर्वोत्तम थर्मामीटरों की तुलना में काफी अच्छा है हालांकि यह उनमें से कुछ के मुकाबले अधिक मंहगा है ।

(ख) 12,000 से 15,000 ।

(ग) और (घ) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि० ने चिकित्सीय थर्मामीटरी सेक्शन को बन्द करने का निर्णय किया है क्योंकि उत्पादन लागत अधिक होने के कारण इसको घाटा हो रहा है ।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

4859. श्री गणेश घोष : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड में बनाये जाने वाले उपकरण यथा लैवल डम्पी, प्रेशर गेज की बाजार में बहुत मांग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे उपकरणों के निर्माण को बिल्कुल बन्द करने के लिये आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) इंजीनियरी उद्योगों में, विशेषकर औजार निर्माण करने वाले उद्योगों में सामान्य मंदी आ जाने के कारण नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि० द्वारा बनाये जाने वाले लेवल डम्पी, प्रेशर गेजिस आदि का विक्रय कम हो गया है और माल जमा हो गया है । अतः समवाय ने फिलहाल डम्वी लैवल, इंजीनियर्स लेवल्स और प्रिसमैटिक कम्पासिस का उत्पादन बंद कर दिया है ।

संवर्ग पद (अनुसचिवीय)

4860. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में संवर्ग पद (अनुसचिवीय) के चयन के लिये 1964 में 25 व्यक्तियों की एक तालिका अन्तिम रूप में तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसा चयन करने के लिये कितने उम्मीदवारों को भेंट के लिये बुलाया गया था;

(ग) यह चयन किस तारीख को किया गया था;

(घ) क्या अन्तिम रूप में तालिका तैयार की जाने के पश्चात् उसमें नये नाम जोड़े गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो कितने नाम जोड़े गये थे तथा ऐसा करने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) चूंकि वर्ग, वेतनक्रम तथा उत्तर रेलवे के उस मण्डल/कार्यालय विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है जहां चुनाव हुआ था, इसलिए उस पैनल के ब्यौरे का पता लगाना संभव नहीं हो सका है जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया है ।

रेलवे में चोरी के मामले

4861. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री दामानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 के दौरान भारतीय रेलवे में कुल कितनी चोरिया हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि में प्रतिकर के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या सरकार माल की चोरी का बीमा करने की वांछनीयता पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भारतीय रेलों पर 1965–66 और 1966–67 में क्रमश: 1854 1986 चोरियों की रिपोर्ट मिली ।

(ख) 1965–67 और 1966–67 में चोरी और उठाई-गीरी से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के दावों के कारण क्रमश: 1,91,07,256 रुपये और 2,43,53,896 रुपये का भुगतान किया गया ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चलचित्रों का निर्यात

4862. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्रति वर्ष कितने भारतीय चलचित्र दिखाये जाते हैं; और

(ख) इन चलचित्रों से भारत को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेशों में प्रति वर्ष प्रदर्शित की गयीं भारतीय फिल्मों की संख्या से सम्बन्धित ठीक-ठीक जानकारी तो नहीं रखी जाती, पर 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 में तथा अप्रैल, 1966 से जनवरी, 1967 तक निर्यात की गयी फिल्मों की संख्या क्रमश: 404,70, 472,40 तथा 35 है।

(ख) वर्ष 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1955-66 तथा अप्रैल, 1966 से जनवरी, 1967 तक के दौरान फिल्मों के निर्यात का मूल्य क्रमशः 145.74, 212.82, 198.69, 170.38 तथा 113.65 (लाख रुपये में) था।

Machine Tools Manufacture in Public Sector

4863. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open an other factory in the public sector during the Fourth Five Year Plan in view of the progress and performance of H. M. T. in manufacturing the machine tools in the country; and

(b) if not the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) It has been decided to set up during the Fourth Plan period, a factory at Ajmer in Rajasthan State for the manufacture of various types of Grinding machines. A new Government Company, Styled Machine Tool Corporation of India Private Ltd. has been incorporated to manage this project. The establishment of this factory is in addition to the expansion Schemes of Hindustan Machine Tools Ltd. which are under consideration.

(b) Doee not arise.

Manufactnre of Drilling Rigs

4864. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a scheme to open factaries for manufacturing machines like drilling rigs, pumping sets for the purpose of irrigation and other agricultural implements in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir, There is no such proposal. Drilling rigs are included in the programme of manufacture of the Heavy Engineering Corporation Ranchi which is a Central Government undertaking. Water pumping sets for irrigation are manufactured by a large number of units in the country. Similarly agricultural tmplements are being manufactured by various units.

(b) Does not arise.

डी० बी० के० रेलवे

4866. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेलवे पर झारसुगुडा से तितलगढ़ तक डी० बी० के० रेलवे लाइन को दुहरा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना कब तक आरम्भ की जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) झारसुगुडा और टिटलागढ़ के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

गुजरात में भूतत्वीय सर्वेक्षण

4867. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64, 1965–66 और 1966–67 में गुजरात में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसंधानों के फलस्वरूप अम्बाडोंगर तथा मंडाली में क्रमश: फ्लोरस्पार तथा चूना पत्थर के निक्षेपों का पता चला है । इसके अतिरिक्त अम्बामाता में तांबा अयस्क के आशाजनक खण्डों का पता लगा है । फ्लोरस्पार के 11.6 मिलियन टन तथा चूना पत्थर के 509 मिलियन टन, जिसमें 85 प्रतिशत कैलशियम कारबोनेट है, संचयों का अनुमान है । तांबा के दो आशाजनक संदर जो 2.49 और 1.2 मीटर चौड़े हैं व्यधन के समय एक दूसरे को काटते हुए पाए गये हैं । और अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

दिल्ली से सीधे पुरी जाने वाले डिब्बे में भीड़-भाड़

4868. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से सीधे पुरी जाने वाले तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बहुत भीड़-भाड़ होने के कारण स्थान रक्षित कराने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस डिब्बे में यात्रियों की सुविधाओं की देखभाल करने के लिये किसी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली और पुरी के बीच तीसरे दर्जे का कोई सीधा सवारी डिब्बा नहीं चलता। लेकिन, दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला डिब्बा चलता है जिसमें भीड़-भाड़ की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस डिब्बे के तीसरे दर्जे में 500 कि० मी० से अधिक दूरी के यात्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और ऐसे आरक्षण की संख्या बहुत कम होती है।

(ख) दो दर्जों के ऐसे मिले-जुले सवारी डिब्बों में परिचर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) गार्ड/कण्डक्टर गार्ड और टिकट जांच कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं कि डिब्बे में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा भीड़-भाड़ तो नहीं होती।

गुजरात में औद्योगिक लाइसेंस देना

4869. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अपने उपक्रम स्थापित करने के लिये पिछले पांच वर्षों में उद्यमकर्त्ताओं को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये;

(ख) उनमें से कितने लाइसेंस वापस लिये गये थे अथवा वापिस कर दिये गये; और

(ग) इस समय औद्योगिक लाइसेंसों के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और सम्बन्धित पक्षों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) गत पांच वर्ष में अर्थात् 1962 से 1966-67 तक गुजरात में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये उपक्रमियों को 81 लाइसेंस दिये गये थे।

(ख) 81 लाइसेंसों में से 19 लाइसेंस या तो रद्द कर दिये गये अथवा वापिस कर दिये गये।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों के लिये इस 77 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। सम्बन्धित कम्पनियों के नामों की एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये, संख्या एल० टी० 950/67]**

रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा

4870. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या रेलवे मंत्री 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा के प्रांगण का क्षेत्रफल कितना है और उसमें व्यापक उद्यान का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) रेलवे स्टाफ कालेज के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है जिनके लिये परेड ग्राउन्ड की भूमि अर्जित की जा रही है;

(ग) क्या वर्तमान प्रागंण में परेड ग्राउन्ड बनाया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परेड ग्राउन्ड के लिये 1963 में भूमि अर्जन के लिये जो कार्यवाही आरंभ की गई थी, उसका निर्णय होने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 55.7 एकड़।

(ख) इस समय 110, भविष्य में 170।

(ग) से (ङ) स्टाफ कालेज के अहाते में उपलब्ध जगह परेड मैदान सम्बन्धी तुरन्त तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है कोई निर्णय शीघ्र कर लिया जायेगा।

गुजरात में हथकरघे की वस्तुओं का उत्पादन

4871. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में गुजरात में कुल कितने मूल्य के हथकरघा के कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में धागे की कितनी खपत हुई; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में राज्य में हथकरघा उद्योग का विकास करने के लिये गुजरात को कुल कितनी रकम दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 4.40 लाख रुपये।

रैड ऑक्साइड कारखाने

4872. श्री शिंकरे : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार, रैड-औक्साइड के कितने कारखाने हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) इन कारखानों द्वारा रैड-औक्साइड का कितना निर्यात किया जाता है और उससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है;

(ग) क्या कारलिम-गोआ स्थित रैड-औक्साइड कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो अब तक कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(घ) क्या इस रैड-औक्साइड कारखाने के मालिक को विदेशों से, जिसमें जापान भी शामिल है भारत में तैयार रैड-औक्साइड तथा 'क्वेकर' की सप्लाई करने के सम्बन्ध में क्रयादेश मिले हैं; और

(ङ) क्या मालिक को अपने कारखाने का विस्तार करने तथा रैड-औक्साइड का निर्यात बढ़ाने के मामले में सरकार आवश्यक सुविधायें देगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में औद्योगिक बस्ती

4873. श्री शिंकरे : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में औद्योगिक बस्तियों की संख्या कितनी है और उनके अन्तर्गत किस प्रकार के कारखाने हैं;

(ख) उन कारखानों में कुल कितने श्रमिक हैं;

(ग) क्या गोआ की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गोआ के कुछ छोटे उद्योगपतियों ने सरकार से बिजली की दरें कम करने और लम्बी अवधि के लिये कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी क्योंकि सीमित धन होने तथा प्रोत्साहन की कमी के कारण अभी तक बहुत कम गोआनियों ने उद्योग स्थापित करने का साहस किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) गोआ, दमन और दीव के प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका को नकली बालों (विग्गों) का निर्यात

4874. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अमरीका की एक फर्म को नकली बाल भेजने का ठेका लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली बाल बनाने का एक कारखाना मद्रास के पास स्थापित किया गया है;

(घ) क्या अगले सात वर्षों में लगभग 17 करोड़ रुपये के क्रयादेशों को पूरा किया जायेगा; और

(ङ) क्या एक किलो बाल के निर्यात से उतनी ही आय होगी जितनी एक किलो चांदी के निर्यात से होती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने एक सार्वजनिक सीमित समवाय मैसर्स फैशन ट्रैस्स फ्लोरिडा, सं० रा० अमरीका के साथ एक सात वर्षीय करार किया है । उक्त समवाय ने पहले वर्ष अर्थात् 1967 के दौरान कम से कम 15 लाख डालर मूल्य के मानव बाल उत्पाद खरीदने का तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा इस कार्य को करने के तीन वर्षों में उसे 40 लाख डालर तक बढ़ा देने की प्रत्याभूति दी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, हां ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन

4876. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 की तुलना में वर्ष 1966–67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन कारखानों में से प्रत्येक ने श्रेणीवार कितने टन तथा कितने मूल्य का इस्पात का सामान बनाया और कितने टन तथा कितने मूल्य के सामान की सप्लाई की;

(ख) वर्ष 1966–67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इन तीन कारखानों में इन श्रेणियों के माल के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उनमें वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इन तीन कारखानों में अप्रैल और मई, 1967 में आयोजित अथवा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तव में कितना उत्पादन हुआ और कितना सामान सप्लाई किया गया;

(घ) यदि निर्धारित लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन कम हुआ है तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1967-68 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इन तीन कारखानों में उत्पादन और बिक्री का प्रत्याशित लक्ष्य कितना रखा गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Nepa Paper Mills

4877. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of setting up "Nepa Paper Mills" assurance was given to give preference to the local people over persons from the other places in the matter of appointments in the Mills according to their qualifications;

(b) if so, the total strength of staff in the Mills as on the 31st March, 1967;

(c) the number of employees belonging to East Nimar District out of them;

(d) the number of employees belonging to State other than Madhya Pradesh; and

(e) the number of employees belonging to Madhya Pradesh ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Nepa Mills was originally planned and set up in Private Sector and it was only in the end of 1958 that the Central Government got majority share holding in it. We are not aware of any such assurance as referred to by the Member.

(b) Total strength of staff in the Mills as on 28-2-1967, was 1534.

(c) to (e) The information asked for is not available with the Government.

Railway Doctors in Patna

4878. Shri Ramavtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the workers of Bharat Sewak Samaj Patna have drawn the attention of the concerned Railway Doctors towards permission granted by them in complicity with other officials in allowing rotten fish to be sent to Patna City;

(b) whether cholera and other diseases are spreading due to the consumption of these rotten fish; and

(c) if so, the immediate steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Government have no information.

(c) Does not arise.

Black-Marketing in Refreshment Rooms at Station of N. E. Railway

4879. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that black-marketing is rampant in the refreshment rooms at Samastipur, Barauni and Bhagalpur Railway Station of the North Eastern Railway;

(b) whether it is also a fact that some officials of these refreshment rooms have acquired property worth lakhs of rupees by unfair means; and

(c) if so, the steps Government propose to take to end this black-marketing ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Samastipur and Barauni Railway Stations are on the North Eastern Railway and Bhagalpur Railway Station is on the Eastern Railway. No instance has come to notice at any of these stations.

(b) No case has come to notice.

(c) Does not arise in view of the answer to part (a) above.

गोआ से चलने वाली रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

4880. **श्री शिंकरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोआ में गाड़ियों की गति बहुत कम होने तथा स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने में समय नष्ट होने के कारण गोआ से बम्बई जाने वाले बहुत से यात्री बेलगाम तक बस से और आगे पूना जाने वाली गाड़ियों में यात्रा करना पसन्द करते हैं;

(ख) क्या गोआ के स्वतंत्र होने के बाद रेलगाड़ियों की रफ्तार और उनके स्टेशनों पर रुकने के बारे में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों की रफ्तार, स्टेशनों पर सुविधाओं, यार्डों और प्लेटफार्मों के विस्तार की अविलम्ब आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी हैं ।

(ग) कैसल राक और कोल्लम के बीच घाट खण्ड पर तेज ढलान के कारण रेल-पथ और कर्षण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने की अधिक गुंजाइश नहीं है । गोआ सहित दक्षिण-मध्य रेलवे में यात्री सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति की सलाह से औचित्य के अनुसार उनकी व्यवस्था की जाती है । इसी प्रकार, यार्ड आदि के विस्तार के सम्बन्ध में भी जांच की जाती है और यातायात की आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता को देखते हुए जिन कार्यों का औचित्य होता है, उनके सम्बन्ध में कार्यवाई की जाती है ।

गोआ का मरगाव स्टेशन

4881. श्री शिंकरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोआ में मरगाव स्टेशन के रास्ते माल यातायात तथा यात्रियों का आवागमन काफी बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार ने उस स्टेशन के विस्तार तथा वहां की इमारतों आदि के नवीकरण के लिये कोई योजना तय की है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मागोआ स्टेशन पर माल यातायात में काफी वृद्धि हुई है लेकिन यात्री यातायात में नहीं।

(ख) यहां पर इससे एक बड़े माल गोदाम की व्यवस्था करने की योजना है।

(ग) 1968–69 के अन्त तक काम पूरा होने की सम्भावना है।

जयनगर और काठमाण्डू के बीच रेलवे लाइन

4882. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में जयनगर और काठमाण्डू के बीच रेलवे लाइन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ;

(ग) काठमाण्डू तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

काडी में दुर्गा काटन मिल

4883. श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि काडी (गुजरात) में दुर्गा काटन मिल गत दो वर्षों से बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा उन्हें पुनः रोजगार पर लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) मिल को बन्द करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त मिल के बन्द होने के वास्तविक कारणों का पता लगाने और उस मिल को फिर से चलाने के लिये एक समिति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 951/67]**

Water-Cooler at Khandwa Station

4884. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that there is no water-cooler at Khandwa Station which causes great hardships to the public in summer ;

(b) whether Government propose to provide a water-cooler there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, No water-cooler is at present provided at Khandwa Station but alternate arrangements for supply of cool water exist.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

Quota of Berth in Trains from Indore

4885. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a quota of only one sleeping berth has been fixed in the Second and Third Class eompartments for such passengers who board the train from Indore for Bombay, although there are two other cities, Burhanpur and Khandwa in East Nimar District of Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also fact that the passengers from Burhanpur and Khandwa have to face much inconvenience in going to Bombay ;

(c) if so, whether Government propose to increase this quota ; and

(d) if not, the reason therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. A quota of two third class 3-Tier sleeper berths has been given exclusively by No. 58 Pathankot Express for Indore passengers joining at Khandwa.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

Stoppage of Punjab Mail at Burhanpur Railway Station.

4886. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware of the great inconvenience caused to the citizens of Burhanpur while proceeding to Bombay and Bhopal due to the non-stoppage of Punjab Mail at Burhanpur Station ;

(b) whether Government propose to provide a stop for this train at the aforesaid Station ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Halts are already provided to 5 Down/6 Up Punjab Mails at Burhanpur Station.

(b) and (c) Do not arise.

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

4887. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of loan applications from the small-scale industrialists of Madhya Pradesh pending with all the Branches of the Apex Bank of Madhya Pradesh for decision thereon and the total amount applied for ;

(b) whether Governmennt are aware of the difficulties being faced by the small industries on account of paucity of funds ; and

(c) whether Governmet propose to advise the Reserve Bank to assist the Apex Bank of the State by granting short term and long term loans ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

B. G. Line from Samastipur to Narkatiaganj

4888. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the repiy given to Unstarred Question No. 26.6 on the 25th November. 1966 and state :

(a) whether the scheme for extending the broad-gauge Railway line from Samastipur to Narkatiaganj via Muzaffarpur has been finalised ; and

(b) if so, when the railway line would be laid ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Investigations have shown that conversion to broad gauge would not be financially justified. The proposal is, therefore, not being pursued at present.

Railway Accidents

4899. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 273 on the 31st March, 1967 and state :

(a) the object of the persons responsible for 32 accidents which were suspected to have taken place on account of sabotage during the last five years ;

(b) whether foreign agencies and political institutions were also considered responsible for these accidents ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Out of 32 cases, in 1 case the motive was to loot passengers' belonging. 8 cases were as a result of subversive activities of hostile Nagas. In 2 cases discharged railway gangmen and in 1 case a serving gangman were involved. 1 case of sabotage was committed by Adibasis and 2 cases by minor boys out of childish prank. In 12 cases motive could not be known and in 5 cases police have closed investigation by submitting final report as 'mistake of fact'.

(b) No.

(c) Does not arise.

चाय का निर्यात

4890. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :
डा० रानेन सेन :
श्री नंजा गौडर :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री क० कु० नायर :
श्री भारतसिंह चौहान :
श्री बृजराजसिंह-कोटा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद चाय उद्योग का निर्यात बहुत कम हो गया है ;

(ख) अवमूल्यन के बाद से अब तक चाय के निर्यात में कुल कितनी कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। 1966-67 की अपेक्षा चाय का निर्यात लगभग 54 लाख किग्रा० कम हुआ। यह कमी विभिन्न कारणों के इकट्ठे प्रभाव के परिणामस्वरूप आई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण ये थे :—

(1) अवमूल्यन के पश्चात् चाय बाजार में विद्यमान कुछ अनिश्चित परिस्थितियां,

(2) सोवियत रूस तथा संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा चाय का कम मात्रा में मंगाया जाना ;

(3) अवमूल्यन के तत्काल बाद मध्यम तथा कम मूल्य की चाय पर 2 रु० प्रति किग्रा० की समान दर पर अपेक्षतया अधिक निर्यात शुल्क का लगाया जाना ;

(4) चाय बागानों, परिवहन सेवाओं तथा कलकत्ता गोदियों पर श्रमिकों द्वारा हड़तालें तथा उनके द्वारा अपनाई गई धीरे काम करने की कार्यरीति, जिसके फलस्वरूप कलकत्ता में चाय के आने तथा निर्यातकों को उसके भेजने की व्यवस्था में बाधा पड़ना; और

(5) आन्तरिक खपत में वृद्धि ।

निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है :—

(1) समान दर पर निर्यात शुल्क लगाने के बजाय नवम्बर, 1966 में खण्ड-सह मूल्य प्रणाली पर आधारित शुल्क लगाया गया । इसके फलस्वरूप मध्यम तथा कम मूल्य की चाय के निर्यातकों को काफी राहत मिली ।

(2) 1967–68 के बजट प्रस्तावों में प्रस्तावित निर्यात शुल्क की नई मूल्यानुसार दरों के अन्तर्गत देय निर्यात शुल्क पर 24 पैसे प्रति किग्रा० की छूट दी गई है । इससे न केवल निर्यात की जाने वाली चाय पर निर्यात शुल्क में ही और अधिक राहत मिलेगी अपितु शुल्क के निर्धारण तथा आरोपण में भी आसानी हो जायेगी ।

(3) पेय के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिये संयुक्त आन्दोलनों में भाग लेने और विदेशों में भारतीय चाय की ख्याति बढ़ाने के लिये एक देशीय प्रयास, दोनों ही रूपों में चाय बोर्ड के विदेशों में संवर्द्धनात्मक कार्य जारी रहे तथा उन्हें जोर-शोर से तीव्र किया गया है । संयुक्त संवर्द्धनात्मक आन्दोलन ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में आयोजित किये गये । विदेशों में भारतीय चाय की ख्याति को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में ये शामिल हैं : प्रदर्शनियों में भाग लेकर उपभोक्ता नमूने बांटना, विभागीय भण्डारों, प्रमुख होटलों और महत्वपूर्ण सामाजिक उत्सवों में प्रचार और प्रदर्शन, समाचार पत्र तथा रेडियो के द्वारा विज्ञापन, प्रमुख चाय निर्माता और पैकरों द्वारा भारतीय चाय के पैकिटों को बढ़ावा दिलवाना, उचित जनसम्पर्क आदि बनाए रखना । इनकी पद्धति विभिन्न देशों में अलग अलग होती है ।

(2) निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के लक्ष्य को पूरा करने का दीर्घावधि उपाय उत्पादन में वृद्धि है । इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हुये सरकार ने चाय बागान-उद्योग को विभिन्न रियायतें दी हैं जैसे नए बाग लगाने तथा पुनर्रोपण के लिये विकास भत्ता, किराया-खरीद आधार पर चाय की मशीनों का सम्भरण और छोटे चाय उगाने वालों में सहकारी समितियों के निर्माण को बढ़ावा देना ।

मध्य प्रदेश में माल डिब्बों का अभाव

4891. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशपालसिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग भारी संकट में है क्योंकि माल डिब्बों के न मिलने के कारण वहां कोयला बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

निर्यात संवर्द्धन परिषदें

4892. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन परिषदों के कार्य के पुनर्विलोकन के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां । निर्यात संवर्द्धन परिषदों की कार्य के पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन 1-9-1965 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(ख) प्रतिवेदन में निर्यात संवर्द्धन परिषदों की संगठनात्मक व्यवस्था तथा संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें की गई हैं । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार का संकल्प लोक सभा के पटल पर 25 फरवरी, 1966 को रखा गया था ।

(ग) सम्बद्ध अभिकरणों को उनसे सम्बद्ध सुझावों/सिफारिशों को कार्यान्वित करने का परामर्श दिया गया है । ऐसी सिफारिशों पर, जिन पर सरकार को कार्यवाही करनी है, कार्यवाही आरम्भ करदी गई है । काफी सिफारिशों पर निरन्तर अथवा लम्बी अवधि तक कार्यवाही की आवश्यकता है, अतः इन्हें कार्यान्वित करने में समय लगेगा ।

चमड़े के माल का निर्यात

4893. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमड़ा कमाने के उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि चमड़े के तैयार माल का निर्यात बढ़ाया जा सके ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह : ई० आई० कमाई हुई खालें तथा चमड़ियों, जिसमें ई० आई० कमाया हुआ चमड़ा भी शामिल है, के निर्यात की देखभाल करने के लिये चमड़ा निर्यात सम्वर्द्धन परिषद्, मद्रास की स्थापना और अन्य चमड़ों तथा चमड़े के माल के निर्यात सम्वर्द्धन का कार्य करने के लिये समापित चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन परिषद्, कानपुर की स्थापना करने के अलावा, तैयार रूप में चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए चमड़ा कमाई उद्योग के विकास हेतु निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :—

(1) कच्ची खालों के निर्यात पर पाबन्दी है ।

(2) पपरा (जो भेड़ की चमड़ी के कुल उत्पादन के 1 प्रतिशत से भी कम है) को छोड़कर भेड़ की चमड़ी के निर्यात पर भी पाबन्दी है ।

(3) 1-6-1959 से बकरे की कच्ची चमड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध है और निर्यात कोटे को क्रमशः घटाया जा रहा है ।

(4) अवमूल्यन के पश्चात कच्ची खालों तथा चमड़ियों और चमड़ा कमाने के वनस्पति तथा संश्लिष्ट माल के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है ।

(5) चमड़ा तथा चमड़ा माल उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है और कच्चे माल, फालतू पुर्जे आदि के लिये उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

(6) चमड़े के माल और जूतों आदि के निर्यात को 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क से मुक्त किया गया है ।

(7) निर्यात के लिये बनने वाले माल में जो अत्यावश्यक सामान लगता है उसके आयात के लिये पुनःभरण लाइसेंस दिये जाते हैं ।

(8) चमड़ा तथा चमड़े के माल सम्बन्धी उद्योगों के लिये एक विकास परिषद् कार्य कर रही है जो इन उद्योगों की प्रगति तथा विकास की देखभाल करती है ।

(9) निर्यात के लिये चमड़े के जूतों आदि के कारखाने स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ।

यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी के सदस्य देशों को निर्यात

4894. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी के सदस्य देशों को भारत के कुल निर्यात में किंचित मात्र भी प्रगति नहीं हुई है, जबकि चीन, पाकिस्तान और जापान जैसे देश इन देशों को अपने माल की बिक्री बढ़ाने में सफल हुए हैं ; और

(ख) इन देशों के साथ भारत का निर्यात व्यापार न बढ़ने के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये पिछले तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हाल के वर्षों में आर्थिक समुदाय के देशों को भारतीय निर्यात में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं आया है, यद्यपि 1965-66 की तुलना में 1966-67 में हमारे निर्यात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है (11.64 करोड़ डालर की तुलना में 11.95 करोड़ डालर) हाल के वर्षों में जिन कारणों से चीन, पाकिस्तान और जापान से इन देशों को हुए निर्यात में वृद्धि हुई है वे प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न हैं। जनवादी चीन के सम्बन्ध में, उसकी व्यापार पद्धति और राजनैतिक कारणों को ध्यान में रखना चाहिये । जिनके कारण उसके साथ व्यापारिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है । जापान अत्यधिक औद्योगिक तथा निर्यात अभिमुख देश है और उसके तथा भारत के निर्यात निष्पादन के मध्य कोई तुलना नहीं का जा सकती । पाकिस्तान के सम्बन्ध में बात यह है कि वर्ष 1966 में उसके द्वारा किये गये आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप वह गत वर्षों में हुई कमी को केवल पूरा ही कर सका है । यह प्रमुखतः कच्चे पटसन के भाव ऊंचे होने के कारण हुआ जिसका निर्यात समुदाय के बाजारों को उसके द्वारा किये गये कुल निर्यात का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग है ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारत के निर्यातों को कई टैरिफ तथा गैर-टैरिफ प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता है जिनसे इस क्षेत्र के साथ व्यापार पर प्रभाव पड़ता है । यूरोपीय आर्थिक समुदाय में बहुत बढ़िया माल की ही मांग होती है एवं प्रतियोगिता भी बहुत है । अपने निर्यात को सुधारने के लिये किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) हमारे निर्यात पर विद्यमान टैरिफ एवं गैर-टैरिफ प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में इसी प्रयोजन से प्रयत्न किये गये हैं ;

(2) विकसित अर्थ व्यवस्था वाले बाजारों में विकासशील देशों के निर्यात को विशेष टैरिफ व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु प्रयासों को बढ़ाना जिससे कई अपरम्परागत वस्तुओं के विपणन में पर्याप्त सहायता मिलेगी ;

(3) हमारे प्रमुख निर्यात उत्पादों तथा ऐसे उत्पादों के संबंध में जिनके निर्यात की पश्चिमी यूरोप में सम्भावना है, यूरोप के बाजारों के सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना;

(4) भारत से निर्यात के लिये प्राप्य माल की श्रेणियां तथा किस्में पश्चिमी देशों के उपभोक्ताओं को दिखाने के लिये संगठित व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(5) इन देशों के व्यापार संगठनों के सक्रिय सहयोग से गोष्ठियां तथा "भारत सप्ताहों" को आयोजित करना जिससे आयातकों तथा उपभोक्ताओं को भारत की निर्यात क्षमता का पता चल जाये और उन क्षेत्रों का ज्ञान हो जाये जिनमें निर्यात सम्वर्द्धन सम्बन्धी कार्यों से यथासम्भव कम समय में अधिकतम फल प्राप्त हो सके; और

(6) खास खास क्षेत्रों में हमारे निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये और यूरोपीय फर्मों से क्रयादेश प्राप्त करने के लिये व्यापारियों के दौरे ।

Small Scale Industries

4895. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recieved complaints regarding the difficulties experienced by small-scale industries;

(b) if so, the steps taken to remove those difficulties; and

(c) the action being taken to give protection to small-scale industries vis-a-vis the large-scale industries ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The small scale industries generally complain of the shortage of finance and raw materials ?

(b) Several steps have been taken by Government to remove the financial diffical-ties of the Small scale industries. The following Government and institutional agencies are providing different types of assistance to small seale enterprises :—

I. **Long & Medium Term :**

1. State Directors of Industries.
2. State Financial Corporations.
3. National Small Industries Corporation (through supply of machinery on hire-purchase).
4. State Bank of India.

II. **Short Terms :**

1. State Bank of India
2. Commercial Banks.

Besides advansing short-term loans to the small scale units to meet their working capital requirements, the State Bank of India and certain Commercial banks are also operating schemes of medium-term loans for the benefit of small industrial units.

The assistance by various agencies to the small units in growing year by year. The State Bank has recently taken steps to afford more facilities to the small scale industries to meet their financial requirements. At a recent Conference of the State Financial Corporotions held in Srinagar, the Governor of Reserve Bank of India specially mentioned about the difficulty of the small scale industries and requested the State Financial Corporations to extend as much help as possible to small units.

In regard to raw materials, as a result of the liberalisation of policy for import of steel and other raw materials from the year 1966-67 for actul users in the small scale sector, the small units engaged in priority industry are entitled to import raw materials to meet their requirements in full. The small scale units engaged in in-priority industries are also issued import licences for 1966-67 on a more liberal basis than what they were getting during the earlier years.

(c) The steps taken by the Government to protect small scale industries vis-a-vis large scale industries include (a) demarcation of spheres of production between sectors, (b) reservation of certain items for exclusive production in the small scale sector, (c) coordinated development of large and small industries whereby, the latter would work is

ancillaries to the former, (d) concessions in exciese duties to small scale units, (e) supply of power at concessional rates to small scale units, (f) price preference to small scale units in Governments purchases etc.

टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता

4896. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या रेलवे मंत्री 7 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता देने के सम्बन्ध में मजदूरों के संगठनों के साथ हुई बातचीत के परीणामस्वरूप किये गये निर्णयों को अब कार्य रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1967 में रेल प्रशासनों को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये थे कि रात में ड्यूटी करने के भत्ते का लाभ टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों को दिया जाये बशर्ते काम के घटे के विनियमों के अधिन वे निरन्तर या श्रमसाध्य काम से सम्बन्धित रोस्टर में रखे गये हों। रेलें इन आदेशों पर अमल कर रही है।

Introduction of Special Trains

4897. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to introduce some special railway trains for nearby places like Meerut, Hapur, Palwal, Gurgaon, Sonepat etc. with a view to avoid accommodation difficulty in Delhi;

(b) whether he has received any memoranda for running a Ghaziabad-Delhi shuttle from Hapur in view of the great difficulties being faced by the passengers coming daily from Hapur early in the morning;

(c) if so, whether the question of giving facilities, i. e. halting this train at Hapur Station, is also under consideration; and

(d) if so, the time by which a decision would be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Introduction of additional trains in Delhi area on different sections is under examination of the Railways and additional facilities therefor have been planned.

(b) Yes.

(c) and (d) Besides lack of traffic justifiction, extension of Ghaziabad-Delhi shuttle to and from Hapur has not been found operationally feasible for want of terminal facilities at Hapur. Provision of terminal facilities at Hapur was considered but has not been found justified at persent.

Derailment near Hyderabad

4898. Shri Hukam Chand Kachawai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a train was derailed near Hyderabad sometime in March. 1967 due to the removal of fish plates; and

(b) whether Government have apprehended the persons involved; and

(c) if so, the details therefor ?

The Minister of Railaws (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. There was no train accident of any kind near Hyderabad during March. 1967.

(b) and (c) Do not arise.

Stoppage of Assam Mail at Shahdara

4899. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railaws** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Shahdara and Ghaziabad have requested the Railawy Administration for the stoppage of Assam Mail at Shahdara between 4.12 p. m.; and 5.45 p. m.;

(b) whether it is also a fact that a large number of persons and students go to Ghaziabad for service and study from here and they are experiencing difficulty due to non-stoppage of the train there; and

(c) if so, the steps taken in this connection ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) 29 Up trains, including No. 372 Dn. and 3 MD. arriving Delhi Shahdra at 16.45 hours and 16.28 hours respectively, are by and large edequate for the passengers trevelling from Ghaziabad to Delhi Shahdara. Stoppage of 55 Up Assam Mail, a long distance fast service, there, is, thus, not justified.

Derailment near Barauni

4900. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railaws** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three wagons of goods train were derailed at Eastern Cable near Bachhwara Station near Barauni as reported in the Hindustan, dated 25th March, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the loss of life and property as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the accident in which 11 wagons of No. 957 Up Express Goods train derailed near the east cabin of Bachhwara Station on 24.3.1967.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) No one was killed or injured in this accident. The cost of damage to railaw property was estimated at approximately Rs. 1483-

Trade Agreement with Tanshaina

4901. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a trade agreement has been entered into between India and Tanzania;

(b) if so, the names of the commodities which will be exchanged between the two countries; and

(c) the terms of the agreement ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The major items of import from Tanzania into India are Cashewnuts, Sisal hemp and fibre, Dyeing and Tanning substances, Ivory Unmanunfactured, Copra, Cloves, Non-ferrous-Metal Scrap, Raw Cotton, Hides and Skins and Animal Vegetable Oils. The major items of export from India to Tanzania consist of Textiles, Food and Beverages, Agricultural products, Chemicals Products & Soaps, Rolled Steel products, Engineering Goods, Electrical Goods, Household and Building Requirements Hardware, Rubber Manufactures, Leather Manufactures including artificial leather goods, Handicrafts and Cottage industry products, and Misc. Goods, such as Coir and Coir products, Footwear, Tents, Tarpaulin and Canvas, Razor Blades, Fountain pens, Plastic Goods, Books and printed matters, Lacs and Shellac etc.

(c) The Trade Agreement will remain in force for a period of two years from the 24th January, 1966, the date of its conculsion, and will continue in force for a further period of two years thereafter, subject to such modification as may be agreed upon.

It seeks to promote closer trade and economic relations between India and Tanzania to the mutual benfit of both countries.

Accident to Good Train near Kadavakuduru

4902. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukan Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train met with an accident near Kadavakuduru Railway Station in Vijayawada Trigunta region on the Hyderabad Deccan, Central Railway as reported in the Nav Bharat Times dated the 27th April, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the loss of life and property caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. On 26.4.1967 at about 1.33 hours while No. 1716 Up diesel goods was running through Kadavakuduru Station 8 wagons on the train derailed and 10 wagons capsized.

(b) The accident was due to breakage of left leading journal of a wagon of the train.

(c) In this accident no one was killed. However, 2 Railway employees sustained minor injuries. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,67,171.60.

अलौह धातुओं का प्रयोग

4903. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 7 सितम्बर 1966 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक तथा वाणिज्यिक शब्दों की पुनर्परिभाषा की है और उन्हें ताँबे तथा पीतल के माल की किस्म के साथ सम्बद्ध न करके वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) औद्योगिक किस्म की वस्तुओं के स्नानागार में लगाई जाने वाली वस्तुओं तथा सीढ़ियों आदि के रूप में प्रयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) सीमिस निर्माण कर्ताओं द्वारा अनयस्य धातुओं के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के आवंटन के सम्बन्ध में 1962 में चादरों पत्तियों जैसे अनयस्य चपटे पदार्थों के बारे में औद्योगिक और वाणिज्यिक पदावलियों का प्रयोग किया गया । यह अन्तर विशेष रूप से इस प्रयोजन से किया गया था कि दी गई विदेशी मुद्रा को औद्योगिक प्रयोग के लिये बनाई गई सीमिस में बरता जाय और वाणिज्य श्रेणी सीमिस के उत्पादन को जो बर्तन बनाने, भवन के लिये लौह पदार्थ आदि में काम आता है नीचे से नीचे रखा जा सके । औद्योगिक पदार्थों में कोल्ड रोल्ड क्लोज टालरेंज पत्तियाँ, चादरें आती हैं जो कि अधिकतर इंजीनियरी उद्योगों में काम आती हैं । वाणिज्य पदार्थों में हाट रोल्ड चादरें, चक्कर आदि आते हैं और ये बर्तन, भवन के लिये लौह पदार्थ आदि कम आवश्यक वस्तुओं के बनाने में प्रयोग होते हैं ।

अनयस्य 'सेमी-फ्लैट' पदार्थों की विशिष्टियों ब्रिटिश स्टेंडर्डस तथा इण्डियन स्टेंडर्डस जैसी विभिन्न संस्थाएं बनाती है । ऐसा करते समय इन पदार्थों की भौतिक तथा रसायनिक गुणों तथा उस विशेष अनयस्य सीमिस के बनाने में छूट को ध्यान में रखा जाता है । प्रयोग करने वाला उद्योग जो सेमी के बनाने वालों को आर्डर देते हैं इनके अन्तिम प्रयोग की विस्तृत विशिष्टियां भी निकालता है । इस प्रकार के प्रयोग करने वाले उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है तथा किसी केन्द्रीय अभिकर्ता के लिये सीमिस के अन्तिम प्रयोग की विशिष्टयां बनाना वस्तुतः

असम्भव है। इसलिये विशिष्टियां धातुओं की रचना, आकृति, परिमाप, बाहरी आकार तथा उसके मुटाव और चौड़ाई पर स्वीकृत छूट को ध्यान में रख कर बनाई जातीं है।

(ग) सीमिस के वितरण पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है तथा निर्माता इसे वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को या अधिकृत अभिकर्ताओं और संचयकर्ताओं को बेच सकते हैं। 'कोल्ड-रोल्ड' चादरें और पत्तिये बनाने के लिये जो अधिकतर औद्योगिक प्रयोजनों के काम आती है अनयस्य धातुओं के निर्यात के वास्ते विदेशी मुद्रा अपेक्षाकृत और अधिक मात्रा में दी जाती है। हाट-रोल्ड चादरों के मुकाबले में, जो कि अनावश्यक पदार्थ जैसे बर्तन, घरेलु लौह भांड आदि, वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त होती हैं और जिसके लिये बहुत कम कोटा होता है,—कोल्ड-रोल्ड चादरों से बनाये हुए सेमिस अधिक लागत वाले होते हैं और इसी कारण कोल्ड-रोल्ड पदार्थो को अनानश्यक प्रयोगों में कम इस्तेमाल किया जाता है।

कोयले की मांग

4904. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग कम हो गई है;

(ख) क्या इस कमी के कारण चौथी योजना की अवधि में कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों को पुनरीक्षित किया गया है;

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कुल कितनी लागत आई और इसमें आयात पर कितना खर्च आया; और

(घ) चौथी योजना अवधि में इस पर कितना खर्च करने का विचार है और इसका कुल परिव्यय कितना है और इस में कितनी विदेशी मुद्रा का अंश होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेडी) : (क) नहीं महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कोयला उद्योग को आधुनिक बनाने के लिये ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम सरकार ने नहीं बनाया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ऐमोनियम सल्फेट के मूल्य

4905. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 7 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस के साथ करार करने से पहले ऐमोनियम सल्फेट, यूरिया तथा म्यूरियेट आफ पोटाश के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखा था; और

(ख) इन उर्वरकों के तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) संविदाओं के ब्यौरों को प्रकाशित करना राज्य व्यापार निगम के व्यापारिक हितों में ठीक नहीं है । मूल्य सर्वदा विभिन्न बातों के आधार पर तय किये जाते हैं जैसे विदेशी मुद्रा की प्राप्यता, पूर्ति के स्रोत, पैकिंग का ढंग अर्थात बड़ी पेटियों में या थैलों में, आयात की अविलम्बनीयता, सुपुर्दगी की अवधि आदि ।

लखीसराय रेलवे दुर्घटना

4906. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्टूबर 1965 को हुई लखीसराय रेलवे दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) क्या उस प्रतिवेदन में रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार प्रारम्भिक तथा अन्तिम दोनों प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रारम्भिक रिपोर्ट केवल एक संक्षिप्त विवरणात्मक रिपोर्ट है जिसमें अन्तिम निष्कर्ष दिये गये हैं ।

सरकार को जब रेल संरक्षा आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट जो विस्तृत होगी, मिल जायेगी और उसे इस बात का इत्मीनान हो जायेगा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप कोई मुकदमा दायर होने की सम्भावना नहीं है तो सरकार अंतिम रिपोर्ट को सभा पटल पर रख देगी ।

चाय वित्त और प्रत्याभूति निगम

4907. श्री यशपाल सिंह :
श्री सं० चं० सामंत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार ने एक पृथक चाय वित्त और प्रत्याभूति निगम बनाने के बारे में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केवल चाय उद्योग के लिये अलग से एक वित्तीय अभिकरण स्थापित करना, जिसका सुझाव दिया गया है, उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऊपरी खर्च अधिक होगा तथा चाय बागान मालिकों द्वारा अन्य स्रोतों से मिलने वाले ऋण अन्ततोगत्वा सस्ते नहीं पड़ेंगे। फिर भी चाय उद्योग को विकास प्रयोजनों के लिये ऋण प्राप्त कराने में सहायता देने के लिये सिद्धान्ततः यह निर्णय किया गया है कि चाय बोर्ड द्वारा चालू चाय बागान वित्त योजना का विस्तार किया जाये और चाय बोर्ड से मिलने वाले ऋणों के लिये पर्याप्त प्रत्याभूमि देने में चाय बागानों के मालिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपयुक्त रूप से इसके क्रियान्वित में सुधार किया जाये।

ढली हुई टीन की चादरों की कमी

4908. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल
श्री दामानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ढली हुई टीन की चादरों की भारी कमी है;

(ख) इश समय देश में कितनी चादरों का निर्माण किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक एककों को स्थापित कर के इन चादरों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेडी) : (क) जी हां।

(ख) आजकल देश में केवल टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ही जस्ती चादरें तैयार करती है। उनका मासिक उत्पादन 1800 टन के लगभग है। ऐसी आशा है कि जल्दी ही यह उत्पादन दुगुना हो जायेगा।

(ग) ऐसी आशा है कि सितम्बर 1967 के पश्चात जब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा जस्ते का आयात होने लगेगा तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। राउरकेला का कारखाना भी सितम्बर 1967 में जस्ती चादरों का उत्पादन करने लगेगा। ऐसा विचार है कि इस समय और अधिक क्षमता अधिष्ठापित करने की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन

4910. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त सभी फर्मों तथा/अथवा स्वामी समवायों (प्रोप्राइटरी कंसर्न) के औद्योगिक उत्पादन के बारे में कोई रिकार्ड रखने की कोई एजेंसी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) यह तकनीकी विकास का महानिदेशालय है जो औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4911. श्री दामानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम वर्ष 1965-66 के बराबर 1966-67 मैंगनीज अयस्क का निर्यात नहीं कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां :

(ख) निर्यात में गिरावट के कारण मुख्यतः निम्नलिखित हैं :—

(1) उपभोक्ता देशों के समीप पूर्ति के स्रोतों की उत्पत्ति ।

(2) उपभोक्ताओं की बद्ध खानों के उत्पादन में बढ़ोतरी ।

(3) तकनीकी उत्पति के फलस्वरूप इस्पात उत्पादन में मैगनीज अयस्क पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होना ।

(4) लौह मैंगनीज और इस्पात के उत्पादन में बृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क की आंतरिक मांग में बढ़ोतरी ।

तथा (5) मैंगनीज अयस्क की बिक्री के ढंग का वस्तु विनियमन को बजाय नकद बिक्री में बदला जाना ।

अखबारी कागज का निर्माण

4912. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय-पर्वत श्रेणी पर उगे देवदार के पेड़ों से अखबारी कागज तैयार करने के प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कारखाने लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वन अनुसंधान संस्था तथा कालेज देहरादून ने जमीनी लकड़ी की लुगदी के निर्माण के लिये हिमालय पर्वत के रुबीज पिनड्रो रोमले (सिलवर फिरा पर अनुसंधान किया है और यह कहा जाता है कि अखबारी कागज के उत्पादन के लिये यह लकड़ी एक उपयुक्त कच्चा माल है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है जिसके लिये कच्चे माल के संभरण के लिये राज्य सरकार और भारतीय कम्पनी के बीच बातचीत चल रही है।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बैठक

4913. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1965 में व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक बैठक जनेवा में हुई थी;

(ख) बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई और यदि कोई निर्णय किये गये तो क्या; और

(ग) इसकी अगली बैठक कब होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (चतुर्थ अधिवेशन) के व्यापार तथा विकास बोर्ड की एक बैठक 30 अगस्त से 23 सितम्बर, 1965 तक जनेवा में हुई थी;

(ख) बोर्ड की बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें दो मुख्य विषय ये थे : व्यापार तथा विकास सम्बन्धी प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सिफारिशों पर किये गये कार्य की समीक्षा तथा व्यापार तथा विकास सम्बन्धी दूसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की तैयारियां। बोर्ड ने दूसरे सम्मेलन के लिए एक अन्तिम कार्य सूची का मसौदा स्वीकार किया और दूसरे सम्मेलन के लिए भारत सरकार का आतिथ्य स्वीकार करने का निश्चय किया।

(ग) व्यापार तथा विकास बोर्ड का पांचवां अधिवेशन जनेवा में 15 अगस्त से 8 सितम्बर, 1967 तक होगा।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप से रेलवे के कर्मचारियों का तबादला

4914. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जमालपुर रेलवे वर्कशाप से गत वर्ष हुए कुछ कर्मचारियों के तबादले के बारे में मुंगेर के प्रमुख नागरिकों की ओर से एक ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों के तबादले के आदेशों को वापस लेने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हां ।

(ख) जीं नहीं ।

रूई का मूल्य

4915. श्री दामानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उत्पादकों और सहकारी समितियों से रूई की कितनी गाठें प्राप्त की है और इससे रूई के भावों में कितनी गिरावट आई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : व्यापारियों तथा सहकारी समितियों से अब तक कुल मिलाकर कपास की 1,09,150 गांठों का अधिग्रहण किया गया है । कपास के अधिग्रहण और उसके साथ साथ कपास की उपलब्ध मात्रा के व्यवस्थित विपणन तथा समुचित वितरण के लिये किये गये अन्य उपायों का कपास के मूल्यों पर कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ा है चाहे वह यथेच्छ सीमा तक न हो । उत्पादकों से सीधे कोई अधिग्रहण नहीं किया गया ।

रेलवे मन्त्रालय में समितियां

4916. श्री दामानी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन कोई समिति या कुछ समितियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के सदस्य कौन कौन है और वे कब से काम कर रही है;

(ग) ऐसी समितियां क्या क्या और किस प्रकार के काम करेंगी;

(घ) वर्ष 1966–67 के दौरान ऐसी समितियों की कुल कितनी बैठकें हुई है; और

(ङ) इन समितियों ने किस प्रकार के सुझाव. संकल्प, प्रस्ताव और सिफारिशें सरकार को भेजी है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) जिन विभिन्न समस्याओं का रेलवे के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है उनका निपटारा करने वाली बिल्कुल तकनीकी और

विभागीय समितियों के अलावा अन्य संगठित समितियों और उनसे सम्बद्ध सूचना का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 952/67**]

बराकर स्टेशन पर गाड़ी का रूकना

4917. श्री देवेन सेन : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल–फील्ड एक्सप्रेस तथा सियालदाह पठानकोट एक्सप्रेस के अतिरिक्त पूर्व रेलवे के बराकर स्टेशन पर, जो औद्योगिक पट्टी में स्थित है, रात के समय 'अप' जाने वाली किसी भी गाड़ी के रुकने की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या पहले सभी महत्वपूर्ण गाड़ियां, जिनमें बम्बई मेल भी शामिल थी, बराबर स्टेशन पर रुका करती थी; और

(ग) क्या सरकार 9 अप, डाउन एक्सप्रेस तथा 61 अप जनता एक्सप्रेस के बराकर स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। बराकर से 309 अप कोल–फील्ड एक्सप्रेस गाड़ी के 20.37 बजे छूटने के बाद 375 अप बर्दवान–धनबाद सवारी गाड़ी के वहां रुकने का समय 21.50 बजे है।

(ख) जी नहीं। पिछले 20 वर्षों की समय सारणियों की जांच करने से पता चला है कि 3 अप बम्बई डाकगाड़ी कभी भी बराकर स्टेशन पर नहीं ठहरती थी।

(ग) 9 अप दून एक्सप्रेस और 61 अप जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को बराकर स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार किया गया लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया।

भिलाई इस्पात कारखाना

4918. श्री देवेन सेन : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में बहुत अधिक कर्मचारी 1957–58 से लेकर आज तक दैनिक मजूरी के आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित कर्मचारी बनाने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। भिलाई इस्पात कारखाने में 1957-58 से लेकर दैनिक मजदूरी के आधार पर कोई कर्मचारी नहीं रखा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

N. G. Line Between Shahdara-Saharanpur

4919. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some further programmes for making improvements on the narrow gauge line between Shahdara and Saharanpur have been implemented;

(b) whether it is a fact that there is a heavy passenger traffic on this line and the passengers have to experience great difficulties as a result of mismanagement there;

(c) whether any suggestions have been received for converting it into a broad gauge line; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) The number of passengers during the years 1964-65 and 1965—66 was 39, 21 294 and 40, 51, 097 respectively. No complaints regarding the working of this line have been received in the recent past.

(c) No.

(d) Does not arise.

Railway Employees Taking Part in Strike

4920. Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 863 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether Government have now received information regarding those Railway employees who took part in the 1960—Railway strike and were awarded punishment and whose punishments were condoned;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A statement giving information in regard to Unstarred Question No. 863 for 7th April, 1967 is laid on the table of the House. **[Placed in Library see No. L. T-953/67]**

(c) Does not arise.

Charges for Unloading of Goods

4921. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 829 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether the question regarding the revision of rates of charges for unloading goods from Goods trains has since been examined;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The charges have been revised with effect from 5th May, 1967. A comparative statement showing the previous and the revised charges is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L T-954/67]**

(c) Does not arise.

दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर जलपान-गृह

4922. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के पहले दर्जे के जलपान-गृहों में सोडा लेमन आदि तथा चीनी की गर्म चाय जैसी कुछ बुनियादी सुविधायें भी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर जलपान-गृहों में उस समय भी चीनी की चाय दी जाती रही जब अप्रैल, 1967 में चीनी के कोटे में भारी कटोती कर दी गयी थी। शीतल पेय भी सप्लाई किये जाते हैं, यद्यपि चीनी के कोटे में कटोती होने से निर्माताओं की कठिनाई के कारण सभी तरह के शीतल पेय उपलब्ध नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में उपरि/निचले पुल

4923. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश में, जिनका निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ऐसे प्रस्तावित ऊपरी तथा निचले पुलों का ब्यौरा तथा उनकी संख्या क्या है; और

(ख) इसी अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 1967 में चौथी योजना में निर्माण के लिए 17 ऊपरी/निचले सड़क पुलों की एक सूची भेजी है जिसमें प्रथम अग्रता दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण को दी गयी है-(i) एक कानपुर में जी० टी० रोड के समपार के बदले और (ii) दूसरा आगरा में, आगरा-जगनेर-तांतपुर रोड के समपार के बदले। सम्बन्धित रेलों ने पहले ही अपने निर्माण कार्यक्रमों में इन प्रस्तावों को

शामिल कर लिया है और 1967-68 में इस काम की लागत में रेलवे के हिस्से के रूप में 40,000 रुपये की रकम की व्यवस्था कर दी है।

1967-68 में किसी और ऊपरी सड़क पुल का निर्माण तभी हो सकेगा, जब राज्य सरकार आगे अग्रता निर्धारित करेगी और नक्शों, अनुमानों और रेलों और राज्य सरकारों के बीच लागत के हिस्से को भी अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश को आवंटित मालडिब्बे

4924. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये;

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश को कितने माल डिब्बों की आवश्यकता थी; और

(ग) यदि आवश्यकता से कम माल डिब्बे आवंटित किये गये तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) 1966-67 के दौरान कोयला ले जाने के लिये जिसमें साफ्ट कोक, हार्ड कोक और कोयले की अनियंत्रित श्रेणियां शामिल हैं, उत्तर प्रदेश को भेजे गये वैगनों की कुल संख्या 2,34,000 है।

(ख) अनियंत्रित कोयला। कोक की आवश्यकताओं के विषय में ठीक ठीक बताना संभव नहीं। जहां तक अनियंत्रित कोयले का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों और केन्द्रीय उत्तरदायी अधिकारियों ने साल के दौरान कुल 1,11,881 वैगनों की सिफारिश की और इस सारी मात्रा को स्वीकार कर लिया गया।

(ग) उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में कोयले की कमी नहीं हुई है।

खनिजों का निर्यात

4925. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में मुख्य खनिजों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ख) उनका निर्यात किन किन मुख्य विदेशी बाजारों को किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ग्यारह महीनों (अप्रैल, 1966–फरवरी, 1967) में प्रमुख खनिजों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा के मूल्य के साथ साथ उन प्रमुख विदेशी बाजारों के नाम दिये गये हैं जिनको ये निर्यात किए गये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 955/67]** मार्च, 1967 के लिये इसी प्रकार के ब्यौरे प्राप्य नहीं हैं।

रेल के माल डिब्बों का निर्यात

4926. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कुछ देशों को रेल के माल डिब्बों का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जिनको वर्ष 1967 में रेल के माल डिब्बे निर्यात किये जायेंगे, और

(ग) किन शर्तों पर तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1967 में (फरवरी तक जिसके लिये आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं) रेल के डिब्बों का, जिनमें कोच तथा इंजन एवं पुर्जे शामिल हैं, निर्यात बर्मा तथा केन्या को किया गया है । 1967 में हंगरी तथा श्री लंका को भी निर्यात किये जाने की आशा है ।

(ग) देश	निर्यात लाख रु० में	भुगतान विधि
(1) बर्मा	0.83	विदेशी मुद्रा के बदले में ।
(2) केन्या	14.60	विश्व बैंक ऋण के आधार पर भारतीय रुपये में भुगतान ।
(3) हंगरी (संविदा राज्य व्यापार द्वारा तय की गई)	255.00	भारत तथा हंगरी के बीच व्यापार तथा भुगतान करार के अनुसार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में आस्थगित भुगतान ।
(4) श्रीलंका (संविदा पर बातचीत चल रही है)	31.00	मूल्य नगद तथा आस्थागित भुगतान की शर्तों दोनों में बताया गया है ।

जोधपुर मेल के लिये सोने के स्थानों का आरक्षण

4927. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर मेल के प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बों में सोने के स्थानों के आरक्षण के लिये प्राय: प्रत्येक दिन एक लम्बी प्रतीक्षा-सूची होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जोधपुर के लिए एक और गाड़ी चालू करने का है; और

(ग) इस स्थिति को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली और जोधपुर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए यातायात की दृष्टि से पर्याप्त औचित्य नहीं है और न ही परिचालन की दृष्टि से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक है, क्योंकि मार्ग के कुछ खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और दिल्ली में पर्याप्त सुविधाओं की कमी है । फिर भी,

यात्रियों को आराम देने के लिए 93 अप/94 डाउन जोधपुर डाक गाड़ियों में 1-4-1967 से एक तीसरे दर्जे का सवारी डिब्बा जोड़ कर डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है ।

बागान जांच आयोग

4928. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान जांच आयोग, 1956 पर कुल कितना धन व्यय हुआ;

(ख) भारत तथा विदेशों में चाय के विपणन तथा कलकत्ता, कोचीन में दलालों की फर्मों के सम्बन्ध में इस आयोग की मूल सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) इन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 418,808 रुपये ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्थिति बताई गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 956/67]**

चाय बोर्ड के सामने निर्णय के लिये पड़े हुए ऋण आवेदन पत्र

4929. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिए तथा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चाय बागानों के मजदूरों के ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र चाय बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) ऋण सम्बन्धी ऐसे आवेदन पत्रों पर निर्णय करने के लिये अधिक से अधिक तथा कम से कम कितना समय लगता है;

(ग) ऋण देने के लिये कुल कितना धन है तथा उसमें से कितने धन का अभी प्रयोग नहीं किया गया है; और

(घ) इस ऋण में से कम-एकड़-वाले कितने चाय बागानों को धन दिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चाय क्षेत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में 63 आवेदन पत्र चाय बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़े हैं । बोर्ड के पास चाय बागानों के मजदूरों के हेतु मकान बनाने के लिए ऋण देने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) क्रमशः 12 और 181 दिन ।

(ग) 4.50 करोड़ रुपये, जिसमें से प्रयोग न किया गया कोई धन बाकी नहीं है ।

(घ) दस ।

इण्डिया यूनाइटेड मिल्स

4930. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, जिसके प्रबन्ध और वित्त की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार करती है, घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसमें 1965 और 1966 में कितना घाटा हुआ था;

(ग) घाटा होने के क्या कारण थे; और

(घ) घाटे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 957/67]**

आयात-निर्यात संयुक्त नियंत्रक

4931. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन में आयात निर्यात संयुक्त नियंत्रक का एक कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

साईडिंग और लाइन क्षमता

4932. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक, भुवनेश्वर और नेरगुंडी की साईडिंग और लाइन क्षमता को बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है, जिससे पारादीप बन्दरगाह से लोह अयस्क का निर्यात सुविधापूर्वक किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात

4933. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलायुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस आयातित सामग्री का उपयोग किये जाने के लिये, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Tractor Factory in Madhya Pradesh

4934. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government had selected Harpalpur, District Chhatrapur (Madhya Pradesh) for the setting up of a tractor manufacturing factory there; and

(b) if so, the reason for the delay in setting up the said factory ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No.

(b) Does not arise.

बाढ़ से खड़ और छितौनी के बीच रेलवे लाइन का खराब हो जाना

4935. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष बड़ी गंडक में भारी बाढ़ आने से पूर्वोत्तर रेलवे की लूप लाइन पर खड़ और छितौनी के बीच रेलवे लाइन बुरी तरह खराब हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन को इस वर्ष और भविष्य में ऐसी हानि से बचाने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) यह सही है कि छितौनी और खड्डा स्टेशनों के बीच 302/4 से 303/10 कि०मि० तक गत कुछ वर्षों में किये गये सुरक्षा संबंधी निर्माण-कार्यों को 1966 की बाढ़ में काफी नुकसान पहुंचा । लेकिन इसके कारण रेलवे लाइन को कोई क्षति नहीं पहुंची और इन स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों का आना-जाना कायम रहा ।

(ख) इस क्षति का कारण यह था कि रेलवे लाइन से नदी के चढ़ाव की ओर 4 मील की दूरी पर छितौनी बांध टूट गया । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उस स्थान पर पश्चवर्ती बांध बनवा रही है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्पर की व्यवस्था करा

रही है। रेलवे के बांध पर राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी दूसरे निर्माण-कार्य भी किये जा रहे हैं ताकि वह बाढ़-पुश्ते का काम दे सके।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रेस द्वारा प्रकाशित 'नई चेतना'

4936. **श्री नम्बियार :**
श्री चक्रपाणि :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री प० गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रेस में 'नई चेतना' नामक पुस्तिका छापी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पुस्तक के छापने पर कुल कितनी लागत आई है;

(ग) क्या छपाई लागत इसके लेखक ने दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो लेखक से मुद्रण की लागत वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) छपाई की कुल लागत 682.70 रुपये बनेगी।

(ग) हां, महोदय।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कपास का आयात

4937. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965, 1966 और 1967 में अब तक कपास का आयात करने के लिये कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) क्या ये लाइसेंस पिछली अवधि में किये गये आयात के आधार पर दिये गये हैं अथवा निर्यात के आधार पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) (करोड़ रुपयों में)

1965	1966	1967 (16 जून तक)
45.54	53.64	56.69

(ख) मिलों को आयातित कपास की उनकी खपत के आधार पर लाइसेंस दिये गए हैं। निर्यातक मिलों, नई स्थापित पात्र मिलों, जिनमें सहकारी कताई मिलें भी शामिल हैं, तथा रक्षा आवश्यकताओं के लिये भी नियतन किये गये हैं।

सूती कपड़े का निर्यात

4938. श्री मु० कु० तापड़िया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965, 1966 और 1967 में अब तक कितने मूल्य के सूती कपड़े अथवा कपड़े के थानों का निर्यात किया ग ा; और

(ख) निर्यात किये गये इन कपड़ों में कितने मूल्य की आयातित कपास प्रयोग में लाई गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965, 1966 और 1967 (जनवरी-फरवरी) में निर्यात किये गये सूती कपड़े, जिसमें कपड़े के थान भी शामिल हैं, का मूल्य क्रमश: 74.47 79.12 तथा 15.68 करोड़ रुपये था।

(ख) निर्यात किये गये कपड़े में जो अनेक किस्म के होते हैं तथा प्रत्येक किस्म में आयातित कपास का भिन्न-भिन्न अनुपात होता है, प्रयुक्त आयातित कपास के मूल्य का हिसाब लगाना कठिन है।

खुर्दा रोड स्टेशन पर विश्राम कक्ष (रिटायरिंग रूम)

4939. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड जंकशन पर कोई विश्राम-कक्ष नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जंकशन पर विश्राम-कक्षों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इस स्टेशन पर विश्राम–कक्ष की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं समझा गया हैं।

भारतीय रेलवे की वर्षगांठ

4940. श्री रवि राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने भारतीय रेलवे की 114वीं वर्षगांठ मनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष गांठ पर कितना धन खर्च किया गया तथा यह धन किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत खर्च किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत 39,300 रुपये

(i) क्षेत्रीय रेलों पर सांस्कृतिक समारोह और नयी दिल्ली में अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह ।	22,000 रुपये
(ii) रेल कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार और पदक	15,000 रुपये
(iii) रेल मंत्री की निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम ।	2,300 रुपये

मशीनों द्वारा यातायात सम्बन्धी हिसाब किताब निकालने की व्यवस्था

4941. श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री रमानी :
श्री चक्रपाणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की केन्द्रीय कर्मचारी परिषद् की 26 दिसम्बर, 1964 को हुई बैठक में उक्त परिषद के अध्यक्ष ने यह कहा था कि रिक्त स्थानों को इसलिये भरा नहीं जा सका, क्योंकि मशीनों द्वारा यातायात सम्बन्धी हिसाब-किताब निकालने की व्यवस्था के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना थी;

(ख) क्या रिक्त स्थानों को भरने की नीति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को कोई अनुदेश दिये गये थे;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग की केन्द्रीय कर्मचारी परिषद् की बैठक में ।

(ख) जी हां । यातायात लेखा विभाग के ग्रेड I फालतू क्लर्कों को सामान्य लेखा विभाग के कार्यालयों में सीधे भर्ती किये जाने वाले स्नातकों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर लगाने की हिदायतें दी गयी थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) रेल प्रशासन ने संघ को सूचित किया था कि यातायात लेखा कार्यालयों में ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे ग्रेड II के कई क्लर्कों को सामान्य लेखा कार्यालयों में उन जगहों पर स्थानान्तरित किया गया है जो स्नातकों की सीधी भर्ती के लिये 20 प्रतिशत के कोटे में आती है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्यवाही से सामान्य लेखा

कार्यालयों के कर्मचारियों की पदोन्नति के मार्ग में बाधा पड़ी है क्योंकि जो रिक्त स्थान सीधे भर्ती किये जाने वाले स्नातकों के लिए आरक्षित थे उन पर उनकी पदोन्नति के लिए कोई वध अधिकार नहीं था ।

चाय बोर्ड द्वारा खोले गये अतिथि गृह (गेस्ट हाउस)

4942. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस देश में चाय बोर्ड द्वारा कितने अतिथि गृह खोले गये हैं ?

(ख) इन अतिथि गृहों में कुल कितने कर्मचारी रखे गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन अतिथि गृहों पर कितनी पूंजी व्यय तथा आवर्ती व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Turn-Table at Meerut City Junction

4943. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1383 on 2nd June, 1967 and state:

(a) the name of that part of equipment which has been received for turning the direction of heavy engines at Meerut City Station;

(b) whether the rest of the equipment has been indented if not, the reasons therefor; and

(c) the date on which the scheme for the installation of the turn-table was formulated and the date by which it is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The 75 feet dia turn-table has been received.

(b) Race rails and fittings for the installation of the turn-table are proposed to be arranged through the Railway Workshops.

(c) The scheme was formulated in November 1965 and is expected to be completed by June, 1968.

रेलवे सम्पत्ति पर लेखांकन

4944. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों के कुछ फर्नीचर तथा सामान पर तथा कुछ रेलवे स्टेशनों पर "भारतीय रेलवे से चुराया गया" स्टोलन फ्राम आई० आर०) लिखा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) 10-12 वर्ष पहले मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ खण्डों पर सवारी डिब्बों में लगे सामान पर "भारतीय रेलों से चुराया गया वाक्य स्टेन्सिल/उत्कीर्ण करने की जो प्रणाली लागू थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि यदि कहीं ऐसे चिन्ह अब भी मौजूद हों तो उन्हें मिटा दिया जाय।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

जे० के० रेयन मिल

4945. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० रेयन मिल, जिसमें लगभग 1200 कारीगर काम करते हैं, शीघ्र ही बन्द हो जायेगा, क्योंकि मिल के डायरेक्टर ने ऐसी घोषणा की थी ;

(ख) यह घोषणा विस्कोण रेशे वाली रेयन पर उत्पादन शुल्क लग जाने के परिणाम-स्वरूप की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस मिल को अपने हाथ में लेने का है, जिससे सरकार के प्रबन्ध में वह मिल बिना बन्द हुए ही चलता रहे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) अखिल भारतीय रासायनिक तथा रेयन मजदूर संघ, कानपुर ने सूचना दी है कि जे० के० रेयन मिल के प्रबन्धकों ने कारखाने को बन्द करने के सम्बन्ध में कारीगरों को नोटिस दे दिए हैं क्योंकि वह बढ़े हुए उत्पादन शुल्क का भार सहन करने में असमर्थ है। सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Manufacture of Engines used in two-Wheeled Vehicles

4946. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the manufacture of small engines used in two-wheeled vehicles for spraying insecticides has been started;

(b) the name of the place from where they were imported and the amount of foreign exchange spent thereon during the last five years;

(c) the amount of foreign exchange which would be saved as a result thereof; and

(d) the production capacity thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b) Yes Sir, Engines suitable for portabe two wheeled sprayers have been in production for some years: Formerly this type of engine was generally imported from the U. K. and USA but no such imports have been made for the last two years. Separate statistics on the quantum of imports and the foreign exchange value thereof are not available, as such engines could also be used for other purposes.

(c) Rs. 300 /- per engine.

(d) The production of such engines during 1966 was 13761 nos.

Truck-Train Collision at Bairagarh-Bhopal Level crossing

4947 Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three persons were killed in a collision between a railway train and a truck at Bairagarh level crossing at some distance from Bhopal as reported in the Hindustan dated the 2nd June, 1967.

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The accident occurred on 31.-5-1967.

(b) The accident was due to the driver of truck negotiating the level crossing in the face of approaching train.

(c) Since the defaulting truck driver died in this accident, no action could be taken against him.

Export of Goat Hides to Russia

4948. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Jammu and Kashmir have decided to export six lakhs goat-hides to Russia by the end of this year;

(b) if so, the amount of foreign exchange earned by exporting hides to other foreign countries during the last three years; and

(c) the value thereof within the country ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The requisite information is being collected from Jammu and Kashmir Government.

(b) Value of export of raw goat skins during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 stood at Rs. 914 lakhs, Rs. 985 lakhs and Rs. 1354 lakhs respectively. Value of export of tanned goat skins during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 stood at Rs. 1100 lakhs, Rs. 1255 lakhs and Rs. 2974 lakhs respectively.

(c) This information is not maintained.

कपड़े की उत्पादन लागत

4949. श्री कामेश्वर सिंह :
डा० कर्णी सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न किस्मों के कपड़े की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिये सरकार का विचार विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां तो यह समिति कब तक नियुक्त की जाने की संभावना है और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4950. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ये आदेश जारी किये हैं कि पांच वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्टेशन पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तर दूसरे स्टेशनों पर करने के बजाय उसी स्टेशन के किसी अन्य पद पर कर दिया जाये ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने यह आदेश भी दिया है कि रेलवे के उन कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिये जिनके पास रेलवे क्वार्टर हैं ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो उक्त आदेश का उल्लंघन करके मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन में कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि एक रेलवे मजदूर संघ के प्रायः सभी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

इटारसी और न्यू यार्ड के बीच डीजल कार का चलाया जाना

4951. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू यार्ड, भीलाखेड़ी में काम करने वाले रेल कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड से इटारसी और न्यू यार्ड के बीच एक डीजल कार चलाने की मंजूरी देने के लिये अनुरोध किया है जैसा कि न्यू कटनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे बोर्ड को कोई अनुरोध नहीं मिला है । लेकिन मार्च 1967 में मंडल अधीक्षक भुसावल को मध्य रेलवे मजदूर संघ इटारसी शाखा का अनुरोध अवश्य मिला था, जिसमें कहा गया था कि इटारसी स्टेशन और इटारसी के नये यार्ड में लोको शेड के बीच डीजल रेल कार चलाने की व्यवस्था की जाये ।

(ख) फिलहाल इटारसी स्टेशन और इटारसी के नये यार्ड के बीच तीन शटल गाड़ियां चल रही हैं । कर्मचारियों की सुविधा के लिये एक नयी सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है । डीजल रेल कार उपलब्ध न होने और खंड में क्षमता के अभाव के कारण डीज़ल रेल कार चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं ।

इटारसी में नया यार्ड

4952. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) इटारसो के नये यार्ड में कितने व्यक्ति रहते हैं ;

(ख) कितने व्यक्ति नित्य इटारसी आते हैं और वहां से नये यार्ड में जाते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इटारसी तथा नये यार्ड के बीच चलने वाली शटल गाड़ी अन्य लाइनों पर भीड़ होने के कारण प्रायः रुकी रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या डी० एण्ड सी० केबिनों के बीच एक अलग लाइन बिछाने का विचार है, ताकि इस शटल गाड़ी को इस तरह रुकना न पड़े और वह जल्दी से आ जा सके ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 247

(ख) 1771

(ग) कभी-कभी विभिन्न कारणों से शटल गाड़ियों को देर हो जाती है । उदाहरण के लिए जब डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां और दूसरी सवारी गाड़ियां देर से चलती है, तो

शटल गाड़ियों का समय और उनका समय एक पड़ जाता है। कभी कभी परिचालन की कठिनाइयों के कारण भी शटल गाड़ियों को देर हो जाती है।

(घ) 'डी' और 'सी' केबिनों के बीच एक अलग लाइन बनाने का कोई विचार नहीं हैं।

दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार

4953. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण, वियतनाम के साथ हमारे वर्तमान व्यापार सम्बन्धों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष दक्षिण वियतनाम को कुल कितने मूल्य की तथा कौन-कौन सी वस्तुयें निर्यात की गई ;

(ग) मई 1967 तक दक्षिण वियतनाम को कौन कौन सी वस्तुयें निर्यात की गई ; और

(घ) क्या दक्षिण वियतनाम को आयात की जाने वाली किसी वस्तु का भी निर्यात किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दक्षिण वियतनाम के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल है जो कि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकेगा :—

मूल्य हजार रुपयों में

वर्ष	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	दक्षिण वियतनाम से आयात		व्यापार का शेष
1963-64	249,86	19,44	(+)	230,42
1964-65	388,15	14,19	(+)	373,96
1965-66	287,35	नगन्य	(+)	287,35

दक्षिण वियतनाम को हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुएं ये हैं—

1. लोहा तथा इस्पात
2. चीनी
3. मशीनें

4. रासायनिक तत्व तथा यौगिक

5. परिवहन उपकरण ; तथा

6. लाख ।

दक्षिण वियतनाम से हमारे आयात के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उल्लेखनीय मात्रा में आयात होने वाली वस्तु केवल चावल ही है ।

(ग) मई, 1967 में भारत से दक्षिण वियतनाम को कोई निर्यात नहीं हुआ ।

(च) जी, हां ।

(ङ) केवल वाणिज्यक बातों को ध्यान में रखते हुए ।

दक्षिण अंदमान द्वीप में उद्योग

4954. अ० सिं० सहगल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान प्रशासन दक्षिण अंदमान द्वीप में उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं देता तथा क्या वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Small Public Limited Companies

4955. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 391 on the 9th June, 1967 and state;

(a) Whether the Reserve Bank has conducted any survey partaining to the period from 1947 to 1967 regarding the various sources from which the entire finances of small Public Limited Companies are derived; and

(b) If so, the conclusions arrived at ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The Reserve Bank commenced studies no small public limited companies from 1956-57. The last study brought out in this regard is for the year 1964-65. The studies which indicate the sources and uses of funds and also the conclusions arrived at have been published from time to time in the Reserve Bank of India Bulletin published every month.

Issue of Licences

4956. Shri Sideshwar Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 397 on the 9th June, 1967 and state the reasons why a firm-wise list of import licences issued is not prepared ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The licensing Statistics are Maintained licenseewise because the Collectors of Customs and the Reserve Bank of India require information only as to the names of parties to whom licences are issued. Maintenance of firm wise statistics is not necessary under the import Trade Control Regulations and is very laborious particularly if the firm has many subsidiaries. The collection of such information does not serve any useful purpose so far as import Trade Control is concerned.

व्यापार बोर्ड

4957. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड का आयात तथा निर्यात सलाहकार परिषद् में विलय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

मद्रास में व्यापार मेला

4958. श्री उमानाथ : **श्री नायनार :**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**
श्री सत्य नारायण सिंह

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में जनवरी, 1968 से लगने वाले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेले (इण्डियन इन्टरनेशनल ट्रेड तथा इण्डस्ट्रीज फेयर) में कुल कितना स्थान उपलब्ध है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के लिये कुल कितना स्थान अभी तक आरक्षित किया गया है;

(ग) इन प्राधिकारियों द्वारा आरक्षित स्थान के लिये कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा; और

(घ) विदेशों द्वारा अब तक कुल कितना स्थान बुक कराया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेला, मद्रास के आयोजकों से हमें सूचना मिली है कि:—

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेले में उपलब्ध कुल स्थान 20 लाख वर्ग फुट है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा अभी तक आरक्षित किया कुल स्थान 6,83,119 वर्ग फुट है ।

(ग) इन विभागों से कुल 17,45,457.00 रुपये किराया लिया जाना है।

(घ) बाहर के विभिन्न देशों द्वारा अब तक बुक कराया गया कुल स्थान 1,48,878 वर्ग फुट है।

इस्पात कारखानों का विस्तार

4959. श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्षों तक पांचवां इस्पात कारखाना न खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने इसके स्थान पर वर्तमान कारखानों की क्षमता का विस्तार करने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा में इस्पात कारखानों के लिए कुछ नये स्थलों पर प्रारम्भिक कार्य करने और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए व्यवस्था की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

चौथी योजना के अन्त में क्षमता के लक्ष्य

सरकारी क्षेत्र विस्तार	(मिलियन टन इस्पात पिण्ड)
भिलाई इस्पात कारखाना	2.5 से 3.2 तक
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1.6 से 3.4 तक
राउरकेला इस्पात कारखाना	1.8 से 2.5 तक
गैर सरकारी क्षेत्र	
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1.0 से 1.3 तक

(ऐसी आशा है कि मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपने वर्तमान कारखाने से जिसकी निर्धारित क्षमता 2.00 मिलियन टन है 2.2 मिलियम टन का उत्पादन प्राप्त करेंगे)।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में लोहे और इस्पात के कार्यक्रम पर पुनः विचार किया जा रहा है।

गोआ में कपड़ा मिलें

4960. **श्री शिकरे** : क्या वाणिज्य मन्त्री बह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में कपड़ा मिलें लगाने के लिये किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं तथा इन मिलों को लगाने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ख) इन मिलों की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है: और

(ग) क्या किसी लाइसेंसधारी ने केन्द्रीय सरकार से गोआ के बदले महाराष्ट्र में मिल लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 958/67]

Import of Ammonium Sulphate

4961. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharathi :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) The amount of foreign exchange spent on the import of ammonium sulphate, calcium ammonitrate and Muriate of Potash during the period from April 1966 to March 1967; and

(b) The mode of payment of this foreign exchange ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The value of Ammonium Sulphate and Potassium Chloride (Muriate of Potash) imported during April 1966 to February 1967 is given below :--

1.	Ammonium Sulphate whether or not pure	Rs. 3628.04 lakhs
2. (i)	Potassium Chloride Pure (Muriate of Potash)	Rs- 89.94 ,,
(ii)	Potassium Chloride (Muriate of Potash)-Commercial	Rs. 372.39 ,,

Calcium ammonitrate is not seperately classified in the Indian Trade Classification.

(b) Payments for fertilizer imports are met out of U. S. Aid loans, cerdits. clearing accounts and free resources.

रेलवे बोर्ड द्वारा अमीचन्द, प्यारेलाल सार्थ समूह के साथ सौदे

4962. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 1 मई, 1957 से 1 अप्रैल, 1967 तक की अवधि में अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह के साथ रद्दी माल तथा अन्य वस्तुओं के महत्वपूर्ण सौदे किये थे;

(ख) ये सौदे कुल कितने मूल्य के थे;

(ग) क्या कोई टैंडर मांगे गये थे; और

(घ) क्या इन सौदों में कोई अनियमितताएं थीं और क्या इस मामले में जांच करने का कोई आदेश दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अत्यावश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण तथा विनियन्त्रण

4963. श्री क० लक्कप्पा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में नियन्त्रण तथा विनियन्त्रण की गई अत्यावश्यक वस्तुओं की संख्या क्या है; और

(ख) इसके फलस्वरूप देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महम्मद शफी कुरैशी : (क) सार्वजनिक उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 959/67)**

(ख) पिछले चार वर्षों में अधिकांश नियन्त्रित, तथा विनयमित वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य मूल्य स्तर की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है ।

राजस्थान में स्कूटर बनाने का कारखाना

4964. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को, राजस्थान सरकार से राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई आवेदन पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) स्कूटरों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये कुछ अन्य आवेदन पत्रों सहित यह आवेदन पत्र अब भी विचाराधीन है ।

चार्जमैनों को प्रोत्साहन बोनस

4965. श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री आ० ना० मुल्ला :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या रेलवे वर्कशापों के चार्जमैनों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन-बोनस की दरों में संशोधन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिए पहले से स्वीकृत प्रोत्साहन-बोनस की दरें पर्याप्त समझी जाती है और इन दरों में कोई वृद्धि करने का औचित्य नहीं है ।

Visit of S. T. C. Officers Abroad

4966. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of officers of the State Trading Corporation who were deputed to visit foreign countries during the last five years; and

(b) their technical and special qualifications ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) 53.

(b) The officers sent on deputations are selected having regard to their business experience, particularly, in the specific items of trade handled by them, their ability for conducting negotiations and after an assessment of their suitability generally.

Officers of State Trading Corporation

4967. **Shri Ram Charan** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the number of Officers of the State Trading Corporation proposed to be sent to foreign countries during 1967-68;

(b) whether any special or technical qualifications are considered to be desirable for the selection of such Officers for the purpose; and

(c) the specific assignments on which they will be sent to foreign countries ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) The STC sends its officers to foreign countries for two main purposes.

(i) on postings to its foreign offices/showrooms for specific periods; and

(ii) on short visits arising out of its normal trading activities;

In regard to (i) above about 10 officers are likely to be posted to the foreign offices/showrooms during the years 1967-68. In regard to (ii) above, it is not possible

to anticipate precisely the number of officers who may have to be sent abroad on tours for normal trading activities negotiations, conclusion of contracts, market studies, import/export arrangements, exhibitions etc.

In posting STC's officers to its foreign offices STC takes care to post the individuals who are best suited and who fulfill the job requirements of each office. Knowledge of foreign language, age, educational qualifications, and other relevant factors are taken into consideration before finalising the selection of officers.

Paper Mill in Kashmir

4968. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one paper mill is proposed to be set up in Kashmir to manufacture rayon-grade pulp;

(b) if so, the name of the foreign firm with whose collaboration it would be set up;

(c) the amount of foreign exchange and the Indian currency to be spent thereon;

(d) when its work would be started; and

(e) whether this factory would be set up in Jammu or Srinagar ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) to (e) A proposal to set up a Rayon Grade Pulp factory in the State of Jammu and Kashmir is still at the exploratory stage. As such it is not possible at this stage to give any information asked for in parts. (b) to (e)

Cotton Mill in Kanpur

4969. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the U. P. Government have requested the Central Government to appoint an Authorised Controller for a cotton mill at Kanpur; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (b) The Government of India have decided not to take over the management of any mill pending the passing of the Bill proposed to be introduced in parliament, to enable taking over certain closed and likely to close mills. If the Hon'ble Members are referring to the case of Lakshmirattan Cotton Mills, the State Government have been informed that Government of India will have no objection to appointing an Authorized Controller if the State Government decide to take over that mill.

Strike in Hatia Project

4970. Shri Y, S, Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the president of Hatia Project Works' Union has launched upon a fast from 1st June, 1967 in support of his demands;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the details regarding his demands and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The Secretary of one of the groups of Hatia Project Workers' Union was on fast for the period from the 1st to the 12th June 1967, in support of a charter of demands submitted by the Union. The demands related to service conditions, increase in pay and allowances and welfare facilities. The fast was broken on the 13th June 1967.

Most of the items in the Charter of Demands are adequately covered in the settlement which was reached on the 5th November, 1966 with the Workers' Union. This agreement could not be acted upon as an injunction has been issued by the Patna High Court staying the implementation of the agreement. Individual cases are being discussed with the Labour representatives of different unions and action is being taken.

Newsprin Factories

4971. Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether any consultations have been held with the State Governments regarding the establishment of newsprint factories; and

(b) if so, the conclusions arrived at in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) Before finalising any proposal for the establishment of any plant for the manufacture of newsprint, the State Governments are invariably consulted as they have to certify the availability of adequate raw materials, suitable land, water and power facilities as well as facilities for disposal of effluents. In respect of establishment of new newsprint plants in the public or private sector, the matters are only at the exploratory stage and no final decision has been taken so far.

बम्बई उपनगर के रेलवे फाटकों पर पुल

4972. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे के माहिम, बांदरा, खार, सांताक्रुज, विल्ले पाले, अन्धेरीं, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाद कांडेवली और बोरीवली स्टेशनों के रेलवे फाटकों पर पुल के न होने से जनता को काफी विलम्ब और कठिनाई होती है ;

(ख) यहा यह भी सच है कि इन पुलों के न होने के कारण रेलवे लाइनों के पूर्वी किनारे पर गृह-निर्माण तथा औद्योगिक विकास में काफी बाधा पड़ी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में फाटकों पर अत्यन्त महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कहां ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां :

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । माहिम और बोरीवली के बीच कुल मिला कर 16 सार्वजनिक समपार है । निगम के निर्देश पर इनकी जगह लाइन के ऊपर या नीचे सड़क पुल या ऊपरी पैदलपुल बनाने का विचार है ।

(घ) अगले पांच वर्षों में, बशर्ते नक्शे आदि अनुमोदित हो जायें और निगम द्वारा लागत का अपना हिस्सा जमाकर दिया जाये ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

Khadi & Village Industries Commission

4973. Swami Bramha Nandji:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of Commerce be pleasad to state;

(a) the amount given by Government annualy to the Khadi and village Industries Commission, Bombay during the last five years and the details of the amount distributed by the Khadi and Village Industries Commission annually to the States;

(b) whether it is a fact that some State associations have asked for the shifting of the Head Office of Khadi and Village Industries Commission from Bombay to Delhi;

(c) whether some complaints have been received to the effect that the amount received by the Madhya Pradesh Government from the Khadi & Viliage Industries, Commission Bombay was embezzled and not distributed properly; and

(d) if so, the reasons why Government did not conduct any enquiry in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a)A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT-960/67]

(b) and (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बन्द खानें

4974. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1962 से महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में मैगनीज, कोयले तथा चिकनी मिट्टी की कुल कितनी खानें बन्द हुई ;

(ख) खानों के बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए ?

(ग) इन लोगों को पुनः रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में सरकार के पास कुल कितने रक्षित क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को किन कारणों से जनता द्वारा खनन कार्य के लिए नहीं खोला जा रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे दुर्घटनाएं

4975. श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जून, 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह में कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्तियों को चोटें आईं ; और

(घ) कितने मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री के०मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 15 जून. 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 28 'परिणामी' गाड़ी दूर्घटनाएं हुई ।

विभिन्न कोटियों के अनुसार इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है ;

गाड़ियों की टक्कर	3
गाड़ियों का पटरी से उतर जाना	21

समपारों पर दुर्घटनाएं	4
गाड़ियों में आग लगना	–
कुल	28

(ग) इन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 25 व्यक्ति घायल हुए।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,24,953 रुपये की क्षति पहुँचने का अनुमान है।

मनुष्यों के बालों का निर्यात

4976. श्री गणेश घोष : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में पश्चिमी बंगाल की कुछ गैर-सरकारी फर्मों को लगभग 6.5 लाख रुपये के मूल्य के मनुष्यों के बालों का निर्यात किये जाने के क्रयादेश अकेले अमरीका से ही मिले थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966 में पश्चिम बंगाल को ऐसे माल के और भी क्रयादेश जापान, कनाडा, तथा अन्य देशों से मिल रहे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी व्यापारियों पर ऐसे माल का निर्यात करने के लिये प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह नियंत्रण किस कारण से लगाया गया हैं और यह नियंत्रण लगाये जाने के बाद राज्य व्यापार निगम के कितने मूल्य का ऐसा माल निर्यात किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एक गैर-सरकारी फर्म ने सूचित किया है कि मनुष्यों के बालों तथा उसके उत्पादों के निर्माताओं तथा नियतिकों के पास 25 अप्रैल, 1967 को 6.58 लाख रु० मूल्य की ऐसी संविदाएं तथा क्रयादेश पड़े हुए थे जिन पर माल अभी तक नहीं भेजा गया है।

(ख) विदेशी ग्राहकों से आदेशों की प्राप्ति सम्बन्धी जानकारी राज्यवार नहीं रखी जाती है।

(ग) मनुष्य के बालों, मनुष्य के बालों के पूर्णतः अथवा अंशतः बने छोटे-बड़े टोपों तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात 19-8-66 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना शुरु किया गया था। इस माध्यमीकरण की प्रक्रिया को क्रमशः क्रियान्वित करने के विचार से गैर-सरकारी पार्टियों को, जो पहले ही सुस्थापित निर्यातक थे, राज्य व्यापार निगम के सहयोगियों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) जून, 1965 में मनुष्य के बालों के व्यापर में राज्य व्यापार निगम की प्रविष्टि से पूर्व मनुष्य के बालों एवं उसके उत्पादों का निर्यात असंगठित क्षेत्र में था। जहाज तक निशुल्क अच्छा मूल्य प्राप्त करने तथा तैयार रूप में मनुष्य के बालों का अधिक निर्यात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से शुरू कराया

गया था। 19 अगस्त, 1966 से 15 मई 1967 तक राज्य व्यापार निगम द्वारा लगभग 58.40 लाख रु० मूल्य का निर्यात किया गया था।

आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल आरगेनाइजेशन के कर्मचारी

4977. श्री गणेश घोष : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल आरगनाइजेशन में 1944 से काम कर रहे कर्मचारी अब भी अस्थाई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अस्थाई कर्मचारियों में अधिकतर लोगों की आयु 41 और 50 वर्ष के बीच है ;

(ग) क्या पदोन्नति पर लगे हुए प्रतिबन्ध तथा उच्चतर पदों का अनुपात अपर्याप्त होने के कारण इस संगठन के सभी वर्गों के अनेक कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा गया है और अधिक मामलों में वे गत सात आठ वर्षों से उसी वेतन-क्रम का अधिकतम वेतन पा रहे है तथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय इस आरगेनाइजेशन में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को दूसरे कामों में अथवा सरकारी विभागों में नौकरी देने तथा उन्हें अन्य रोजगार दिये जाने के बाद उनके वेतन-क्रमों, वरिष्ठता तथा अन्य विशेषाधिकार, जो उन्हें अब प्राप्त हैं, कायम रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) 1-7-1967 को लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में काम कर रहे 453 आराजपत्रित कर्मचारियों में 11 कर्मचारी ऐसे हैं जो 1944 और उससे पहले से नौकरी कर रहे हैं और जो अभी स्थायी नहीं हैं। इन 11 कर्मचारियों में से 10 स्थायिवत् है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित 11 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आयु 41-50 वर्ष के बीच है।

(ग) पदोन्नति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और कर्मचारियों को कार्यालय के संगठन तथा कर्मचारियों की मंजूरशुद संख्या के आधार पर पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं। केवल चार कर्मचारी ऐसे हैं जो गत सात वर्षों से अपने वेतन-क्रम का अधिकतम वेतन पा रहे हैं।

(घ) आवश्यकता से अधिक होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं गृह मन्त्रालय को सोंप दी जायगी जिन्होंने फालतू कर्मचारियों को काम देने के लिए एक योजना बनाई है। वेतन-क्रमों, वरिष्ठता आदि मामलों का विनियमन योजना में की गई व्यवस्था और सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार किया जाएगा। फालतू कर्मचारियों को लोहा और इस्पात विभाग के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कार्य दिलाने के लिए भी प्रयत्न किये जायेंगे।

Attaching of First Class Compartment to Assam Mail

4978. Shri Kedar Paswan :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no First Class compartment was attached to the Assam Mail starting from Samastipur on the 14th June, 1967 ; and

(b) if so, the reasons therefore and the action Government propose to take against the officials responsible therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Apparently, the reference is to non-attachment of the composite I & III class through service coach from Samastipur to Delhi by 4 SB Mixed/85 Up Assam Mail on 14-6-67. A third class through service coach was, however, provided from Samastipur instead of a composite I & III class coach due to latter having been damged and replacement not being available, No. offical is held responsible.

रबड़ का उत्पादन

4979. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967-68 के लिये रबड़ के उत्पादन और उसकी सम्भावित मांग का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है ;

(ग) क्या रबड़ बोर्ड ने 1967-68 के लिये अपना कोई अनुमान भेजा है, और

(घ) यदि हां, तो वह अनुमान क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1967-68 के लिये रबड़ के उत्पादन तथा संभावित मांग का अनुमान निम्नलिखित है :–

(मात्रा में० टनों में)

	प्राकृतिक रबड़	संश्लेषित रबड़	योग
उत्पादन	60,000	22,000	82,000
मांग			107,000

(ग) और (घ) रबड़ बोर्ड का आकलन निम्नलिखित है:–

(मात्रा में टनों में)

	प्राकृतिक रबड़	संश्लेषित रबड़	योग
उत्पादन	64,000	30,000	94,000
मांग			105,000

सरकारी क्षेत्र में चाय के बगीचे

4980. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में चाय के बगीचे लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार

4981. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1956 से लेकर अब तक प्रजातन्त्रीय वियतनाम गणराज्य तथा वियतनाम गणराज्य के साथ हमारा व्यापार कितना कितना और कितने-कितने मूल्य का हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 961/67**]

Coal Washery at Durgapur

4982. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a coal washing plant is likely to be set up in Durgapur ;

(b) if so, the time by which it would be set up ;

(c) the capacity thereof ; and

(d) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (d) So far as the Durgapur Steel Plant is concerned, there is already a coal washery working, as part of the Steel Plant, There is no proposal to set up any other washery at present for the Steel Plant.

खराब हो जाने वाली वस्तुएं छुड़ाना

4983. श्री राम चरण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वाराणसी, काशी तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर पान के पत्तों जैसी खराब हो जाने वाली वस्तुएं छुड़ाने के लिये एक नई प्रक्रिया लागू की है जिसके अन्तर्गत माल लेने वाले व्यक्ति को माल छुड़ाने से पहले खराब हो जाने वाली वस्तुओं के पहले चुकाये गये मूल्य के बराबर राशि जमा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे अधिकारी ऐसी वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार निर्धारित करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाराणसी तथा काशी (उत्तर रेलवे) के पान के पत्तों के व्यापारियों ने इस गलत प्रक्रिया के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) इस मामले के तथ्यों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 962/67**]

4984. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अभ्रक के निर्यात से विदेशी मुद्रा अधिक कमाई गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में अभ्रक के व्यापार से कमाई गई कुल विदेशी मुद्रा का, देशवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1967-68 में अभ्रक के व्यापार से कितनी आय होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। जहां तक रुपये में मूल्य का सम्बन्ध है, 1965-66 की अपेक्षा 1966-67 के दौरान अभ्रक से अधिक कमाई हुई है।

(ख) 1966-67 (अप्रैल 1966 से फरवरी 1967 तक) अभ्रक के देशवार निर्यात का सूचक एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 963/67**]

(ग) 1967-68 के दौरान अभ्रक से धन उर्पाजन की संभावना 1966-67 के समान ही है यदि इस वस्तु की मांग में कोई उल्लेखनीय उतार चढ़ाव नहीं आता।

फारक्का में माल ढोने वाली किश्ती व्यवस्था

4985. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरक्का में गंगा नदी में माल ढोने वाली किश्ती व्यवस्था बड़े घाटे में चल रही है; और

(ख) इस वर्ष मंदी या सर्दी के मौसम में कितनी और हानि होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Unit of Heavy Electricals in Rajasthan

4986. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the industries proposed to be set up in each State during the Fourth Five Year Plan and the capital outlay on each of them;

(b) whether Government propose to set up a unit of Heavy E'ectricals in Rajasthan besides a unit of Machine Tools during the third year of the Fourth Plan in order to improve the economy of Rajasthan; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhrudhin Ali Ahmed) : (a) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) and (c) There is no proposal to establish a unit of Heavy Electricals in Rajasthan during the Fourth Plan period.

चाय सम्बन्धी विशिष्ट पाठ्यक्रम

4987. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी से चाय सम्बन्धी विशिष्ठ पाठ्यक्रम में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्तियों ने शिक्षा पाई; और

(ख) इस पाठ्यक्रम में दाखले के लिए क्या नियम हैं तथा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कितनी प्रतिशतता निर्धारित है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य सम्भवतः बी० एस सी (कृषि) पाठ्यक्रम की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिसमें चाय पर बल दिया जायेगा। यह पाठ्यक्रम आसाम कृषि कालेज, जोरहाट से आरंभ करने का विचार है। परन्तु अभी यह आरंभ नहीं हुआ है। इस पाठ्यक्रम में स्थान पूर्ति अखिल भारतीय आधार पर होगी। परन्तु विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने-कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जायेंगे इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है।

हरी चाय का निर्यात

4988. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन-किन देशों को हरी चाय का निर्यात किया जाता है; और

(ख) 1962, 1963, 1964, 1965 और 1966 में इनमें से प्रत्येक देश को कितनी चाय का निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

देश	हरी चाय का निर्यात (मात्रा हजार कि० ग्रा० में) वर्ष				
	1962	1963	1964	1965	1966
अफगानिस्तान	1947	2084	2310	1378	2191
पश्चिम पाकिस्तान	4	26	20	1	—
नेपाल	—	—	3	3	—
बल्गारिया	—	—	—	2	—
कुवेत	—	—	—	—	1
बहरीन द्वीप	—	—	—	—	1
इथोपिया	—	—	—	—	1
योग :	1951	2110	2333	1384	2194

सूत का मूल्य

4989. **श्री मि० सू० मूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नील बनाने, बंडल बनाने तथा गांठें तैयार करने की लागत के रूप में तथा बीमा, परिवहन खर्च और मिलों तथा बिचौलियों का लाभ मिला कर हथकरघा मिलों को लगभग 25 प्रतिशत अधिक मूल्यों पर सूत खरीदना पड़ता है जैसा कि श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में पावरलूम जांच समिति ने माना है; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा उद्योग द्वारा मिलों से खरीदे गये सूत के मूल्यों में असमानता दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । बिजली चालित करघा उद्योग जांच समिति के प्रतिवेदन में बिजली चालित करघा उद्योग की मिलों से तुलना की गई है, हथकरघा उद्योग से नहीं । 1958 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की एक उप-समिति ने अनुमान लगाया था कि हथकरघे के कपड़े के लिये सूत के सम्बन्ध में 6.25 नये पैसे प्रति गज अथवा एक आना प्रति वर्ग गज अधिक लागत पड़ती है ।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. हथकरघा उद्योग में प्रयोग होने वाले 29 एन एफ से कम काउंट के सूत पर गुंडी के रूप में कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता और 29 एन. एफ. तथा इससे

अधिक के लिये भी शुल्क की दरें मिल क्षेत्र में प्रयोग होने वाले बिना गुंडी के सूत पर लगे शुल्क की दरों की अपेक्षा कम निर्धारित की गई है।

2. सहकारी क्षेत्र द्वारा बने हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 5 पैसे प्रति रुपये की छूट दी जाती है। वर्ष के दौरान विशिष्ट अवधियों के लिये हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष अतिरिक्त छूट भी दी जाती है।

रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले अटेंडेन्ट

4990. श्री शिवचण्डिका प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में तैनात किये जाने वाले अटेंडेंटों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ख) क्या उनके द्वारा यात्रियों के संतोष के अनुसार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व न निभा सकने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सेवा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 964/67]**

(ख) कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) परिचर कंडक्टर गार्ड, जहां उपलब्ध हो, या गाड़ी गार्ड के अधीन काम करते हैं, जिसे उनके काम की देखभाल करनी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिचर अपना काम कर रहे हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी जांच करते हैं। सभी शिकायतों की पूरी-पूरी जांच की जाती है और जो मामले सिद्ध हो जाते हैं, उनमें कड़ी सजा दी जाती है।

तीसरे दर्जे के शयनयानों में स्थान की कमी

4991. श्री शिवचण्डिका प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना के बहुत से कर्मचारी अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिये सिकन्दराबाद से दिल्ली तक पहले दर्जे में यात्रा करते हैं और उन्हें अपने परिवारों के लिये तीसरे दर्जे के शयनयानों तथा तीसरे दर्जे के डिब्बों में स्थान की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रा के दौरान इन कर्मचारियों की कठिनाइयां कम करने के लिये उनके लिये पहले और तीसरे दर्जे के मिले-जुले तीन शायिकाओं वाले डिब्बों की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सैनिक कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों की तरह यात्रा सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सशस्त्र सेना के कुछ कर्मचारी प्रति दिन सिकन्दराबाद से दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि उन्हें तीसरे दर्जे के शयनयानों और तीसरे दर्जे के डिब्बों में अपने परिवार वालों के लिए स्थान की भारी कमी का सामना करना पड़ता है।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ग) गाड़ी में स्थान के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गयी है। हैदराबाद और सिकन्दराबाद से नयी दिल्ली/दिल्ली जाने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए आरक्षण के निम्नलिखित कोटे नियत किये गये हैं :—

गाड़ी का नम्बर	पहला दर्जा	तीसरा दर्जा (सीटें)
19 डाउन हैदराबाद-काजीपेट एक्सप्रेस/ 15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस (सीधे डिब्बों में)		20
48 डाउन हैदराबाद-पुरी तेज सवारी गाड़ी/ 17 डाउन मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस (सीधे डिब्बों में)		20

इसके अलावा, प्रतिरक्षा कर्मचारी और उनके परिवार के लोग अन्य यात्रियों के साथ साधारण कोटे से भी पहले दर्जे और तीसरे दर्जे की शायिकाओं दोनों का आरक्षण करा सकते हैं।

दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली बोगियां

4992. **श्री शिवचण्डिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली अधिकतर बोगियों में स्नान के लिये फव्वारा नहीं लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो फव्वारा लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। दिल्ली और हैदराबाद के बीच चलने वाली पहले दर्जे की सभी बोगियों में फव्वारे लगे होते हैं; लेकिन कुछ बोगियां ऐसी हैं, जिनमें फव्वारे बन्द कर देने पड़े हैं क्योंकि इनकी टोंटियां चोरी चली गयी हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बादाम पहाड़ और गौरूमाहिसानी में लौह अयस्क निकालना

4993. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अधिकारियों का विचार उड़ीसा में बादाम पहाड़ तथा गौरूमाहिसानी में अपनी लौह अयस्क की खानें बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों को बन्द करने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिये सरकार की स्वीकृति मांगी गई है और क्या स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) इन खानों के बन्द होने से कितने व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) कम्पनी से प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का अपनी बादाम पहाड़ तथा गोरूमाहिसानी को लौह अयस्क की खानों को बन्द करने का विचार है। खानों को बन्द करने के प्रस्ताव के कारण ये बताये जाते हैं कि गौरूमाहिसानी में अच्छी किस्म के लौह अयस्क के भण्डार खत्म हो गये हैं और बादाम पहाड़ में लौह अयस्क नरम है और उसमें 60 प्रतिशत के लगभग चूरा है और यहां का लौह अयस्क धमन भट्टियों के कुशल संचालन के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसा भी बताया गया है कि लौह अयस्क निकालना मितव्ययी नहीं है।

(ग) कम्पनी से यह भी मालूम हुआ है कि 1 मार्च, 1968 से इन खानों के ठेके छोड़ने के बारे में राज्य सरकार को फरवरी, 1967 में लीज के अन्तर्गत नोटिस दे दिया गया है।

(घ) फर्म ने सूचित किया है कि इन खानों में इस्पात कम्पनी और ठेकेदार के द्वारा रखे हुये मजदूरों की संख्या इस समय 2620 है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका विचार है कि जहां तक संभव होगा वे कुशल मजदूरों को अपनी दूसरी खानों में रोजगार देंगे और शेष की स्वेच्छा से सेवा से निवृत्त होने की संभावना है।

Supply of Water at Stations of Northern Railway in U. P.

4994. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Nihal Singh :
Shri Kedar Paswan :
Shri Satya Narain Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the wells near the Moudh, Bhadohi, Parsipur, Kapsati, Sewapuri and Chaukhandi stations of the Northern Railway in Uttar pradesh have gone dry as a result of which the passengers are not getting water;

(b) if so, the immediate arrangements so far made by Government for the supply of water; and

(c) the steps Government propose to take immediately for the boring of the said wells ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Wells had never gone dry at these stations, though water level went down in April 1967. Water was, however, supplied to the passengers as usual.

(b) and (c) To augment the water supply, steps were taken to desilt the wells, as a result of which the yield of the wells improved.

नेपा पेपर मिल्स में उत्पादन

4995. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में नेपा पेपर मिल्स में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले वर्ष की उत्पादन की तुलना में यह कितना है;

(ग) सरकार ने चालू वर्ष के लिये नेपा पेपर मिल्स में उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1965-66 में हुए 30,347 टन उत्पादन की तुलना में 1966–67 में 29,554 टन उत्पादन हुआ ।

(ग) और (घ) नेपा मिल्स में 1966–67 में उत्पादन का लक्ष्य 30,000 टन रखा गया है जो कि इसकी अधिष्ठापित क्षमता है । चूंकि यह लक्ष्य पहिले ही प्राप्त कर लिया गया है, अतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम

4996. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कितने वस्तु विनिमय/समान्तर सौदे किये; और

(ख) क्या उन समझौतों का ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1966–67 में राज्य व्यापार निगम और खनिज धातु व्यापार निगम ने क्रमशः 5 तथा 2 वस्तु विनिमय/समान्तर सौदे किये हैं ।

(ख) क्योंकि ये सभी वाणिज्यिक सौदे हैं, अतः उनका समस्त लम्बा चौड़ा विवरण सभा-पटल पर रखना संभव नहीं है ।

माल का यातायात

4997. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनियत तथा अनियमित माल यातायात से सभी विनियोजित पूंजी पर बुरा प्रभाव पड़ा है और रेलवे के लिये बहुत सी परिचालन कठिनाइयां पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने माल यातायात को नियंत्रित करने तथा निर्धारित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या उपाय किये हैं; और

(ग) पिछले वर्ष अनियमित माल यातायात के कारण रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) तीसरी योजना में माल यातायात का विकास एकसा नहीं हुआ, योजना के हर क्रमागत वर्ष में प्रारम्भिक यातायात में 43, 183, 123, 27 और 93 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में कुल 2030 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक यातायात हुआ, जबकि 2450 लाख मीटरिक टन की आशा थी। इस भारी घटा-बढ़ी के कारण रेलों को कार्य-संचालन में कठिनाइयां हुई। लेकिन, नयी परिसम्पत्तियों का इस्तेमाल करके और मौजूदा परिसम्पत्ति का अधिकाधिक उपयोग करके इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की गयी।

वस्तुतः रेलों से कितने माल का यातायात होगा, यह विभिन्न बातों पर निर्भर है, जैसे देश की आर्थिक स्थिति, मानसून का अभाव और खाद्यान्न के आयात में वृद्धि, परिवहन के प्रतियोगी साधनों का विकास आदि। रेलवे इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकती। रेलें अधिक यातायात प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए रास्ते में लगने वाले समय में कमी, भाड़ा दरों का सुसंजन, कंटेनर सेवा का आरम्भ आदि उपाय किये जा रहे हैं।

1966-67 में भारतीय रेलों की कुल आमदनी 482.30 करोड़ थी, जबकि बजट अनुमान 506.53 करोड़ था।

पटसन से बने माल का निर्यात

4998. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों की अपेक्षा पाकिस्तानी निर्यातक जूट से बनी वस्तुओं का अधिक निर्यात करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत की तुलना में पाकिस्तान इन वस्तुओं का कितना अधिक निर्यात करता है और इस निर्यात-अन्तर को दूर करने तथा इन वस्तुओं के निर्यात के मामले में होड़ लगाने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान पटसन उद्योग को ये लाभ प्राप्त हैं :—(1) पाकिस्तान में अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर बढ़िया किस्म के पटसन की प्राप्यता, और (2) निर्यात के लिये बोनस वाउचर योजना। लाभ की मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है और निश्चित जानकारी प्राप्य नहीं है।

इन लाभों का प्रभाव दूर करने के लिये भारत में अपेक्षित किस्म और मात्रा में उत्पादन और उपज को बढ़ाने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पटसन के माल पर हाल ही में निर्यात शुल्क भी कम किया गया है ताकि विदेशी बाजारों में भारतीय पटसन के माल की प्रतियोगिता करने की शक्ति में सुधार हो सके।

वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों का निर्माण

4999. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मोटरगाड़ी निर्माताओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण विभिन्न मोटरगाड़ी उद्योगों, उनके सहायक तथा उपसंगी उद्योगों में वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियों का निर्माण बन्द हो गया है अथवा बहुत घट गया है जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हो गये हैं;

(ख) क्या इस उद्योग पर विभिन्न स्तरों पर करारोपण बहुत अधिक होने के कारण इन उद्योगों द्वारा मोटरगाड़ी बनाने की लागत बहुत अधिक तथा अलाभप्रद हो जाने के तथ्य को देखते हुए सड़क परिवहन उद्योग को कोई सहायता देने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के कार्य-संचालन को सुदृढ़ बनाने तथा इस उद्योग के विकास के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सरकार को पता है कि वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग गिर जाने के कारण कुछ निर्माताओं ने हाल के महीनों में उत्पादन में कटौती कर दी है और कुछ मजदूरों की जबरन छुट्टी कर दी है।

उद्योग को कर के मामले में कोई छूट देने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि सरकार ने मोटरगाड़ियों पर कर निश्चित करने के सभी पहलुओं की जांच करने तथा सड़क परिवहन उद्योग के विकास के लिये कार्यवाही सुझाने के लिये सड़क परिवहन कराधान जांच समिति नामक एक समिति नियुक्त की है।

बोकारो में रूसी तकनीक

5000. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में जिस रूसी तकनीक से विशेष इस्पात का उत्पादन करने का विचार है वह न तो आधुनिकतम है और न ही अच्छी है तथा रूसियों ने स्वयं आधुनिकतम जानकारी अन्य देशों से मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रूसी तकनीक को अपनाने में बोकारो इस्पात कारखाने के लाभप्रद कार्यकरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जांच की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने में विशेष इस्पात का उत्पादन करने का विचार नहीं है। कारखाने का रूपांकन गर्म बेलित हल्की प्लेटों, गर्म और ठंडी बेलित चादरों और क्वायल्स और जस्ती अथवा ऐल्यूमिनियम की चादरों के उत्पादन के लिए किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वातानुकूलक मशीनों तथा रैफ्रिजेरेटरों का निर्माण

5001. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातानुकूलक मशीनें तथा रैफ्रिजरेटर बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, विदेशी मुद्रा की उनकी वार्षिक आवश्यकता तथा 1966–67 में लगाई गई पूंजी कितनी है;

(ख) जिन फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कितनी है; और

(ग) अप्रैल, 1947 से मार्च, 1967 तक उन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) बड़े पैमाने के क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र के बारे में, जहां तक जानकारी प्राप्त की जा सकी है वह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 965/67]**

(ग) सम्बन्धित निर्माताओं को लिखे बिना 20 वर्ष में इन उद्योगों में लगी पूंजी के बारे में कोई निश्चित जानकारी देना संभव नहीं है।

टरबो-जेट रेलकारें

5002. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टरबो-जेट रेलकारें बनाने तथा उन्हें चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) अभी तक टरबो-जेट रेल-कर्षण की सिद्ध प्रणाली नहीं है ।

होस्पेट में इस्पात कारखाने की स्थापना

5003. श्री कृष्णन :
श्री तुलसी दास दासप्पा :
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों के मतानुसार इस्पात कारखाना लगाने के लिये भारत में होस्पेट सर्वोत्तम स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसी परियोजना कब आरम्भ करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) गोआ-होस्पेट और बेलाडिला-विशाखापतनम के क्षेत्रों में इस्पात कारखाना लगाने के लिए किये गये अध्ययनों का मूल्यांकन करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसका विचार था कि इन दोनों क्षेत्रों में अन्य स्थानों की तुलना में होस्पेट अधिक उपयुक्त स्थान है । बाद में ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इंडिया कंसार्शियम ने इन दोनों क्षेत्रों के सम्भाव्य स्थलों तथा नैवेली-सेलम क्षेत्र का अध्ययन किया और दो स्थानों (1) विशाखापतनम और (2) होस्पेट के बारे में सिफारिश की और इन दोनों में से विशाखापतनम को अधिक उपयुक्त बताया ।

(ख) चौथी योजना में नया इस्पात कारखाना लगाने की आवश्यकता के समूचे प्रश्न तथा साधनों की उपलब्धि पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

Import of Tractors

5004. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total value of tractors and agricultural implements imported from abroad from 1960 to 1967;

(b) the number of foreign experts called to India in connection with these tractors and agricultural implements; and

(c) the total expenditure incurred on these experts ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The total value of tractors and agricultural implements imported from 1960 to 1967 is as follows :—

	Value in Rs. lakhs	
	Tractors	**Agricultural implements**
1960-61	424.27	51.31
1961-62	318.29	65.24

1962–63	263.05	68.74
1963–64	275.49	54.29
1964–65	306.93	104.29
1965–66	527.15	418.73
1966–67 (upto Feb. 1967)	456.57	461.14

(Note :—The statistics are maintained on financial year basis)

(b) and (c) No foreign experts have been called by the Government of India and there is no expenditure incurred on these experts. However, there would be some foreign experts assisting the importers in servicing of tractors etc. of which Government have no information.

Import of T. V. Sets

5005. **Shri Molahu Prasad ;** **Shri J. H. Patel :**
Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of Commeree be pleased to state :

(a) the total amount of foreign exchange sanctioned for the import of television sent and their spare parts during 1966–67;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned for tube wells and their spare parts during this period; and

(c) the amount of foreign exchange earmarked for both of these commodities separately during the year 1967-68 ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The information regarding foreign exchange spent on import of T. V. Sets and their spare parts during 1966-67 is being collected and will be laid on the Table of the House. Licences for import of components for manufacture of T. V. Sets have been issued for a total value of Rs. 1.95 lakhs during 1966-67 to the Central Electronic Research Institute Pilani.

(b) No foreign exchange has been released for import of Tubewells. However, a sum of Rs. 2.92 crores has been released for import of drilling rigs and spare parts during 1966-67.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

5006. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान को दूध तथा दूध से तैयार की जाने वाली वस्तुओं के लिये दिये गये लाइसेंसों के बारे में किन्हीं कदाचारों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि समूचा आयातित स्टाक कलकत्ता में बेचा गया था;

(ग) क्या अब तक कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्था पर 3,46,922 रुपये के मूल्य के आयातित माल को कलकत्ता की एक फर्म को बेचने का आरोप है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। आरोपों की जांच करने के लिये मामला विशेष पुलिस संस्थान, केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है। जांच हो रही है तथा प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

भारी मोटर गाड़ियों के ढांचों का निर्माण

5007. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में तथा 1967 में अब तक (महीने वार) भारी मोटर-गाड़ियों (ट्रकों) के कितने ढांचे तैयार किये गये;

(ख) क्या उन ढांचों का निर्माण बहुत कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966 और 1967 में (जनवरी से मई तक) 3 टन पे लोड से अधिक भारी मोटर-गाड़ियों (ट्रक चेसिस) का मासिक उत्पादन इस प्रकार हैं।

	1966		1967
जनवरी	2,224	जनवरी	2,750
फरवरी	2,434	फरवरी	2,443
मार्च	2,977	मार्च	2,843
अप्रैल	2,088	अप्रैल	1,702
मई	2,336	मई	2,520
		कुल	12,258
जून	2,790		
जुलाई	2,639		
अगस्त	2,505		
सितम्बर	2,449		
अक्टूबर	2,397		
नवम्बर	2,614		
दिसम्बर	2,854		
कुल	30,307		

(ख) और (ग) मांग गिर जाने के कारण वाणिज्यिक गाड़ियों के कुछ निर्माताओं ने हाल के महीनों में उत्पादन में कटौती कर दी है ।

पूना-लोनावला क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करना

5008. **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री जार्ज फरनांडीज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगपति, सेवि-वर्ग के प्रतिनिधि तथा रोज-मर्रा आने जाने वाले यात्री पूना-लोनावला क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिये रेलवे से आन्दोलन और आग्रह कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में उद्योगों और कारखानों का तेजी से विकास हो रहा है और गांवों तथा दूरस्थ स्थानों से आने वाले मजदूरों को रेलवे भाड़े पर काफी खर्च करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यदि इस क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने की यह रियायत दे दी जाती है तो अन्ततोगत्वा यह लाभकारी होगी और इससे गृह-निर्माण की समस्या सुलझाने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) समय-समय पर इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि पूना-लोनावला खण्ड को उपनगरीय खण्ड घोषित किया जाये ।

(ख) यह सच है कि पूना और लोनावला के बीच के क्षेत्र में पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है और जो मजदूर अपने घरों से कार्य-स्थान तक जाने के लिए रेल से यात्रा करते हैं, उन्हें रेलवे टिकट खरीदने में पैसा खर्च करना पड़ता है ।

(ग) जहां तक मकानों की समस्या का सम्बन्ध है, यह संभावना नहीं है कि उपनगरीय किराया लागू करने की रियायत का कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकलेगा । अधिकतर यातायात पूना और देहू रोड स्टेशनों के बीच होता है । इनके तीसरे दर्जे के उपनगरीय और अनुपनगरीय मासिक सीजन टिकटों के किराये में केवल 1 रुपये 45 पैसे का अन्तर है ।

(घ) पूना-लोनावला खण्ड को उपनगरीय खण्ड घोषित करने का विचार नहीं है ।

Reversion in Railway Board

5009. **Shri Kameshwar Singh :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 15 Officiating Section Officers were reverted as Assistants on the 9th June, 1967 in the Railway Board's office;

(b) whether some Section Officers were reverted in March, 1966 also;

(c) whether it is also a fact that some senior Assistants and Upper Division Clerks have also been reverted as U. D. Cs. and L. D. Cs. respectively; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes, in 1967.

(d) In 1966 some officiating Section Officers who had been promoted adhoc had to be reverted when persons duly selected through limited departmental competitive test became available for promotion. In June, 1967, fifteen officiating Section Officers had to be reverted when some posts were surrendered as a measure of economy, Consequent upon the reversions of officiating Section Officers, some Assistants were reverted as U. D. Cs. and some U. D. Cs. as L. D. Cs.

Accident on Gorakhpur-Allahabad Section

5010. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2001 on the 9th June, 1967 and state :

(a) whether disciplinary action against the staff held responsible for the accident which took place on the Gorakhpur-Allahabad Section on the 4th December, 1966 has been taken ?

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, further time likely to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The staff, held responsible for this accident, have been placed under suspension and enquiry under Discipline and Appeal Rules is in progress.

T. C. Staff Mathura Junction

5011. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the T. C. staff of Mathura Junction has sent a complaint to the Railway Board, the Railway Minister, the State Chief Minister and other concerned officials about the sale of food-causing monthly loss of thousands of rupees to the Railway Catering Department;

(b) whether it is also a fact that no action has been taken by the Station Master and the Railway Protection Force to stop this unauthorised sale and when T. C. staff tried to do so, attempts were made to kill them; and

(c) the action taken by Government on the complaint ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A letter has been received to the Divisional Superintendent. Central Railway, Jhansi, by the Ticket Collectors, Mathura Junction.

(b) and (c) The matte is under investigation.

सूती मोजे बनियान आदि बनाने के सूत का आयात

5012. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हंगरी से सौ तथा अधिक काउंट वाला गैसड, मर्सराइज्ड तथा कता हुआ सूती मोजे बनियान आदि बनाने के सूत का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने सूत का आयात करने का विचार है;

(ग) वस्त्र उद्योगों की देश के अन्दर ऐसा सूत बनाने की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार को अमृतसर तथा लुधियाना के मोजे बनियान आदि बनाने वालों से सूत बनाने की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत हंगरी व्यापार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ हंगरी से 15.8 लाख रुपये मूल्य के सूत के आयात की व्यवस्था है ।

(ख) इस व्यवस्था के अन्तर्गत सौ तथा अधिक काउंट वाले लगभग 34,000 कि० ग्राम सूत के आयात होने की संभावना है ।

(ग) लगभग छः लाख किलोग्राम प्रति मास ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Train Drivers on Baroda Division

5013. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Drivers removed or dismissed from service in Baroda Division, Western Railway, during the last three years on account of fusion of lead plugs of engines; and

(b) the number of those belonging to the Scheduled Castes among them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Nil.

(b) Does not arise.

प्रथम श्रेणी के क्लर्क

5014. **श्री राम चरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की यातायात लेखा शाखा में प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के 47 स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई भर्ती पर पूरी तरह रोक लगी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर उन योग्य अनुबन्ध 2 के कर्मचारियों को नियुक्त करने का है; जो पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) क्लर्क ग्रेड I के केवल 36 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ये पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं। इन पदों को अपेंडिक्स II के अर्ह कर्मचारियों द्वारा भरने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात और आयात

5015. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी निर्यात समस्या को हल करने के बारे में बातचीत की है ताकि एक निर्धारित अवधि के के अन्तर्गत उनके द्वारा किया जाने वाला आयात और निर्यात सन्तुलित हो सके;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की थी;

(ग) उनके द्वारा किये जाने वाले आयात/निर्यात की स्थिति सुधारने के बारे में क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या देश में सूती कपड़ा उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई विशेष उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन उद्योगों के प्रतिनिधियों के मध्य विचार-विमर्श हुआ उनके नाम ये हैं :—

1. रबड़ टायर तथा ट्यूब निर्माण उद्योग;
2. प्राथमिकता प्राप्त सूची के इंजीनियरी उद्योग: और
3. सूती कपड़ा उद्योग।

टायर तथा ट्यूब निर्माताओं के प्रतिनिधि एक योजना बनाने के लिये सहमत हो गये हैं जिसकी रूप रेखा में यह बात शामिल होगी कि वे अपने आयातों को अन्त तक बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का किस तरह उपार्जन करेंगे। इंजीनियरी माल के निर्माताओं के प्रतिनिधि देश के इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये

उद्योगवार परस्पर मिल जाने और सहकारिता प्रयासों को संगठित करने के लिये सहमत हो गये ।

(घ) सूती कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों को सूचना दी गई कि उद्योग की कपास की मांग को पूरा करने के लिये प्रबन्ध किये जायेंगे ।

अमरीका को बीड़ियों का निर्यात

5016. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय बीड़ियों की काफी मांग है;

(ख) अब तक कुल कितने मूल्य की बीड़ियों का निर्यात किया गया है; और

(ग) क्या अमरीका में बीड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अमरीका को वाणिज्यिक पैमाने पर बीड़ियों का कोई निर्यात नहीं हुआ है । इस समय केवल परख के आर्डर तथा नमूने भेजे जा रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

शराब का आयात

5017. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960, 1964, 1965 तथा 1966 में विदेशों से कितनी शराब का आयात किया गया;

(ख) विदेशी शराब के आयात को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले चार वर्षों में विदेशी शराब पर शुल्क बढ़ाया है; और

(घ) विदेशी शराब पर शुल्कों से वर्ष 1964 से लेकर 1967 में अब तक कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मद्यसारिक पेयों का आयात

	लाख रुपये
1960	56.6
1964	35.9
1965	37.8
1966	25.6
1967 (जन. तथा फर.)	5.2

(ख) विदेशी शराब के आयात में कमी करने के उद्देश्य से आयात नीति को इस ढंग से तैयार किया गया है कि आयात की मात्रा को, मुख्यतः सैलानियों और क्लबों की अनिवार्य मांग पूरी करने के लिये, यथासंभव न्यूनतम सीमा तक रखा जा सके।

(ग) 'शराब कार्डियल्स तथा मिक्सचर' पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

(घ)	1963–64	1.31 करोड़ रुपये
	1964–65	1.55 करोड़ रुपये
	1965-66	1.80 करोड़ रुपये
	1966–67 (जन. 67 तक)	1.08 करोड़ रुपये

आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे गये हैं।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम

5018. श्री सम्बन्धन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्त शिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा प्रेषित टसर रेशम की एक खेप घटिया किस्म की होने के कारण कलकत्ता सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रोक ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो एक सरकारी उपक्रम द्वारा इस प्रयास के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा घटिया किस्म का माल भेजने के इन प्रयासों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित कारों की बिक्री

5019. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम विदेशी दूतावासों से खरीदी हुई पुरानी आयातित कारों से भारी लाभ कमा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन कारों से कितना लाभ कमाया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्री श्री (दिनेश सिंह) (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम द्वारा ली गई आयातित कारों के लिये समय समय पर मुहर बन्द सार्वजनिक टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं जिन्हें कोई भी भेज सकता है। इन कारों की बिक्री से उपार्जित लाभ को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

लखनऊ एक्सप्रेस रेल गाड़ी के साथ दूसरे दर्जे की बोगी लगाई जाना

5020. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ दिल्ली स्टेशन पर लगाई जाने वाली दूसरे दर्जे की बोगी 29 मई, 1967 को नहीं लगाई गई थी क्योंकि उस गाड़ी के साथ एक अफसर डिब्बा लगाया जाना था ;

(ख) क्या डिब्बा न लगाने का निर्णय गाड़ी के छूटने के समय किये जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में उन यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई जिन्होंने दूसरे दर्जे के टिकट पहले ही खरीद रखे थे ; और

(ग) यदि हां, तो अफसर के डिब्बे को दूसरे दर्जे के वास्तविक यात्रियों को बोगी के ऊपर वरीयता क्यों दी गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं ।

(ख) 29 मई, 67 को 84 डाउन दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस गाढ़ी में दूसरे दर्जे का डिब्बा न लगाये जाने का कारण, जिसके फलस्वरूप यात्रियों को असुविधा हुई, यह था कि वह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बदले में कोई अन्य डिब्बा उपलब्ध नहीं था ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

Exploration of Gypsum in Rajasthan.

5021. **Shri Onkar Lal Berwa .** **Shri N. S. Sharma :**
Sari Onkar Singh : **Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the **Minister of steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the areas in Rajasthan in which exploratory works for Gypsum are being carried out ;

(b) the progress made therein; and

(c) the qnantity of Gypsum likely to be exploited separately ?

The Minister of Steel Mines & Metals (Dr. M. Channa Reddy) : (a) & (b) The Geological Survey of India carried out detailed investigations of gypsum deposits in Nagaur and Badwasi during the second Plan period over an area of 225 sq km. These investigations resulted in discovery of large deposits of gypsum at depths ranging from 35.5 to 115.52 m. over an area of 76,6 sq. km. The reserves proved so far of the order of 953 m tonnes of gypsum.

During the Third Plan period, the Geological Survey of India carried out investigations for gypsum and gypsite in the districts of Churu' Ganganagar and Bikaner covering an area of more than 20,000 sq. km. The estimated reserves in more important occurrences area of the order of I8. m. Tonnes.

Exploratory drilling is in progress at Badwasi where 2139 metres of drilling has been completed upto the end of May, 1967.

(c) Information on this point is being collected and will be placed on the table of the house shortly.

Railway Line From Pokaran To Jaisalmer

5022. **Shri N. S. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri Beni Shankar Sharma :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that work on Raiiway line from Pokaran to Jaisalmer has been started ;

(b) if so, the progress made in regard thereto; and

(c) when the work is likely to be completed ?

Minister For Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Overall physical progress achieved upto the end of May, 1967 is 33%

(c) Target date of completion is 31-12-1967.

चार्ज मेनों और फोरमेनों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण

5023 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे मंत्री** 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्जमेनों और फोरमेनों ने अपने अध्यावेदनों में अपने वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किये जाने के पक्ष में क्या तर्क पेश किये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) इन कर्मचारियों पर जो वेतनमान लागू होता है, वह उनके उच्च तकनीकी कौशल और उन भारी जिम्मेदारियों के अनुरूप हैं, जो वे उठा रहे हैं ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि कर्मचारियों के लिए पहले से नियत किये गये वेतन-मान उनके पदों से सम्बद्ध कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप हैं ।

औद्योगिक उत्पादन

*5024. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके निर्यात में वृद्धि के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी औद्योगिक बुराइयों को सुधारने के सुझाव देने का काम विकास परिषदों को सौंपा गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में से महत्वपूर्ण उपाय ये हैं:—

जून 1966 में किये गये रुपये के अवमूल्यन से यह आशा थी कि विश्व की मंडियों में अपने निर्यात को प्रतियोगी बनाकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाय।

2. अवमूल्यन के बाद निर्यात को उदार बनाने के लिये विशेषकर पूर्वता-प्रथा उद्योगों के बारे में उपाय किये गये। बिना पूर्वता वाले उद्योगों तथा लघु उद्योगों को काफी विदेशी मुद्रा का नियतन करने के लिये भी उपाय किये गये थे। अन्य उद्योगों को वर्तमान निर्यात व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार निर्यात अधिकार प्राप्त हैं, ये अधिकार उद्योगों के अनुसार निर्यात के 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है।

3. लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भी विशेष उपाय किये गये हैं जैसा कि राज्य व्यापार निगम के तत्वावधान में "निर्यात-सहायता उद्योगों" सम्बन्धी एक योजना चालू की गई है।

4. कुछ उद्योगों को औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त से छूट दे दी गई थी। इन उद्योगों में सीमा के अन्दर उत्पादन के विस्तरीकरण की अनुमति भी दे दी गई थी।

(ग) विकास परिषदों की कृत्य उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की दूसरी अनुसूची में दिये हुए हैं। ये कृत्य स्वरूप में बहुत विस्तृत तथा व्यापक हैं।

Seats in Sleeper Coaches at Kotah

5025. Shri T. P. Shah :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state;

(a) The number of persons on the waiting list for state in two and three-tier sleeper coaches during the 1st six months at Kotah in Rajasthan;

(b) The number of persons out of them accommodated;

(c) The number of seats which were available in the sleeper coaches on the 22nd June, 1967 at Kotha; and

(d) The number of persons on the waiting list who were accommodated ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 902.

(b) 582.

(c) 3 sleeper berths,

(d) Three.

कपड़ा उद्योग को रेयन के धागे की सप्लाई

5026. श्री चितरंजन राय :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री राम किशन :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयन धागा के बुनकरों के उत्पादन शुल्क बढ़ जाने के कारण कपड़ा उद्योग को रेयन धागा मुहैया करना बन्द कर दिया है; और

(ख) क्या सरकार को कपड़ा निर्माता संघ से इस बारे में कोई आवेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) उत्पादन शुल्क में वृद्धियों के परिणामस्वरूप कत्तिनों द्वारा रेयन धागे की सप्लाई बंद किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कम वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5027. श्री म० ला० सोंधी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के दिल्ली डिवीजन के डिवीजनल परसोनल अधिकारी ने कम वेतन पाने वाले 600 रेलवे कर्मचारियों की तुरन्त बदली के लिये स्थानान्तरण आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आदेश जारी करने से पूर्व इन कर्मचारियों के आवास तथा इनके बच्चों की शिक्षा समस्या पर विचार किया गया था;

(ग) क्या उक्त आदेश रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसार हैं; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इस आदेश को अगले वर्ष तक स्थगित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) सवाल ही नहीं उठता ।

Export of Cut-Piece Cloth to Ceylon

5028. Shri Prakash Vir Shastri
Shri Raghuvir Singh Shastri
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Ram Avtar Sharma
Shri Atam Das.
Shri Arjun Singh Bhadoria
Shri Hukam Chand Kachawai
Shri Y. S. Kushwah
Shri Ramji Ram

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that exports of Indian cut-piece cloth to Ceylon has declined during the last 5 years;

(b) whether it is due to the fact that the cotton cloth is being produced there in large quantity.

(c) whether Government have negotiated with any other country regarding the export of cut-piece cloth; and

(d) if so, the details thereof and the loss of foreign exchange as a result of redu. ction in the export of, cut-piece cloth ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) : A statement is attached.

Statement

If by cut.piece cloth what are meant are chindies and fents, figures of export to Ceylon of these items are not separately recorded in the statement of Foreign Trade, Total exports of cut pice cloth are negligible. There have been no negotiations with any country specifically for export of cut piece cloth, as the export trade in this is negligible. However, there has been a decline in the export of cotton piecegoods to Ceylon since 1965, partly due to the protection given by the Government of Ceylon to the local textile industry and also for reasons such as price limitation, competition from China and other countries with whom Ceylon has bilateral trade arrangements.

Murder of Postal Employee

5029. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Nardeo Snatak :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Postal Department employee carrying dak in the mail van in 2 M. D. train, which left Delhi on the morning of the 18th June, 1967 was murdered between Garhmukteshwar and Gajraula Stations by some persons who fled away with the postal money;

(b) whether Government have made an investigation in this regard and have arrested the accysed persons; and

(c) the full details in this regard ?

Minister For Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, The dead body of Shri Hira Lall, a mail guard (Postal Department employee) was found in the lavatory of R. M. S. Van No. 2355 attached to 2 M. D. (Moradabad-Delhi) Passenger train, on arrival at Moradabad on 18th June, 1967. The extent of loss has not so far been ascertained.

(b) Government Railways Police, Mora dadad, has registered a case under section 302 I. P. C. and investigation is in progress.

(c) Full details will only be known after investigation in this case is completed by the Govt. Raliway Police, U. P.

कानपुर के मैथोडिस्ट हाई स्कूल के समीप रेलवे फाटक पर हाल्ट स्टेशन का बनाया जाना

5030. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** :क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उत्तर प्रदेश कानपुर के मैथोडिस्ट हाई स्कूल के समीप वाले फाटक पर नियमित रूप से गाड़ियां रुकी रहती हैं जिससे लोगों को बड़ी असुविधा और विलम्ब होता है और बिना टिकट यात्रा के कारण सरकारी राजस्व की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस फाटक पर नियमित हाल्ट स्टेशन बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां । कुछ मौके ऐसे आये हैं जबकि गाड़ियों को उक्त क्रासिंग के पास रोक लिया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन्जीनियरिंग और वित्तीय दृष्टि से गाड़ी हाल्ट खोलना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू गोदामों के मालिकों को सिंगरेणी के कोयले की सप्लाई

5031. **श्री रंगा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आन्ध्र प्रदेश के विशेषकर गुण्टूर, कृष्णा तथा गोदावरी जिलों में तम्बाकू के गोदामों के मालिकों को सिंगरेणी कोयला खानों से जो कोयला दिया जाता है उसमें कोयले की राख मिली होती है;

(ख) क्या व्यापारियों को इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समाचार को: जिससे तम्बाकू साफ करने के उद्योग को भारी हानि होती है और तम्बाकू उगाने वालों को कम लाभ होता है, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) नहीं, महोदय ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में निर्मित कारों की किस्म

5032. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री प्र० ना० सोलंकी .
श्री के० के० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री सु० कु० तार्पड़या :
श्री न० कु० सोंधी :
श्री बेदव्रत बरूआ :
श्री य० अ० प्रसाद :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री नीति राज सिंह चौधरी :
श्री मरंडी :
श्री रा० री० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री मेघराज :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में निर्मित कारों की किस्म में निरन्तर ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत में निर्मित कारों के लिये कोई स्तर निर्धारित किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित किस्म तथा नमूने को स्वीकार कराने के लिये कोई कानूनी प्रतिबन्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई कानून बनाने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में बनने वाली कारों के किस्म के बारे में शिकायतें हाल में वृद्धि पर हैं;

(ख) और (ग) हालांकि गवर्नमेंट ने स्वयं मोटर गाड़ियों के किस्म के लिये कोई स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किये हैं फिर भी मोटर गाड़ियों और सहायक वस्तुओं के निर्माण पर समय समय पर उनकी उत्पादों की किस्म को बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया है देश के समस्त मोटर गाड़ी निर्माताओं को इस क्षेत्र में प्रसिद्ध विदेशी समवायों के साथ सहयोग की व्यवस्था है, उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने उत्पादों को अपने सहयोगियों द्वारा बनाई जाने वाली इसी प्रकार की मोटर गाड़ियों की किस्म का विशिष्ट विवरण और स्तरों के अनुसार बनायें।

(घ) सरकार देश में निर्मित कारों की किस्म में गिरावट के कारणों की जांच करने और उनके दूर करने के लिये अब समिति की नियुक्ति कर रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

5033. श्री हेम बरूआ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **इस्पात खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 1967-68 में 21 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है जिसके कारण निकट भविष्य में इस कारखाने के बन्द होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमानित घाटे के क्या कारण हैं तथा पिछले चार वर्षों में इस कारखाने को हुए घाटे की तुलना में यह घाटा कितना कम व अधिक है;

(ग) क्या इस कारखाने को सुदृढ़ आधार पर चलाने के लिये कोई ठोस उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। ऐसा अनुमान है कि 1967-68 में दुर्गापुर कारखाने को कोई 10 करोड़ रुपये का घाटा होगा;

(ख), (ग) और (घ) 1963-64 में वास्तविक घाटा 0.19 करोड़ रुपये था, 1964-65 में 0.53 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ था, 1965-66 में वास्तविक घाटा 2.31 करोड़ रुपये था और 1966-67 में वास्तविक घाटा 13.1 करोड़ रुपये था। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यकरण की जांच करने के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण भी सभा-पटल पर रखा जा चुका है। अब इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार में रेशम का कारखाना

5034. श्री मरंडी : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के संथाल परगना जिले में रेशम बनाने के लिये कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस कच्चे माल का प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार सथाल परगना में रेशम का कारखाना खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) ; बिहार सरकार का भागलपुर में 3000 तकुओं का कते हुए रेशम का मिल खोलने का विचार है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

बिहार में रेलवे लाइन का विस्तार

5035. श्री मरंडी : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संथाल परगना जिले में रेलवे लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इसका कब तथा किस स्थान तक विस्तार किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे सामान और उपकरणों का निर्यात

5036. श्री आत्म दास : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे सामान और उपकरणों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिये चार सदस्यों का एक दल न्यूयार्क (अमरीका) जा रहा है;

(ख) क्या यह दल कनाडा जी जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे का वाह्य यातायात कार्यालय

5037. श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणी :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के वाह्य यातायात कार्यालय में 11 नवम्बर, 1963 से अब तक और उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली में 22 अक्तूबर, 1964 से अब तक सेवा-निवृत्ति, तबादले, पदोन्नति, मृत्यु आदि के कारण क्लर्क ग्रेड 1 के कुल कितने पद रिजर्व हुए; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को किस प्रकार भरा गया ।

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क)

पश्चिम रेलवे में 21

उत्तर रेलवे में 72

(ख) **पश्चिम रेलवे**—कार्य विधि के यांत्रिकीकरण और सरलीकरण के कारण जो पद फालतू हो गये थे, उनसे इन खाली जगहों का समंजन हो गया ।

उत्तर रेलवे—सरलीकरण, प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की वापसी और अस्थायी खाली जगहों की समाप्ति के कारण जो पद फालतू हुए, उनसे 58 खाली जगहों का समंजन हो गया । 9 खाली जगहें उन कर्मचारियों द्वारा भरी गयीं जो पश्चिम रेलवे में फालतू

हो गये थे और इस रेलवे में अस्थायी रूप से खपा लिये गये थे । 5 खाली जगहें वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर अनर्ह कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरी गयीं ।

भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारिरों की मांगें

5038. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
जी रघुवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री आ० ना० तिवारी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री अ० डांगे :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किये जाने के परिणामस्वरूप उनमें काफी असन्तोष व्याप्त है;

(ख) लाठी चार्ज किये जाने के क्या कारण थे, उससे कितने व्यक्तियों को चोटें आईं और क्या उस अवसर पर अश्रु गैस छोड़ी गई थी और गोलियां भी चलाई गई थीं; और

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं । कारखाने और बस्ती में स्थिति पूर्णतया सामान्य हो गई है, उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है और हाजिरी भी ठीक हो गई है ।

(ख) लाठी-चार्ज इसलिए करना पड़ा क्योंकि 24 जून 1967 की सुबह से कारखाने के मुख्य द्वार के बाहर हजारों मजदूर जमा हो गये थे और वे पथराव कर रहे थे और जान बूझ कर कम्पनी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे आदि । बार बार अपील करने के बावजूद भी वे वहां से न हट नहीं रहे थे । ऐसी सूचना मिली है कि लगभग 30 व्यक्ति जख्मी हुये थे परन्तु किसी को भी गम्भीर चोटें नहीं आई थी । न अश्रु गैस छोड़ी गई थी और न गोली चलाई गई थी ।

(ग) बिना सोचे समझे और गैर जिम्मेदारी तरीके से मांगें की गई थीं जिन्हें पूरा करना बहुत हद तक असम्भव था । इन मांगों में से एक मांग पर अर्थात छुट्टी के नियमों को भंग करने तथा 1 अप्रैल 1960 से पहले कर्मचारियों को जितनी छुट्टियां मिलती थीं उसी प्रकार ज्यादा छुट्टी दी जाए पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विचार कर रही है ।

नेवेली बिजली घर

5039. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री 23 जून, 1967 अतारांकित प्रश्न संख्या 3461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली बिजलीघर की बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस विद्युत परियोजना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया है;

(ग) नेवेली में उत्पादित बिजली का उपयोग इस समय कितने राज्य करते हैं तथा प्रत्येक राज्य को कितनी बिजली दी जाती है;

(घ) क्या नेवेली में उत्पादित बिजली के बंटबारे के बारे में इन राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के साथ कोई करार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) - (क) और (ख) नेवेली ताप बिजली घर की वर्तमान उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है । नेवेली लिगनाइट निगम ने इस पर 31-3-67 तक 45.09 करोड़ रुपये की कुल राशि व्यय की है ।

(ग) निगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सारी फालतू बिजली मद्रास राज्य के पावर ग्रिड को दे दी जाती है। हमें यह विदित नहीं कि इसमें से कितनी बिजली दूसरे राज्यों को दी जा रही है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सेन्ट्रल बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड कामर्स

5040. **श्री जार्ज फरनेन्डीज ।**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बोर्ड आफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज एण्ड कामर्स नाम की एक गैर सरकारी फर्म, जिसका पता 6/बी-4 आसफअली रोड, नई दिल्ली है, उद्योगपतियों को निर्यात संवर्धन अभियान के लिये विदेश जाने वाले एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल होने के लिये फर्म के पास धन जमा करने के लिए कह रही है ।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त फर्म ऐसे पत्र तथा परिपत्र भेज रही है जो सरकारी पत्र-व्यवहार में सामान्यता प्रयोग में लाये जाने वाले शब्दों तथा तथा वाक्यांशों में लिखे होते हैं और इस प्रकार ऐसी धारणा पैदा कर रही है कि वह एक सरकारी अधिकरण है; और

(ग) क्या इस तथाकथित बोर्ड को धोखे में आ सकने वाले उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को गुमराह करने से रोकने के लिये सरकार का शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, सेंट्रल बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज एन्ड कामर्स द्वारा प्रयुक्त शब्दों तथा वाक्याशों की सरकार को जानकारी नहीं है । फिर भी फर्म का नाम और स्टाइल ऐसा है कि अन्य फर्मों को गुमराह कर सकता है ?

(ग) दिल्ली प्रशासन ने फर्म के निदेशक के विरुद्ध प्रतीक तथा नाम (अनुपयुक्त प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दावा कर दिया है ।

रूरकेला को तालचेर से मिलाने वाली रेलवे लाइन

5041. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या रेलवे मन्त्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर को रूरकेला से मिलाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर लिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि रूरकेला से बरस्वान तक रेलवे लाइन बन जाने से रूरकेला और तालचेर के बीच की दूरी कम हो गई है तथा क्या इस लाइन को मिलाने से उड़ीसा से होकर कटक तक सीधी लाइन बिछाने का विचार है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा क्या सरकार इस रेल सम्पर्क के लिये रेलवे लाइन बिछाने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) राउरकेला-तालचेर लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण 1947-48 में किया गया था । राउरकेला-बरसुआं (वर्तमान) लाइन का राउरकेला से पटासाही तक का लगभग 23 मील लम्बा भाग राउरकेला-तालचेर मार्ग पर पड़ता है । राउरकेला-पटासाही लाइन को तालचेर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

आसाम में कागज बनाने का कारखाना

5042. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना की रूपरेखा के प्रारूप में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के पहले वर्ष में आसाम में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम सहित विभिन्न राज्यों के प्रस्तावित कागज निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में लुगदी/कागज/अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना के कुछ प्रस्ताव हैं। चूंकि मामला अभी तक प्रारम्भीक अवस्था में है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों को वस्तुतः कब कार्यान्वित किया जायेगा।

(ख) आसाम में परियोजना प्रतिवेदन के तैयार करने का काम नेपा मिल्स को सौंपने का प्रस्ताव है और यदि यह अन्तिम रूप से तय हो गया तो परियोजना प्रतिवेदन के 1967-68 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

आसाम को लोहे की नालीदार चादरों का नियतन

5043. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य के लिये 1964-65 तथा 1966–67 में लोहे की कितनी नालीदार चादरों का नियतन किया गया;

(ख) 1964–65 में आसाम में लोहे की नालीदार चादरों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) 1964–65 में आसाम सरकार ने कितने प्रार्थियों को लोहे की नालीदार चादरें दीं; और

(घ) क्या भारी मांग को देखते हुए आसाम राज्य का लोहे की नालीदार चादरों का कोटा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : (क) कमी के कारण 1964–65 1965–66 और 1966–67 में किसी भी राज्य को लोहे की नालीदार जस्ती चादरों अथवा लोहे की काली नालीदार चादरों का नियतन नहीं किया गया। फिर भी आसाम को तदर्थ आधार पर निम्नलिखित अलाटमेन्ट की गई थी :

	नालीदार जस्ती चादरें	नालीदार काली चादरें
	टन	टन
1964–65	414.34	कुछ नहीं
1965–66	945.71	कुछ नहीं
1966–67	11.90	5200.00

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ऐसी संभावना है कि सितम्बर 1967 के बाद देश में जस्ती चादरों का उत्पादन काफी बढ़ जाएगा और ऐसी आशा है कि चादरों की सप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 1.5.67 से नियंत्रण हटाये जाने के बाद से कोटा देना बन्द कर दिया गया है।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल के कर्मचारियों की मांगे

5044. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेंक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के (मान्यता–प्राप्त) संघ ने फरवरी, 1966 में एक मांग पत्र पेश किया था; और

(ख) यदि हां तो व्यवस्थापकों ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे का सम्बन्धन

5045. श्री मरंडी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे खेल-कूद परिषद् बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'यूनियन स्पोर्टिव इन्टरनेशनल डेस चैमिनाट्स' से प्रार्थना की है कि भारतीय रेलवे को उसके साथ सम्बद्ध कर लिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला; और

(ग) भारतीय रेलों को अब तक सम्बद्ध न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) इण्डियन रेल्वेज स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा यूनियन स्पोर्टिव इन्टरनेशनल डेह कैमिनाट्स के साथ सम्बन्धन के लिए दिये गये आवेदन-पत्र पर निदेशकों के बोर्ड ने ममैया (रूमानिया) में 9 से 13 जून, 1967 तक हुई अपनी बैठक में विचार किया । निदेशकों के बोर्ड ने भारतीय रेलों के यूनियन स्पोर्टिव इन्टरनेशनल डेह कैमिनाट्स के साथ सम्बन्धन का एकमत से समर्थन किया है और जनरल कौंसिल, जो कि उसकी मुख्य संस्था है, से इसकी सिफारिश की है ।

(ग) भारतीय रेलों ने संबंधन के लिए आवेदन-पत्र 1966 में दिया था और उस पर निदेशकों के बोर्ड की ऊपर (ख) में निर्देशित पहली बैठक में विचार किया गया ।

कुटीर उद्योग

5046. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार कुटीर उद्योग में प्रोद्योगिक (टेकनोलाजिकल) क्रांति लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(क) क्या खादी उद्योगों की उत्पादन प्रणाली में अम्बर चर्खा जैसे कोई वैज्ञानिक सुधार किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) सरकार का यह निरंतर प्रयत्न है कि गवेषणा परिणामों के विशेषत: प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में गवेषणा के परिणामों के प्रयोग द्वारा उत्पादन-क्षमता में सुधार किया जाये जिससे कारीगरों की आय बढ़े। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कुटीर उद्योगों में हुए ऐसे सुधारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) छः तकुओं वाले एक पूर्ण धातु चर्खे पर प्रयोग किये जा रहे हैं ।

अम्बाला छावनी और सहारनपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां

5047. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उन्हें मालूम है कि अम्बाला छावनी और सहारनपुर के बीच चलने वाली प्रायः सभी सवारी गाड़ियों में हमेशा अत्याधिक भीड़ होती है और यात्रियों को अपना जीवन खतरे में डालकर पायदान पर लटकना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) यद्यपि अप्रैल, 1967 की गणना के अनुसार अम्बाला-सहारनपुर खण्ड पर लम्बी दूरी की डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ रहती है, लेकिन अन्य गाड़ियां पूरी तरह भरती भी नहीं हैं । 1966 के दौरान 4 जोड़ी गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी थी । डिब्बों की संख्या सीमित होने और परिचालन सम्बन्धी अन्य पहलुओं के कारण फिलहाल डिब्बों की संख्या को और बढ़ाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों की वर्दियां

5048. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि रेलवे अधिकारी कर्मचारियों के लिये वर्दियां सिलवाने के लिये ठेकेदार को एक पतलून और बुशर्ट की सिलाई क्रमशः पचास और सत्तर पैसे देते हैं;

(ख) क्या प्रत्येक कर्मचारी का नाम लिये जाने पर भी दी जाने वाली वर्दियां या तो बहुत ढीली और लम्बी होती हैं या बहुत तंग और छोटी होती हैं तथा इस प्रकार कर्मचारियों को उन्हें फिर से सिलवाना पड़ता है;

(ग) प्रत्येक कर्मचारी के नाप के अनुसार वर्दियां सिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या कर्मचारियों को कपड़ा तथा सिलाई भत्ता देने का भी विचार है ताकि वे अपने आप वर्दी सिलवा सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। रेल कर्मचारियों के लिए वर्दियों की सिलाई मुख्यतः महिला समितियों तथा हस्तकला केन्द्रों से कराई जाती है और बाकि वर्दियां ठेके पर सिलाई जाती हैं। ठेका देने के लिए खुले टेंडर मांगे जाते हैं और वर्दियों की सिलाई का आर्डर प्रतियोगी दर के आधार पर दिया जाता है। सिलाई की दरें हर रेलवे में भिन्न-भिन्न हैं और पतलून की सिलाई 52.75 पैसे से लेकर 2 रुपये तक है और बुशर्ट की सिलाई 69 पैसे से लेकर 2 रुपये तक है।

(ख) और (ग) कुछ रेलों में असामान्य डील-डौल वाले कर्मचारियों और 200 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, वर्दियां उनके सही माप के अनुसार दी जाती हैं। इनके अलावा अधिकांशतः सभी कर्मचारियों का माप लिया जाता है और उन्हें निकटतम निर्धारित मानक माप के आधार पर वर्दियां दी जाती हैं। वर्दियां ठीक माप के अनुसार नहीं है, ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं और यदि वर्दी में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे यथाशीघ्र दूर कर दिया जाता है। वर्दियों की सिलाई के संबंध में कोई शिकायत न आने पाये इस उद्देश्य से अब वर्दियां कटाई कारखानों में काटी जाती हैं। ये कारखाने दक्षिण-मध्य-रेलवे, जो अभी हाल में बनी है, को छोड़कर, सभी क्षेत्रीय रेलों में स्थापित हैं।

(घ) जी नहीं।

चोआ नाला पुल

5049. श्री सूरजभान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुखेड़ी तथा अम्बाला छावनी स्टेशनों के बीच चोआ नाला पुल पर पिछले पांच वर्षों में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ख) क्या विद्यमान उक्त तंग पुल को चौड़ा करने और इसके द्वारा लोगों के जीवन को बचाने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो पुल के ऊपर वाले तिकोने भाग को हटाने के लिये, ताकि भविष्य में यात्री उससे टकरा न जायें, क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नौ।

(ख) गाड़ियों के संचलन के लिए पुल की चौड़ाई काफी है।

(ग) पुल के ऊपर तिकोने भाग को हटाना सम्भव नहीं है, क्योंकि उससे पुल का ढांचा कमजोर हो जायेगा।

Clerks of Administrative Workshop Wing Northern Railway

***5050. Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the reorganisation of the Indian Railways in 1952 the seniority of the clerks of Administrative workshop Wing, Fategarh District, North-Eastern Railway was linked with the Clerks of Lucknow District;

(b) whether it is also a fact that orders were issued in 1954 to promote the Senior Clerks to the maximum prescribed scales;

(c) if so, whether the said orders have been implemented;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the reasons for promoting Junior Clerks superseding the Senior Clerks ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The Seniority of Clerks (Establishment) grade 110-180 of Fatehgarh was linked with Clerks (Establishment) grade Rs. 110-180 of Regional Offices; Lucknow.

(b) Yes. Orders promoting 3 Clerks as Senior Clerks were issued in 1954.

(c) No. These orders were subsequently cancelled.

(d) & (e) A meeting with the recognised Union was held a few days after the issue of the promotion orders referred to in (b) and it was decided that the unit of promotion should be changed from Lucknow-Fatehgarh to Gonda-Fatehgarh with retrospective effect from 1.10.1953, and accordingly promotion orders of three persons who were promoted earlier on the basis of combined seniority of Lucknow-Fatehgarh were cancelled, On receipt of representation, the matter was re-examined and as a concession, the affected staff of Fatehgarh have been allowed the benefit of seniority from the date they were originally ordered to be promoted in Lncknow-Fatehgarh unit.

छत वाले माल-डिब्बों की कमी

5051. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह ; क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोरबंदर में छत वाले माल-डिब्बों की अत्यन्त कमी होने के कारण सीमेंट, सोडा-ऐश रसायनों, कपास और तिलहन को लाने ले जाने में गभीर बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर ऐसे माल-डिब्बों की औसत दैनिक आवश्यकता कितनी है और कितने माल-डिब्बों की कमी है; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) चूंकि पश्चिम रेलवे की मीटर लाइन पर आयात खाद्यान्न और उर्वरक, सीमेंट, नमक आदि जैसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त यातायात सम्बन्धी भारी मांग को पूरा करने के लिये माल-डिब्बे सबसे पहले सप्लाई किये जाते हैं, इसलिए पोरबन्दर से चलने वाले और निम्न प्राथमिकता वाले अन्य यातायात की मांग को पूरा करना संभव नहीं हो पाया है । इस बात से स्थिति और भी बिगड़ गई है कि मानसून शुरू हो जाने से, सामान्यतः खुले डिब्बों में भेजे जाने वाले माल की ढुलाई के लिए भी बन्द मालडिब्बों की जरूरत है । इसके अलावा मानसून शुरू होने पर पश्चिम रेलवे को पोरबन्दर पोर्ट के रास्ते भेजे जाने वाले यातायात का अतिरिक्त बोझ भी सम्भालना पड़ता है, क्योंकि इस पोर्ट में सुधार करके इसे बारहमासी पोर्ट बनाने का प्रबन्ध अभी पूरा नहीं हुआ है । इस अतिरिक्त यातायात को रेल द्वारा भेजने की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद पोरबन्दर से चलने वाले यथासंभव अधिक से अधिक यातायात की ढुलाई करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी से 30 जून, 1967 तक की अवधि में पोरबन्दर से अन्य वस्तुओं के अलावा कपास, रासायनिक पदार्थ और सीमेंट के मीटर लाइन के कुल 6,196 डिब्बों का लदान किया गया, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 3,790 डिब्बों का लदान हुआ था।

---

6 जुलाई, 1967 की ध्यान दिलाने वाली सूचना पर वक्तव्य के बारे में (प्रश्न)

RE : STATEMENT AN CALLING ATTENTION NOTICE ON 6 JULY, 1967 (Query).

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, yesterday one call-attention motion could not be completed as the House had to adjourn for want of quorum. As such many Members could not put questions.

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं; इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will you kindly allot some time for it ?

अध्यक्ष महोदय : आपको चाहिए कि मुझे लिखें; मैं एकदम यहां पर किसी बात की अनुमति नहीं दे सकता; आप इसको इस तरह नहीं उठा सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरकार द्वारा कोयले से नियंत्रण हटाने के निर्णय किये जाने के समाचार

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं इस्पात, खान तथा धातु मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस विषय में एक वक्तव्य देवें :

"सरकार द्वारा कोयले से नियंत्रण हटाने का निर्णय किये जाने के समाचार।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् इससे पहले मंत्री महोदय वक्तव्य दें, मेरा एक निवेदन है। यहां सभा में एक प्रथा बन गई है कि जब भी सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय करती है, तो पहले उसकी घोषणा सभा में की जाती है। समाचारपत्रों में यह समाचार कल प्रकाशित हो गया था। आपको उनसे कहना चाहिए कि ऐसा नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा सभा में की जानी चाहिए। परन्तु इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप इसको पृथक रूप से उठा सकते हैं।

डा० चन्ना रेड्डी : कोयले के मूल्यों और वितरण पर पहली बार क्रमशः 1940 और 1945 में नियंत्रण लगाया गया। कोयले पर नियंत्रण का सरकार ने समय समय पर पुनरीक्षण किया है। अनियंत्रण की ओर 1959 में पहला कदम उठाया गया जबकि बंगाल, बिहार के 3 ए० और 3 बी श्रेणियों के नान-कोकिंग कोयले के उच्चतम मूल्यों के स्थान पर निश्चित मूल्यों की सरकार ने सूचना दी। अप्रैल, 1960 में हार्ड कोक के लिये अधिकतम मूल्य ठहराए गये। 1962 में दूसरी श्रेणी के नान-कोकिंग कोयले और एच० एच० श्रेणी के कोकिंग-कोयले के मूल्यों को भी उच्चतम मूल्यों के रूप में घोषित किया गया।

वितरण सम्बन्धी नियंत्रण में 1964 में कुछ नर्मी लाई गई जबकि उपभोक्ताओं को दूसरी और तीसरी श्रेणी के नान-कोकिंग और सिंगरेणी के अश्रेणित कोयले तथा साफ्ट कोक को लेने की आज्ञा दी गई। शर्त केवल यह थी कि यह युक्तिसंगत यातायात के बन्धनों के अधीन होगा।

1966 में हार्ड कोक के वितरण और मूल्यों पर से भी नियंत्रण हटा लिया गया।

पिछले दस वर्षों के दौरान 25 मौकों पर विभिन्न पहलुओं से कोयले के मूल्यों को बढ़ाया गया है। समय समय पर कोयले की कीमतों में वृद्धि और उसके कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 944/67]**

हाल ही में कोयला विकास परिषद की बैठक से लाभ उठाते हुए उत्पादकों के साथ अनियंत्रण के सवाल पर बातचीत की गई। उत्पादकों ने सब श्रेणियों के कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले पर से पूरी तौर पर नियंत्रण हटाने का पक्ष लिया। परन्तु उन्होंने आग्रह किया कि कोयला खनन उद्योग के बारे में मज़दूरी मंडल की सिफारिशों की स्वीकृति और कोयले के मूल्य में तदनुरूप वृद्धि के देने के लगभग छः महिने के बाद इस नियंत्रण को हटाना चाहिये। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरी-मंडल की सिफारिशों की स्वीकृति और तदनुसार कोयले के मूल्यों में वृद्धि की मंजूरी एक ही समय होनी चाहिये अन्यथा उद्योग इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, सरकार कोयले पर लगाये गये नियंत्रणों का लगातार पुनरीक्षण करती रही है और अनियंत्रण की दिशा में प्रगति होती रही है। सरकार का विचार है कि वर्तमान समय कोयले पर से नियंत्रण हटाने का सबसे अधिक उपयुक्त मौका है। इस समय कोयले का काफी उत्पादन और एकत्रित-क्षमता है, विशेष रूप से प्रथम श्रेणी के नान-कोकिंग तथा इससे नीची श्रेणी के कोयले का लम्बे समय तक प्रतीक्षा किये बिना और अधिक उत्पादन हो सकता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है भूतकाल में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने, पंच फैसले को क्रियान्वित करने, स्वामित्व का बोझा सहने, प्रोवीडेंट फण्ड में पैसा देने और बोनस आदि के बदले में मूल्य बढ़ाया जाता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग के लिये कोई प्रोत्साहन बाकी नहीं रहा। कोयला उद्योग को इसकी कार्यकुशलता बढ़ाकर आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिये यह महसूस किया जाता है कि हर एक ऐसी वृद्धि का प्रभाव, जिसका कि ऊपर ज़िकर किया गया है, उपभोक्ता पर न पड़ने दिया जाय। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि कोकिंग तथा नान कोकिंग सब कोयलों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिया जाय। तथापि जहां तक आवश्यक समझा जायगा धातुकार्मिक उपभोक्ताओं अर्थात स्टील प्लांटों आदि द्वारा चाहे जाने वाले कोकिंग-कोयले पर ही वितरण सम्बन्धी नियंत्रण को ज्यों का त्यों रखा जायगा। आम तौर पर कोयले का आवागमन रेलवे अधिनियम के अनुबन्धों के अधीन होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I have a point of order as well as clarification. There are contradictions in the statement made by the hon. Minister, the table and the statement of reasons laid on the Table. Supplementaries can be put only after it is clarified.

अध्यक्ष महोदय : वे इन बातों को अपने अनुपूरक प्रश्न में पूछ सकते हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस उद्योग की कठिनाइयों का मूल कारण सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारण है। सरकार ने तीसरी योजना अवधि के अन्त में पहले 970 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन वास्तव में खपत 680 लाख मीट्रिक टन भी नहीं हुई जिसके परिणामस्वरुप कोयला बेकार पड़ा रहा। उद्योग की मांग को बनाये रखने के लिये कुछ निश्चित कदम उठाये जाने चाहिए। रेलवे द्वारा डीजल से इंजन चलाने के कार्यक्रम को बन्द करना होगा क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उर्वरक उद्योग को उर्वरक उत्पादन में कोयले को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने की योजना को क्रियान्वित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : निर्यात को बढ़ाने के लिये, जो भारत-पाक संघर्ष के बाद कम हो गया है, क्या कदम उठाने का विचार है ?

डा० चन्ना रेड्डी : नियंत्रण हो अथवा न हो इस स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय का यह निरन्तर प्रयास रहेगा कि कोयले का प्रयोग बढ़ाया जाये लेकिन डीज़ल का प्रयोग तथा कोयले के स्थान पर नेफ्था के प्रयोग से बचत आदि अन्य पहलू भी हैं। पाकिस्तान को काफी मात्रा का निर्यात किया जाता था और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों की वर्तमान सामान्य स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान को निर्यात के बारे में संभावना बताना आसान नहीं है। लेकिन अन्य देशों को हमारा निर्यात पहले जैसा जारी है।

Shri Madhu Limaye : Why the colliery owners are demanding increase in the price of coal and postponement of decontrol for 6 months ? Is the hon. Minister aware of purchase of sub-standard coal at rates of quality coal by Railway Board with the collusion of its officers ? What measures have been devised to end this collusion ?

Dr. Chenna Reddy : It is not proper to go on increasing the constantly the price of coal as demanded by coal mine owners. The coal industry should shoulder some responsibility and burden and increase its efficiency. Demand is less as compared to production and that is the reason for decontrol. As regards, collusion between Railway Board and the colliery owners, the Railway Board and Ministry will take notice of it and look into it. On our side the coal controller will continue to exercise due care.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : From the statement it appears on 13.6.62, 3.3.64 and 22.12.66 incentives were given to colliery owners to increase the production of high standard coal but they failed to achieve the target of 9.50 crore tonnes in the Third Plan by 3 crore tonnes. Since the colliery owners are demanding an increase of Rs. 3 to Rs. 5, do the Government consider it justified, if so, the date from which enhanced rates would be applied and from which date coal will be decontrolled ?

Dr. Chenna Reddy : There is no question of increasing the price. It is a question of demand and supply, and with the inter-relationship of the two and decontrol the price will settle automatically. Decontrol will be effected from the date of announcement.

सभा–पटल पर पत्रों के रखने के बारे में विनिर्णय

RULING REGARDING LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

अध्यक्ष महोदय : 5 जुलाई, 1967 को श्री मधु लिमये ने प्रश्न उठाया था कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के मामले में, सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा किये गये निर्णय की सूचना दी जानी चाहिए कि उन्होंने पत्रों के रखे जाने की अनुमति दी है अथवा नहीं। सदस्य ने सुझाव दिया था कि या तो अध्यक्ष को अपने निर्णय की सभा में घोषणा करनी चाहिए या कार्य-सूची में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए, जैसा कि मंत्रियों द्वारा पत्रों के उपस्थापन के मामले में किया जाता है। डा० लोहिया ने भी बाद की प्रक्रिया का समर्थन किया था।

6 जुलाई को श्री मधु लिमये ने मुझे लिखा कि अध्यक्ष जिन पत्रों के रखने की अनुमति दें, उनका कार्य-सूची में उल्लेख किया जाना चाहिए और सम्बन्धित सदस्यों को उसी प्रकार उस पत्र को उपस्थित करने के लिये कहना चाहिए जिस प्रकार मंत्रियों द्वारा पत्र उपस्थित किये जाते हैं।

स्थिति यह है कि मंत्री द्वारा किसी पत्र अथवा दस्तावेज के उपस्थापन के मामले में कार्य-सूची में प्रविष्टि की जाती है; क्योंकि इस पत्र के लिये मंत्री स्वयं उत्तरदायी होता है और उसे निम्न आधार पर इसे प्रमाणिक करने का प्राधिकार होता है–

(एक) यह उसके पर्यवेक्षण अथवा देखरेख में तैयार किया गया है अथवा तैयार किया गया माना जाता है; और

(दो) उसके पास अधिकृत रूप में दस्तावेज होता है।

तथापि गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में उनके द्वारा अपने भाषणों के दौरान पत्रों अथवा दस्तावेजों को रखने की अनुमति मांगी जाती है। इसलिये स्पष्ट ही ऐसे पत्रों के बारे में कार्य-सूची में कोई प्रविष्टि नहीं की जा सकती। तथापि, जब ऐसे किसी पत्र को सभा पटल पर रखने मानने का निर्णय किया जाता है, वह पत्र पुस्तकालय में रख दिया जाता है; और मुद्रित वाद-विवाद में उसका संदर्भ दे दिया जाता है। यह मंत्रियों पर भी लागू होता है, जो अपने भाषणों के दौरान सभा-पटल पर पत्र अथवा दस्तावेज रखें। इस प्रकार इस बारे में मंत्रियों और गैर-सरकारी सदस्यों से बीच कोई अन्तर नहीं है।

चूंकि सदस्य चाहते हैं कि जब अध्यक्ष किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा-पटल पर दिये गये पत्र को सभा-पटल पर रखा गया मानने के लिये आवश्यक अनुमति देता है, तो सदस्य को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, मैंने भविष्य में इस सूचना को समाचार भाग 2 में प्रकाशित करने के लिये सचिवालय को निर्देश दे दिया है।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

रबड़ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड (भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3808 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल टी 943/67]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
President Assest to Bills.

सचिव : श्रीमान् मैं चालू सत्र में संसद को दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित दो विधेयक. जिन पर 30 जून, 1967 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक, 1967

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1967

श्रीमान् मैं भ्रष्टाचार निरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 की. जिसे चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया तथा जिस पर राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूँ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) मैं शिक्षा मंत्रालय–(एक) सालार जंग संग्रालय, हैदराबाद; और (दो) पुरातत्वीय संग्रहालयों के बारे में प्राक्कलन समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

नारियल जटा उद्योग बोर्ड

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं ?

"कि एम० आर० ओ० संख्या 3983 दिनांक 12 दिसम्बर 1957 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एम० आर० ओ० संख्या 3983 दिनांक 12 दिसम्बर, 1957 द्वारा संशोधित रूप में नारियल जटा उद्योग नियम 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

सभा के कार्य के बारे में
RE-BUSINESS OF THE HOUSE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : में आपके जरिये संसद कार्य मंत्री से दो-तीन महत्व-पूर्ण विषयों पर चर्चा की व्यवस्था करने की अपील करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप ब्यौरे में न जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने हमें स्पस्ट रूप से कहा था कि उन्हें मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है ; चर्चा अवश्य होनी चाहिए, दो घण्टे की चर्चा होनी चाहिए । दूसरे, मुझे मालूम हुआ है कि निजी थैलियों के बारे में श्री मधु लिमये को प्रस्ताव की अनुमति दे दी गई है । कृपया इन दोनों पर चर्चा की अनुमति दीजिये ।

बजट बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु बजट पर चर्चा के दौरान ···

अध्यक्ष महोदय : आप ब्यौरे में जा रहे हैं मुझे एक दो अन्य सदस्यों को भी सुनने दीजिये । आप केवल यही चाहते हैं कि मंत्री महोदय अगले सप्ताह का कार्यक्रम घोषित करें और कुछ विषयों पर, जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं, चर्चा होनी चाहिए ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह पहली बार हो रहा है कि बहुत सी मांगों पर मुखबन्द लागू किया जा रहा है । हमें इसका दुख है । पहले यह यथा संभव चर्चा की जाती थी । मैं अनुरोध करता हूं अब हम इन सब विषयों पर, इन मांगों के दोरान चर्चा न करें । हमें देश को स्पष्टीकरण देना होगा कि इतने विभागों के प्रशासन के बारे में संसद समुचित चर्चा नहीं कर सकी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) Mr. Speaker, I will suggest two things. Firstly, either from to-day or Monday till 21 st, when demands will be ginllotined, we may dispense with the lunch hour and secondly we may sit on saturday. I am told the motion regarding privy purpses under Rule 193 will be taken up on Thursday.

श्री रंगा : कोरम का प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : I will appeal both to the ruling party as well as the opposition not to challenge quorum.

श्री अध्यक्ष महोदय : यदि सब इसको माने तब भी संभव है अन्यथा नहीं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने इस बार आगामी सप्ताह में चर्चा का कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है । दूसरे, जैसा श्री रंगा ने बताया, संभवतः सभा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आधे से अधिक मांगों पर मुखबन्द लगाया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि एक हफ्ते अथवा 4-5 दिन के लिये चर्चा बढ़ा दी जाये ।

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 21 तारीख से आगे चर्चा बढ़ाना संभव नहीं है। अगले सप्ताह जिन मांगों पर चर्चा होगी, उनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यदि वे सदस्य चाहें तो मैं प्रत्येक सप्ताह घोषणा कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शनिवार को बैठक बुलाने के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम इसके विरुद्ध हैं, शनिवार को हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना होता है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हम लंच का घण्टा समाप्त कर सकते हैं। और शनिवार को आ सकते हैं अथवा सात बजे शाम तक बैठ सकते हैं। अनुदानों की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके बाद ही अन्य विषय लिये जाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, 15 तारीख को बैठने तथा लंच समाप्त करने के बारे में उसमें विचार करेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महंगाई भत्ते के प्रश्न के बारे में कुछ आश्वासन नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वे कैसे समय दे सकते हैं ? इस समय वे कुछ नहीं कह सकते।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल सूखे से पीड़ितों को सहायता के बारे में कह रहा था। हमने एक बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बना रखा है, यह बात दूसरी है कि उसका कार्य असन्तोषजनक है। फिर केन्द्र में अकाल निवारण बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाये ? इस बोर्ड को 600 करोड़ रुपये देदिये और इसके तत्वाधान में देश के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का क्रमबद्ध विकास किया जाये। गत वर्ष जून में तिरुपति में दक्षिण भारत के चार राज्यों के, जो अकाल-ग्रस्त थे, मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। उन्होंने केन्द्रीय सरकार से समूचे देश में सूखा सहायता कार्यों का उत्तरदायित्व संभालने का अनुरोध किया था और बाद में योजना आयोग को अकाल निवारण की एक राष्ट्रीय योजना भी भेजी थी। योजना आयोग ने पहली बार 40 करोड़ रुपये नियत किये हैं, परन्तु सूखा सहायता कार्यों के लिये नहीं बल्कि केवल जांच-पड़ताल सर्वेक्षण के लिये। इस थोड़े से धन से सूखे को दूर नहीं किया जा सकता।

आप सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका उदाहरण मेरे जिले में पुलिवेंडला नहर, जिसकी आधार–शिला 1962 के आम चुनाव के समय यह ध्यान देने की बात है रखी गई थी और इससे 55,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होने की आशा थी। पांच साल हो चुके हैं परन्तु आगे कुछ नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रभा समाचार पत्र के बंगलौर संस्करण में अभी एक समाचार था कि दो-तीन वर्ष तक लगातार वर्षा के अभाव में लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्य के सन्तरे के बाग नष्ट हो रहे हैं। यदि 1962 में आधार-शिला रखे जाने के बाद तुरन्त कार्य किया जाता, तो उस क्षेत्र के लोगों को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता।

तुंगभद्रा नदी से पानी देने के मामले में रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ अन्याय किया गया है। अंग्रेज इंजीनियरों ने मुख्य रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये तुंगभद्रा परियोजना बनाई थी। मेरे जिले में 20,000 आयकटों को काटा जा चुका है और इनमें से आधे पेन्नार पर निर्भर करते हैं, जो अनिश्चित साधन हैं। मैं माननीय (मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना) को सुधारें। रायलसीमा में सूखे को दूर करने के लिये कृष्णा नदी का पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। उपप्रधान मंत्री आन्ध्र प्रदेश जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि वेनागार्जुनसागर और कोणगुडम जायें और योजना के लिये आन्ध्र प्रदेश को अधिक वित्तीय सहायता दें।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालगुडा) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय को बागडोर अखिल भारतीय प्रसिद्धि के एक इंजीनियर के हाथ में है। यदि मंत्रालय को आवश्यक धन दे दिया जाये, तो भारत फालतू उत्पाद वाला देश हो जायेगा। यदि नागार्जुनसागर परियोजना के लिये अगले तीन वर्षों में 35 करोड़ रुपये का एक अन्य ऋण दे दिया जाये, तो इस परियोजना से अगले 10 वर्षों में इतना चावल पैदा होने लगेगा, जो समूचे देश को आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त होगा। हम अनेक राज्यों को खाद्यान्न के लिये राज सहायता पर 118 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार को उसके द्वारा मांगी गई यह राशि दे देने से 25 लाख एकड़ और भूमि में न केवल विदेशों से खाद्यान्न की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी अपितु इस देश में कोई अकाल नहीं होगी तथा हम अन्य देशों को खाद्यान्न निर्यात भी कर सकेंगे।

हमारे पड़ौसी राज्यों, मैसूर और महाराष्ट्र, को इस परियोजना के दूसरे चरण के बारे में कोई सन्देह मालूम होता है। यह एकीकृत परियोजना है, पहले और दूसरे चरण नहीं हैं। मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच पानी विवाद के बारे में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम ने निर्णय किया था और आन्ध्र प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी। आन्ध्र प्रदेश बांध की ऊंचाई 590 फुट से अधिक नहीं रखेगा जिसकी इस सभा ने मंजूरी और स्वीकृति दी है। नागार्जुनसागर परियोजना के साथ प्रादेशिकता के आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि इस परियोजना के फलस्वरूप पैदा होने वाला अनाज सारे भारत में बांटा जायेगा और उससे सबको लाभ होगा। पंचाट के अनुसार आन्ध्र को 1050

मीट्रिक टन के स्थान पर केवल 800 मीट्रिक टन मिलेंगे, फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया है और वह इसका पालन करेगा। यदि यह धन आन्ध्र को नहीं दिया गया, तो 25 लाख एकड़ के स्थान पर केवल 6 लाख और एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी और यह बड़ी भारी गलती होगी। आन्ध्र से चावल मांगा जा रहा है। हम चावल देने को तैयार है परन्तु हमारी केवल एक ही प्रार्थना है कि आवश्यक धन दिया जाये ताकि इस देश के हित के लिये आन्ध्र अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा कर सके।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha the adjourned for lunch Till fourteen of The Clock.

[लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 6 मिनट म. प्र. पर पुनः समवेत हुई ।]

[The Lok Sabha Re-assembled after lunch at six Miutes past fou eten of the clock

{ श्री गु० सिं० डिल्लों पीठासीन हुए }
{ Shri G. S. Dhillon *in the Chair* }

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): Mr. Chairman, Sir, the allocation demanded for demands in respect of irrigation and power is very meagre as all the schemes depend on it. We are working up after 20 years. Let us see what has been done in the past 20 years. Tube-wells have been sunk in 50,000 villages out of a total number of 5½ lakh villages in the country. Our Government say that we will become self sufficient by 1971-72 but with this pace it will take 220 years to electrify all the villages. Construction of 7 big dams was taken up but only 2 have been completed and 5 dams are yet to be completed. New ministers came and brought with them new plans. 2077 crores of rupees have been spent on the four Plans-Rs. 300 crores on First Plans, Rs. 380 on Second Plan-Rs. 572 crores on Third Plan and Rs. 825 on Fourth Plan but the igures show that our position in regard to irrigation has been static. While inaugrating the Gandhi Sagar dam in Kota, late Prime Minister Nehru has said that dam would supply water and electricity to whole of Rajasthan even if rains failed for five years. The water level there at present is 1265 as against 1280 ft. required but there is no electricity for the last 3 years. Rs. 80 crores have been spent on this dam but there is no water, no electricity. Even facilities for lift irrigation are not there. Electricity lines pass through the villages but they are not getting electricity. Assurances of supply ing electricity from Bhakra, Gujarat are all for misleadings the people of Rajasthan. The poor farmers are crying.

In regard to tubewells, 32,000 pumping set are to be sunk, 5,000 in Andhra Pradesh 4,000 in Gujarat, 10,000 in Madras, 3,000 in Madhya Pradesh, 4,000 in Mysore, 3,000 in Punjab, 2,000 in Haryana, 1,000 in Rajasthan and 2,00 in west Bengal. Only 1,000 sets will be provided in Rajasthan when in many smaller States such as Mysore, Andhra Pradesh, etc. which have a population of 2¼ to 2½ crores, 4,000 and 5,000 sets will be provided. In Rajasthan the famine conditions prevail through the year. The Government have not paid' attention to Rajasthan. Irrigation schemes have proved a failure for us. In Bikaner, Jaisalmer and Ganganagar area water is to be brought from a distance of 3 miles.

In regard to Rajasthan Canal, it has been represented to the Centre several times that it should take over the project. Out of the outlay of Rs. 212 crores, work including an expenditure of Rs. 150 crores is yet to be taken up but what is the amount allocated by the State Government only Rs. 3 crores Last year it was Rs. 6 crores. Thus how long will it take to provide to Rs. 150 crores ? 6 crore acres of land in Rajasthan is worthwhile for irrigation but total area of irrigated land at Present is only 1 crores acres.

Out of the total desert area of 31,200 sq. kms. in the country, 63 per cent is in Rajasthan. Mr. Sukhadia holds out the promise to turn this area into a greenary but what did he demand in the Chief Ministers' Conference held yesterday in Delhi. Instead of emphasising the importance of taking over of Rajasthan Canal by the Centre, which with landless formers the settling of displaced person, landless farmers, etc. all along it will serve as an inviolable defence line, he discussed the rates of pulses. 80 per cent people of Rajasthan have not even the facility of drinking water. Why do the Government not take over this project ?

It is unfortunate that the members of the Board of the Gandhi Sagar Dam belong to areas other than M. P. and Rajasthan, on whose border it has been built Like Bhakra Dam the members of the Board should be local people of the State and these should be some members from the Centre also. Uniform policy should be pursued in this regard. Then, the electricity charges are higher in Rajasthan than Madhya Pradesh. The rates for agriculturist are higher than those for factories. You are concentrating on hydraulic power, due attention should be paid to thermal power. You should start the gas turbine which is being closed. Otherwise, it will be difficult to meet the power requirements of the country.

In case of floods also, about Rs. 300 crores have spent so far but the furies of floods still continues unaboted. Tube-wells are not being sunk in sufficient numbers. We should not depend on rains. A survey of Rajasthan should be conducted by foreign experts to ascertain the water level. More tubewells, culverts, drainage, etc. should be provided Farmers should be given more and more facilities.

A loss one of crore of Rupees was suffered as a result of fire in the atomic plant, which was an act of the Pak elements. will this project be completed in 1969 ? The wage board was asked to submit its report by 15th June. Now it is 15th July but the report is still awaited. What are the reasons for it ?

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : आर्थिक विकास के लिए सिंचाई और विद्युत दो बुनियादी आवश्यकताएं है। अतः मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों की बहुत महत्वपूर्व समर्थन करता हूं। यद्यपि मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में सूखे की स्थिति दूर करने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम की आवश्यकता है, इस मंत्रालय की मांगों में इस प्रकार के कार्यक्रम का कोई संकेत नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस योजना में सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी एक वृहद योजना शामिल की जानी चाहिये।

यह सराहनीय बात है कि फराका बांध का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यह परियोजना न केवल हुगली नदी तथा कलकत्ता पतन के लिए जल परिवहन में सुधार की दृष्टि से उपयोगी है, अपितु सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए बड़े महत्व की

है क्योंकि इस परियोजना से इस क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन का गतिरोध दूर हो जायेगा।

मैं गत दस वर्षों से इस सभा का ध्यान आसाम में बाढ़ की गंभीर समस्या की ओर दिलाता रहा हूं। बाढ़ से प्रतिवर्ष वहां लगभग 7 करोड़ रुपये की ओसत क्षति होती है जब कि इस क्षेत्र में उत्पादन में औसत वृद्धि केवल 3 करोड़ रुपये वार्षिक है। बाढ़ नियंत्रण का कार्य राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह उसके वित्तीय साधनों से बाहर है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस समस्या को हल करे। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये कम से कम 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, किन्तु अब तक तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केवल 18 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। सरकार को इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रख कर उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

यह दुख की बात है कि प्रायः ऐसा कहा जाता है कि आसाम में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है इसलिए वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है किन्तु वर्ष में केवल चार महीने और आठ महीने वर्षा नहीं होती है। अतः वहां सिंचाई की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। केवल चार महीने वर्षा होने के कारण वहां दूसरी फसल पैदा करना असंभव है। यदि आसाम में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाये, तो वह राज्य खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्म निर्भर बन जायेगा अपितु अन्य राज्यों को अनाज दे सकने की स्थिति में भी हो जायेगा।

बाढ़ की समस्या के साथ-साथ भूमि के कटाव की भी एक समस्या है। भूमि कटाव की समस्या स्थाई और अत्यन्त गंभीर है। इतना ही नहीं भूमि कटाव वाले क्षेत्रों से लोगों को अन्य स्थानों पर बसना पड़ता है। 1962 के बाद यह समस्या अधिक गंभीर हो गई है। यह समस्या ऐसी है जो साधन न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा हल नहीं की जा सकती है। आसाम के भूमि कटाव को रोकने के लिए उसी प्रकार के उपाय किये जाने चाहिये जिस प्रकार के उपाय केरल में किये गये हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से भूमि कटाव को रोकने के सम्बन्ध में श्री जाफर अली की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने तथा अमरीकी विशेषज्ञ श्री एच० ई० वेलर ने कुछ सुझाव दिये हैं। उन सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारत के पूर्वी भाग में अनेक नदियां हैं। किन्तु वहां एक भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। मेरा अनुरोध है कि कोपिली घाटी परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य बिजली बोर्ड को सौंपना उचित नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बहुप्रयोजनी परियोजना हो सकती है। अतः सरकार को इस परियोजना को महत्व तथा उपयोगिता को देखते हुए इसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

अब मैं बराक बांध परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में आरम्भ की गई थी। यह परियोजना छोटी बहुप्रयोजनीय

परियोजना के रूप में भी आरम्भ की जा सकती है। यह सराहनीय बात है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के बहुप्रयोजनीय पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य सरकार भी यह चाहती है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में ले ले।

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार से इस बात की रिपोर्ट मांगे कि जाड़ों में उस राज्य में कितनी मात्रा में धान पैदा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में नवगांव जिले के मयंग में किया गया प्रयोग सफल रहा था।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री लकप्पा (तुमकुर) : स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस सरकार के शासन काल में देश एक भिखारी की स्थिति को पहुंच गया है। आज देश में भुखमरी व्याप्त है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास अथवा सिंचाई कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये है किन्तु विकास कार्य उसकी तुलना में बहुत कम हुआ है। यदि हम अन्य देशों के विकास कार्यों को देखें तो हम अपने को बहुत पीछे पाते हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं किन्तु सरकार ने विभिन्न योजनाओं में परिकल्पना के अनुसार उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया। इन योजनाओं को क्रियान्वित न करने के लिए राजनैतिक दबाव उत्तरदायी है। मैसूर राज्य में सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध है किन्तु राजनैतिक ईर्षा तथा विवाद के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सका है। कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी के वितरण के बारे में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के बीच विवाद को हल करने के लिये गुलाटी आयोग नियुक्त किया गया था किन्तु अभी तक यह विवाद हल नहीं हुआ है इस विवाद के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि सिंचाई ओर विद्युत मंत्री ने महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों से पृथक पृथक इस मामले पर अप्रैल–जून, 1966 में विचार विमर्श किया था। इस मामले को हल करने के लिए आगे प्रयत्न किये जायेंगे। ये नदियां मैसूर राज्य से होकर गुजरती हैं किन्तु वहां पर कोई परियोजना न होने के कारण मैसूर राज्य में दुर्भिक्ष तथा सूखा रहता है। हम कृष्णा नदी तथा गोदावरी की सहायक नदियों में हेमवती, हारंगी, कम्पदगुदा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा आदि परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकृति मांग रहे हैं। अभी तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। डा० कु० ल० राव स्वयं मैसूर राज्य में गये थे। किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है।

मै इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति क्यों नहीं दी गई हैं। कृष्णा नदी का पानी नागार्जुनसागर बांध परियोजना को दिया गया है और अब उसका दूसरा चरण आरम्भ किया जा रहा है। यह दुख की बात है डा० कु० ल० राव आन्ध्र प्रदेश के होने के कारण आन्ध्र प्रदेश का पक्ष लेते हैं। भारत एक राष्ट्र है इस प्रकार का पक्षपातपुर्ण बर्ताव उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आन्ध्र प्रदेश का इस पानी पर कोई अधिकार नही हैं। हम इस मामले में न्याय चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैसूर विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है और केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मंत्रियों की भी एक बैठक 1966 में बंगलोर में हुई थी। किन्तु उस बठक में किये निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इससे जनता को अधिकारियों की नियत पर संदेह होने लगा है उनका विचार है कि

श्री निजिलिंगप्पा का मन्त्रिमंडल कमजोर है। मैसूर की जनता केन्द्र अथवा मैसूर की सरकार के इस व्यवहार को अब और अधिक सहन नहीं कर सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि ये परियोजनाएं शीघ्र आरम्भ की जायें अन्यथा मैसूर की जनता आंन्दोलन आरम्भ कर देगी। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस बात की जांच करे कि अब तक ये परियोजनाएं क्रियान्वित क्यों नहीं की गई है।

अब मैं बाढ नियंत्रण बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बड़े दुख की बात है कि मैसूर राज्य में बाड़ नियंत्रण के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किये गये हैं। काग्रेस सरकार इस राज्य की सदैव उपेक्षा करती रही है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां पर बाढ़ नियंत्रण के लिये उचित उपाय किये जायें।

शारावती परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में ठेकेदार करोड़ों रुपये खा गये हैं। इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। अतः मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि वह इस मामले को जांच करेंगे।

Shri Madrika Singh (Aurangabad) : India is an agricultural Country and irrigation is one of the factors responsible for its success. But unfortunately Government do not pay much attention towards this basic need for agricultural development. No doubt during the first five year plan, some attention was paid towards agriculture and it was given priority in the plan. Had the same importance continued to be given to the agriculture we would not have to look to other Countries for foodgrains.

There is very fertile agricultural land in the Bihar State but unforunately. proper irrigation facilities are not available there, The result is that almost every second or third year Bihar faces drought. I, therefore, request the Government that arrangement, should be made for sufficients number of tubewell therefor irrigation purposes.

In Bihar rivers carry a lot of water to the sea. This water can be utilized for irrigation purposes by constructing dam on these rivers. Unfortunately the Central Government have not given due recognition to the difficulties of the State in this respect. There are only few thousands of tubewells in the State. It is, therefore, very necessary that steps should be taken to make the irrigation facilities available there.

So far as electricity is concerned, more funds should be made available to the State of Bihar for Completing the projects under Construction. These projects will also add to irrigation facilities. On the completion of Gandak project we can produce 50 lakhs maunds foodgrains.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The vital role the agriculture plays in the economy of the Country is evident from the fact that fifty percent of the national income comes from agriculture and only ten percent from industry. The earning exchange also depends more on agriculture. In the cirumstances it is necessary that agriculture is properly developed for the development and prosperity of the Country.

At present irrigation facilities are available in 7 croes of land only. This acreage of land is not as much as is needed. There are mainly three classes of persons engaged in agriculture. There are persons who make use of modern agricultural aids; there

are persons who depend for irrigation on Canal water; and there are persons who depend solely on rains for irrigating their fields.

We have not sufficient irrigation facilities in the country. It was very necessary that all the possible sources should have been tapped. But the fact is that even rain water is not fully utilized for irrigation. If a phased programme in this respect is prepared in this respect is prepared and the cost is distributed over a number of years it will be possible to go ahead with schemes. The Government should pay attention to this suggestion and take necessary steps in this regard.

Damodar Valley Corporation has been set up to make use of the water that flowed down to the Sea. Likewise. Narbada and Ganga Valley Corporation can set up and about eight crores acres of land can be irrigated in the Gangetic plains with the help of this Corporation. More--over this project can also generate Electricity which can be used to run pumping sets for irrigation, factories and Electric trains.

In the major part of the land under agriculture in Northern India, intensive cultivation can be undertaken and an yield of about Seven tons per acre can be obtained. It is, therfore, reqeuested that the Central Government should take step in this direction and should also make sufficient funds available to Utter Pradesh Government. The Utter Pradesh Government have already made a survey and want to do other things in this direction.

Out of the electricity generated so far little has been given for irrigation and other agricultural purposes. The Government should see that more electricity is avialable for irrigation and other agricultural purposes during the Fourth Five Year Plan.

सभापति महोदय : अगला नाम श्री ओंकार लाल बोहरा का है । वह अपना भाषण सोमवार को आरम्भ कर सकते हैं ।

श्री यु० न० नाघनूर (बेलगांव) इन मांगों की चर्चा में कुछ और माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं । अतः इस पर चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया जाये ।

सभापति महोदय : आप सोमवार को यह बात उठा सकते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS AND RESOLUTIONS

सातवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Dehli) : Sir, I beg to move :

"That this House agrees with the seventh Report of the Committe on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on the 5th July, 1967."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से जो सभा में 5 जुलाई, 1967 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब कुछ विधेयक पुर:स्थापित किये जाने हैं। पहले और दूसरे विधेयक क्रमश: श्री सेन और श्री कंवरलाल गुप्त के नाम में है। दोनों ही माननीय सदस्य अनुपस्थित है। श्री मधु लिमये।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1967 (धारा 293 क, 324 क आदि का प्रतिस्थापन)

Companies (Amendment) Bill 1967 (Substitution of Sections 293 A, 324 etc.)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

औद्योगिक विवाद (संशोधन विधेयक) (धारा 2, 10 आदि का संशोधन)

Industrial Disputes (Amendment Bill) 1967 (Amendment of Sections 2, 10 etc.)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक 1967 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Eight Schedule)

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : श्रीमानजी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (अनुच्छेद 48 और सातवीं अनुसूची का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Article 48 and Seventh Schedule)

Dr. Govind Das (Jabalpur) : I beg to move that leave the granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

डा० गोविन्द दास : श्रीमन्‌जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 5 का संशोधन)

Hindu Marriage (Amendment) Bill (Amendment of Section 5)

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act. 1955.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri P. L. Barupal : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (प्रस्ताव का संशोधन)

Costitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of the Premble)

Shri K. D. Tripathi (Unnao) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri K. D. Tripathi : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of the Seventh Schedule)

Shri K. D. Tripathi (Unnao) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further amend the Constitution of India.

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमती दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri K. D. Tripathi : I introduee the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (अनुच्छेद 37 क का रखा जाना)
Constitution (Amendment) Bill 1967 (Insertion of Art. 37 A.)

Shri K. D. Tripathi (Unnao) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो इसके पक्ष में है, वे "हां" कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"

सभापति महोदय : जो इसके विरोध में है, वे "नहीं" कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "नहीं"।

सभापति महोदय : "नहीं" कहने वाले सदस्यों का बहुमत है।

कुछ माननीय सदस्य : "हां" वालों का बहुमत है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, it is a well established fact that Private Members' Bills are not opposed at this stage.

सभापति महोदय : क्या आप मत विभाजन चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। अनुमति दी जाती है।

सभापति महोदय : मैं इसे फिर रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो सदस्य पक्ष में है वे हां कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"

सभापति महोदय : जो सदस्य विरोध में हैं वे "नहीं" कहेंगे।

सभापति महोदय : मैं यह मान लेता हूं कि "हां" के पक्ष में बहुमत है। अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri K. D. Tripathi : Sir, I introduce the Bill.

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1967 (धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Sections 3, 4 etc.)

Shri K. D. Tripathi (Unnao) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri K. D. Tripathi : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (अनुच्छेद 217, 227 आदि का संशोधन)

Constitutions (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Article 217, 227 etc.)

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 का संशोधन) जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 368) Contd.

सभापति महोदय : अब सभा संविधान संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर जो श्री नाथपाई द्वारा 9 जून, 1967 को प्रस्तुत किया था, आगे विचार करेगी।

श्री पीलु मोडी अपना भाषण जारी करें।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : पिछली बार भी मैंने इस विधेयक का विरोध किया था। अब तक मैंने इस विधेयक के पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि इस विधेयक के प्रस्तावक यह समझते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वह जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

उन्होंने अपनी बात के समर्थन में यह कहा है कि हमारा समाज गतिशील है। किन्तु मैं समझता हूँ कि संविधान में बार बार बिना सोचे समझे संशोधन नहीं किया जा सकता है। पिछली बार मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मेरा राजनैतिक ह्रास हो गया है। मैं उन सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बात को समझ कर कहना राजनैतिक ह्रास कहलाता है। यह स्पष्ट है कि यह विधेयक संसद में केवल एक उद्देश्य के लिये पुरस्थापित किया गया है। सरकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये निर्णय को रद्द करना चाहती है। जनता के मूल अधिकार इस विधेयक द्वारा छीने जा रहे हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति ने हाल में ही कहा था कि राष्ट्र देश नैतिकता पर आधारित है और सबसे आधारभूत मामला व्यक्ति और राष्ट्र देश के सम्बन्ध का है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे भाग्य उस तनाव पर निर्भर करते हैं जो इन दो के कारण पैदा होता है और समाप्त किया जाता है। उन्होंने व्यक्ति और राज्य के बीच तनाव की चर्चा की। हम आज इस विधेयक द्वारा जो कुछ करने जा रहे हैं उससे व्यक्ति पूरी तरह राज्य के अधीन हो जायेगा।

यह दुख की बात है कुछ लोग संविधान की प्रस्तावना को नहीं समझते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत की संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनायेगी जिससे मूलभूत अधिकार समाप्त अथवा कम होते और इस उपबन्ध का उल्लंघन करके बनाया गया कानून उल्लंघन की सीमा तक प्रभावहीन होगा। इसलिये इस विधेयक में जो शक्ति

देने का प्रस्ताव है,वह इस संसद को नहीं दी जा सकती है। कोई भी सरकार अपनी मन मर्जी से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। यह ठीक है कि विधान के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है किन्तु अन्य सभी बातों के सम्बन्ध में यह सर्वोच्च नहीं हो सकती है।

यह स्पष्ट है कि यह सभा केवल संविधान से अधिकार प्राप्त कर सकती है। यदि आप समझते हैं कि यह सभा लोगों के मूलभूत अधिकारों को घटा या बढ़ा सकती है तो तब आपके लिये एक यह मार्ग रह जाता है कि आप संविधान को रद्द करदें और संसदीय तानाशाही घोषित कर दें। इस सम्बन्ध में जस्टिस हिदायतुल्ला ने एक यह निर्णय दिया है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राप्त मूलभूत अधिकारों का सरकार हनन नहीं कर सकती है।

मुझे इस बात का गर्व है कि भारत का संविधान अद्वितीय है। संविधान बनाने वालों ने इसमें अपनी विद्वता का परिचय दिया है। इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को पारित करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि इस विधेयक को पारित किया गया तो यह हमारे लोकंतन्त्र को नष्ट कर देगा। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्डलूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं स्वतन्त्र पार्टी के उन सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। वास्तव में ब्रिटेन और अमरीका के संविधान के अनुसार ही हमारा संविधान भी बनाया गया है। इग्लैंड में 'संसद्–हाउस ऑफ कामन्स'–सर्वोच्च है और वह कोई भी कानून बना सकती है। इसी प्रकार अमरीका में भी मूलभूत अधिकारों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में अमरीका में उनमें कई बार परिवर्तन किया गया है।

आज हमें यह देखना है कि समाज को क्या आवश्यकता है और समाज की आवश्यकता के अनुसार ही हमें कानून बनाना है। हम संविधान को साध्य नहीं मान सकते हैं। यह समाज की आवश्यकता के अनुसार एक साधन मात्र है। साधन का प्रयोग समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। यह केवल एक निदेशक सिद्धांन्त है। यदि समाज को बदलना है तो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

संविधान साध्य बिल्कुल नहीं है। यह एक साधन मात्र है। संविधान समाज के लिये बनाया गया है। यदि समाज संविधान में परिवर्तन करना चाहता तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। संविधान समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिये है। मुझे खेद है कि उच्चतम न्यायालय ने संसद की शक्ति को कम करने या सीमित करने के लिये कानून की परिभाषा ही बदल दी है। श्री पीलु मोडी ने कहा है कि विधि एक आदेश है और यदि किसी विधि से संविधान के अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन होता है तो वह प्रभाव शून्य है। साधारण विधि संवैधानिक विधि से बिल्कुल भिन्न है।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। अगले दिन हमारे मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने

उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ अपमान जनक शब्द कहे थे और आज हमारे यह मित्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने स्वार्थवश ऐसा निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े हैं। इस प्रकार के आरोप लगाना संविधान के विरुद्ध है। हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में तब तक कुछ नहीं कहना चाहिये जब तक उनके आचार के बारे में सभा में कोई चर्चा न हो रही हो।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि उनके विचार में कोई निर्णय गलत दिया गया है तो वह उनका नाम तो लेंगे ही, नहीं तो वे अपनी बात को कैसे स्पष्ट करेंगे। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण मूर्ति : उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा है कि यद्यपि यह एक राजनीतिक मामला है परन्तु उन्हें यह निश्चय करना है कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। इसलिये उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। मैं वकील होने के नाते उच्चतम न्यायालय के बारे में कोई अपमान जनक बात नहीं कह सकता। संवैधानिक विधि साधारण विधि से बिल्कुल भिन्न है। साधारण विधि 51 प्रतिशत बहुमत से पास हो सकती है परन्तु संविधान में दो तिहाई बहुमत के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता और कुछ मामलों में तो जब तक आधे राज्य उसका अनुमोदन न कर दें, संशोधन नहीं किया जा सकता।

श्री जी० भा० कृपलानी : जिस धारा में से माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, उसमें 'साधारण' नाम का कोई शब्द नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : संवैधानिक विधि में मूलतः सरकार के विभिन्न पक्षों में शक्तियों के वितरण की बात निहित है। अतः साधारण विधि से इसका महत्व अधिक है।

श्री जी० भा० कृपलानी : मैंने यह कहा है कि दोनों विधियां हैं।

श्री कृष्ण मूर्ति : यदि हम संविधान में संशोधन नहीं करते तो गृह-युद्ध या क्रान्ति हो जायेगी, जैसा कि अमरीकी संविधान में उल्लिखित है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह सभा उच्चतम है और इसे मूल अधिकारों आदि में संशोधन करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि संशोधन करने के लिये संविधान सभा बुलाई जानी चाहिये। परन्तु जब संविधान सभा को भी हम ने ही बुलाना है और जब हम स्वयं इसके संस्थापक हैं तो हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते ? हम यह घोषणा कर सकते हैं कि यह हमारी संविधान सभा है। उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार घोषणा की है कि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार मान्य है।

मैं श्री नाथ पाई के विधेयक से सहमत हूं और कहना चाहता हूं कि इसे बिना संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजे पास कर दिया जाना चाहिये।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : सभा के सामने विचारणीय मामला यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्यों का त्यों मान लिया जाये या संसद को मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन का अधिकार मान लिया जाये। वर्ष 1951 में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13(2) में विधि के अन्तर्गत संवैधानिक संशोधन सम्मिलित नहीं हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है वह संसद के विरुद्ध ही नहीं अपितु राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। मौलिक अधिकार जनता के लिये सुरक्षित रखे गये हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी छीना या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है।

परन्तु जब यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनायेगा जिससे मौलिक अधिकार छीने जाये या संक्षिप्त किये जायें तो इसका तात्पर्य नहीं कि उन्हें विनियमित भी नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने केवल इतना ही नहीं कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है अपितु उसने यह भी कहा है कि इसका बड़ा घातक परिणाम होगा और संम्पूर्ण स्थिति ही पेचीदा बन जायेगी और एक प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जायेगी। भली-भांति विचार करके उन्होंने यह कहा है कि सभी वर्तमान संशोधन बने रहेंगे और उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। वास्तव में समस्या संविधान में भविष्य में किये जाने वाले संशोधनों के समय सामने आयेगी जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जायदाद सम्बन्धी मूल अधिकारों के बारे में कोई समस्या नहीं है। जायदाद सम्बन्धी मूल अधिकारों में संशोधन करने में कोई बाधा नहीं है। परन्तु अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में कठिनाई पैदा हो सकती है।

उदाहरण के लिये जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है। आपात कालीन शक्तियों के संदर्भ में इस अधिकार को संक्षिप्त करने के बारे में हमने काफी चर्चा सुनी। इसी प्रकार विभिन्न मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विभिन्न भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाते हैं। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न आता है तो हम चाहते हैं कि संसद को या राष्ट्रपति तक को इस अधिकार के छीनने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु जायदाद सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में हमारा रवैया इतना कठोर नहीं अर्थात यदि वे संक्षिप्त हो भी जायें तो हम उनकी उतनी परवाह नहीं करते। यह स्थिति होते हुए भी जब हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं तो हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि क्या संवैधानिक संशोधन से भी उन्हें छीना या संक्षिप्त किया जा सकता है ?

इसलिये यह मामला केवल जायदाद सम्बन्धी अधिकारों से नहीं है। हमारे संविधान की एक अपनी आत्मा है, एक अपना स्वरूप है। यह एक विशिष्ट जीवन दर्शन और जीवन की एक विशिष्ट पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम उस विशिष्ट जीवन पद्धति को न चाहें तो संविधान टिक नहीं सकता। यदि हम यह कहें कि मौलिक अधिकार अपने मूल रूप में ही बने रहें तो इन अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में और आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I regret to say that I do not agree with the basic principles of the Bill. The Supreme Court of India and the Parliament of India-both are supreme and sovereign in their own jurisdictions. The second thing is that there may be constitutional crisis if this Bill is passed. In the judgement of the Supreme Court, it has been stated that the Parliament will not hereafter amend any of the provision of part III of the constitution so as to take away or abridge the fundamental rights.

In my opinion if the hon'ble Member wants to increase the members of fundamental rights the decision of the Supreme Court will not stand in its way but by amendment if he means that the fundamental rules may be taken away or they may be abridged, then the Supreme Court does not permit us to do so from the date of above judgement.

If the hon'ble Member wants to get the judgement of the Supreme Court changed, then there is procedure given in the constitution, Why should we not make use of it ? Moreover there is a provision in the constitution itself that Supreme Court has a right to review its own decisions and they have made use of this right previously. Formerly, there was a decision given by the Supreme Court that such amendments cannot be carried out in the Constitution. But a Board of eleven judges was appointed only to review that decision. Similarly this decision can also be reviwed by the Supreme Court. It is, therefore, not necessary to pass this Bill for that purpose. There is also a provision in the constitution that President can ask for the revised opinion of the Supreme Court about their decision.

So far the question of right to property is concerned, I would like to refer to the judgement given by Justice Hidayatullah. He says that "Our constitution accepted the theory that right to property is a fundamental right. In my opinion it was an error to place it in that category." I agree with this judgement entirely. I also want that Articles 19(1) (f) and Article 31 should be removed from the constitution. But what is the remedy ? Whether this Parliament can pass a resolution to call the constitutent Assembly to get the above Articles removed and go to the people. for their consents ? If congress party is agreeable to bring forward a resolution to this effect, it is alright, otherwise I am prepared to present it. If the right to property stands in our way, we can pass a resolution to that effect. But a right that Parliament does not possess, should not have it without the consent of the people. In this respect Justice Hidayatullah has stated that for abridging or taking away fundamental rights a constituent body will have to be convoked. Therefore the decision of the Supreme Court does not stand in our way. In this judggement it has been said that Parliament cannot curtail or abridge the fundamental rights, Parliament can, however, extend them. If Parliament wants to abridge or curtial the rights, we have to convene a meeting of constituent Assembly.

No Parliament in the world can change the basic principles of its constitution because they have to work within the frame work of the constitution.

So far the right to property is concerned, it is wrong to consider a fundamental right. Although this right has becn enshrined in the consitution yet we can abrogate it by summoning a new Constituent Assembly. The Government should therefore bring forward a resolution to summon the new Constituent Assembly.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : जायदाद सम्बन्धी अधिकार पहले ही समाप्त किये जा चुके हैं। निर्णय में भी यही कहा गया है कि केवल नाम मात्र की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 3(2) की व्याख्या के सम्बन्ध में दिये गये तर्कों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यह कहना उचित नहीं कि संविधान के निर्माताओं का इरादा संविधान के भाग (3) में कोई संशोधन करने का इसलिये नहीं था क्योंकि उनके जीवन काल में ही बहुत से संशोधन किये गये थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व संविधान में परिवर्तन करने के बारे में विचार करना हम, संसद का अधिकार समझते थे।

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है और हमें उस निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिये। परन्तु इसके साथ-साथ उच्चतम न्यायालय का कहना है कि संसार भर में अनुच्छेद 368 जैसा उपबन्ध नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमरीका के संविधान में भी संशोधन किये जा सकते हैं। कोई भी संविधान ऐसा नहीं हो सकता जिसमें संशोधन न हो।

समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य को उच्चतम न्यायालय ने उस समय स्वीकार किया था जब उसने यह निर्णय दिया था कि 1967 तक किये गये सब संशोधन मान्य होंगे। हमारे देश में जितने सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। कुछ संवैधानिक रुकावटें डाल कर सामाजिक परिवर्तन नहीं रोके जा सकते। देश की प्रगति में संविधान को बाधक नहीं होना चाहिये।

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। संविधान उस व्यवस्था का स्रोत है जिसके अन्तर्गत जनता रहना चाहती है परन्तु इसके साथ-साथ जनता को आवश्यकतानुसार संविधान में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। समय की गति को रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के विचारों, उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। पुराने कानूनों का महत्व पुरानी मान्यताओं के साथ समाप्त हो जाता है। यदि एक बार यह मान लिया जाये कि जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या संसद भी जनता की तरह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है यदि हां तो इसे भी वे अधिकार प्राप्त हैं जो जनता को प्राप्त हैं। यदि संसद जनता की तरह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नहीं है तो निश्चय ही मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिये पहले इस बात का निराकरण करना चाहिये कि क्या संसद सदस्य जनता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

अब तक उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में तीन निर्णय दिये हैं। ये निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने हर बार पृथक-पृथक दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिये यह कहना उचित नहीं कि यह निर्णय अन्तिम है और संसद के अधिकारों को छीन लिया गया है। यदि हम उन निर्णयों को सामूहिक रूप से देखें तो पता चलेगा कि उन न्यायाधीशों की संख्या अधिक है जो संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में संसद् के अधिकार का समर्थन करते हैं।

संविधान के निर्माताओं का भी यह आशय था कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने यह शर्त लगा दी थी कि इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के

लिये संसद के दो-तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य है। उनका आशय यही था कि दो-तिहाई बहुमत की अनुमति का अर्थ जनता की आवाज़ है। इस सम्बन्ध में अन्य देश के संविधानों का हवाला दिया जा सकता है। ये मूलभूत अधिकार केवल इसी देश की जनता के पास नहीं हैं बल्कि अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की जनता को भी प्राप्त हैं। अमरीका में किसी भी कानून में संशोधन करने के लिये दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त समझा जाता है। अमरीका में तो यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई संशोधन समाज की भलाई के लिये है तो वह संविधान में किया जा सकता है।

ब्रिटेन में, जहां कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये केवल बहुमत होना ही पर्याप्त समझा जाता है।

पंडित नेहरू का भी कुछ इसी प्रकार का विचार था। उनका कहना था कि संविधान स्थाई होना चाहिये परन्तु फिर भी उसमें लचीलापन होना चाहिये नहीं तो राष्ट्र की प्रगति रुक जायेगी। यह हो सकता है कि जो वस्तु आज अच्छी प्रतीत होती है, भविष्य में उसे कार्य-रूप देना कठिन हो जाये।

यदि जनता के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न के अधिकार को संसद् का अधिकार न स्वीकार किया जाये तो दूसरा तरीका संविधान सभा को बुलाने का है या इस संबंध में हमें जनता की राय जानने के लिये जनमत करा सकते हैं। ये दोनों तरीके केवल जापान और स्विटज़रलैंड में प्रचलित हैं। अन्य देशों में संसद के दो-तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन किये जाते हैं।

मूलभूत अधिकारों अथवा संविधान के अन्य भागों में कोई अन्तर नहीं है। इसलिये यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश में मूलभूत अधिकारों में एक तरीके से संशोधन किया जाये और दूसरे भाग में दूसरे तरीके से संशोधन किया जाये। मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि यदि सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो देश की आवश्यकता के अनुसार समाज के हित में संविधान में संशोधन करने के लिये संसद को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न क्यों न मान लिया जाय।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I am against this Bill and we have informed the Law Minister that our party will not participate in the select Committee. The decision of the Supreme Court is Historic one and it will help in strengthening our democracy. The question is whether Supreme Court or Parliament is sovereign. It is very difficulty to take a decision in this matter. Because in some cases Parliament is sovereign. But Parliament, Executive and Judiciary have their separate Jurisidictions as provided in the constitution. It is true that Parliament has a right to amend the constitution but constitution framers did not have the intention to amend the constitution but constitution framers did not have the intension to amend the Constitution so often. Had this been their intention. they would have not imposed the condition of two–third majority. As ordinary law can be amended by simple majority but constition cannot de amended without two third majority. It should not be so easy to amend the constitution and particularly fundamental righst. We cannot curtail or abridge the fundamental rights without the consent of the people, The suggestion of the suprime court regarding summoning of the constituent assembaly is revolutionary one. Tne parliament should accept this suggestion.

I want to ask the Members who consider Parliament sovereign that whether this Parliament can scrap adult franchise. There will be many complications, if this happens. We cannot bring any basic change in the constitution without the consent of the people.

The new constituent Assembly will be more revolutionary because it will be elected on the basis of adult franchise we should not be afraid in summoning the constituent Assembly because of rights to property. The new constituent Assembly will go a step forward. We should respect the decision of the Supreme Court and it would be a worng convention to take steps to alter the decision. We should, therefore, take steps to summon the new constituent Assembly.

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम (विशाखापतनम) : उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसमें से संविधान में संशोधन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । न्यायालय के पास संवैधानिक संशोधन का कोई मामला नहीं था जिसमें उन्हें यह कहना था कि क्या संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद् को है या नहीं । प्रश्न यह है कि पंजाब अधिनियम की कुछ धाराओं को शक्ति बाह्य करार दिया गया है । न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की है परन्तु सम्बन्धित विषय से थोड़ा सा परे हट कर न्यायालय उस पर बौद्धिक चर्चा करता रहा और संविधान में संशोधन करने के अधिकार तथा मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में उसने जो कुछ भी कहा वह केवल प्रासंगिक से अधिक और कुछ नहीं है ।

न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त नहीं की है । उन्होंने यह बात भविष्य के लिये छोड़ दी है जब उनके सम्मुख यह मामला विशिष्ठ रूप से उपस्थित होगा । इस प्रकार के विधेयक पर तभी गम्भीरतापूर्वक चर्चा हो सकती है जब विधि मंत्री इस आशय का कोई विधेयक सभा में लायें । यदि संसद संविधान में संशोधन करने का विधेयक पास कर देती है और न्यायालय में इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जाती है तभी न्यायालय इस पर विचार करेगा । अतः यह विधेयक और उस पर सारी चर्चा बौद्धिक है ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The procedure to amend the Constitution has been described in Article 368 of the Constitution. There is nothing in this Article which prohibits the amendment of Part 3 of the Constitution. Parliament is supreme. It has supreme, unlimited powers. The powers vested in Parliament cannot be curtailed or restricted, Parliament comprises of the representatives of the people. So, it can amend any part of the Constitution. The Constitution does not envisage the reconvening of the constitutent Assembly for such purposes.

Parliament has full and absolute powers to intervene when a situation spelling danger to our national interests is created. The provisions contained in Article 13 (2) are not in line with the provisions enumerated in Article 368 of toe Constitution, Article 13 should be amended in order to remove this lacuna.

Shri Sheo Narain (Basti) : Parliament is supreme and it has absolute powers. It is empowered to amend the Constitution which cannot be challenged. Article 248 of the constitution says that Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter enumerated in the Concurrent list or State List. We recognise the authority of the Supreme Court. But parliament is fully empowered to amend the fundamental rights in the Constitution.

We should give full support to this Bill.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : संसद् में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो समूचे देश की जन-भावना का प्रतीक हैं। जब लोग इस संसद् के सदस्यों का चुनाव करते हैं तो उन्हें भली भांति यह जानकारी होती है कि उन सदस्यों के संविधान और संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। अब इन बारीक दलीलों से यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये कि मतदाता इतने मूर्ख हैं कि वे समझते हैं कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मूलभूत अधिकारों को छोड़ कर अन्य विषयों के बारे में ही विधान बना सकते हैं। गत निर्वाचन से यह बात सिद्ध हो गई है कि जनसाधारण अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हैं और उन्हें अच्छे-बुरे की परख है। उन्होंने आठ राज्यों में कांग्रेस को परास्त करके अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय सामाजिक और राजनैतिक प्रगति तथा आर्थिक क्षेत्र के सुधारों के मार्ग में एक रुकावट है यदि संविधान या संविधान की कुछ धारायें इस देश के क्रांतिकारी विकास के रास्ते में बाधा डालती हैं तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिये।

जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय श्री पी० एस० देशमुख ने एक संशोधन पेश किया था कि मूलभूत अधिकारों को न छूआ जाये। उन्हें अपना संशोधन वापिस लेना पड़ा था। इससे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

सम्पत्ति अधिकार मूलभूत अधिकारों संबंधी अध्याय का एक भाग है जिन सम्पत्ति अधिकारों की उस समय कल्पना की गई थी उनमें आधारभूत परिवर्तन करने पड़े। सत्रहवें संशोधन द्वारा जिस पर आपत्ति की गई थी, भूमि सुधारों की रक्षा करने का प्रयास किया गया था। यद्यपि ये भूमि सुधार क्रांतिकारी नहीं हैं, फिर भी कांग्रेस सरकारों की इच्छा आगे बढ़ने तथा कुछ काम करने की थी। मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी भाग में सम्पत्ति अधिकारों के बारे में इस समय जो उपबन्ध हैं उनसे वह थोड़ा बहुत काम भी नहीं किया जा सका। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हमें उस स्थिति से चिपके रहना है और भूमि संबंधी अधिकारों को वैसे ही बनाए रखना है जैसे 20 वर्ष पहले थे।

यदि इस बारे में संविधान सभा बुलाने के सुझाव पर अमल किया जाता है तो इसमें काफी समय लग जायेगा। संविधान सभा व्यवाहारिक रूप से बाधक सिद्ध होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण जो संकट पैदा हो गया है हमें उसे दूर करना है क्योंकि हम यथापूर्व स्थिति में नहीं रह सकते। जहां तक स्वतंत्र दल का सबंध है उन्हें तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से अपनी विचारधारा तथा राजनीति का प्रचार करने का अच्छा मौका मिल गया है। वे तो यथापूर्ण स्थिति ही बनाए रखना चाहते हैं। यह संशोधन विधेयक बिल्कुल समय पर पेश किया गया है और इसे तुरन्त पास तथा लागू किया जाना चाहिये।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : संविधान के अनुच्छेद 368 और 13 बिल्कुल स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 368 संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा उच्चतम न्यायालय का निर्णय उसका केवल विचार मात्र ही है।

अनुच्छेद 368 बिल्कुल स्पष्ट है और वह संविधान का संशोधन करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालता । इसलिये मेरी राय में इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद 13 (2) संविधान के संशोधन करने सम्बन्धी संसद् के अधिकार को समाप्त नहीं करता ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें । जब इस पर फिर चर्चा आरम्भ होगी तब वे अपना भाषण समाप्त करें । जब इस पर चर्चा आरम्भ होगी तब वे अपना भाषण दे सकते हैं ।

***लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश' झांकी**

*** 'Son et Lunfere' Spectacle at the Red Fort, Delhi.**

श्री समर गुह (कन्टाई) : 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम में कुछ त्रुटियां हैं और उसमें कई बातें किसी खास उद्देश्य से छोड़ी गई हैं ।

ऐसा तर्क दिया जाता है कि चूंकि नेताजी का ऐतिहासिक दृष्टि से लाल किले से कोई सम्बन्ध नहीं रहा इसलिये 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम में उनकी आवाज को स्थान नहीं दिया गया है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस समय नेताजी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मुक्ति युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय अपने 'प्रसिद्ध प्रयाण गीत' में उन्होंने लाल किले की झांकी खींची थी । नेताजी ने ही भारतीयों का ध्यान लाल किले पर केन्द्रित किया था । अतः यह कहना अनुचित है, कि नेताजी का लाल किले के इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

नेताजी की आवाज के बिना आजाद हिन्द फौज पर मुकदमा चलाये जाने का विवरण निर्जीव ही प्रतीत होगा । अतः 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम में नेताजी की आवाज को शामिल किया जाना चाहिये ।

कहा जाता है कि प्रयाण गीत को इसलिये छोड़ दिया गया है कि इसका रिकार्ड दोषपूर्ण है । यदि पहली बार रिकार्ड करने में इसमें त्रुटि थी तो दूसरी बार रिकार्ड करने में उसे ठीक किया चाना चाहिये था । ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इस सम्बन्ध में हाल में कुछ काला मालूम देता है ।

इस कार्यक्रम में 'वन्देमातरम्' गीत भी शामिल किया जाना चाहिये । हमारा देश से शत्रु देशों से घिरा हुआ है । हमारे जवानों तथा युवकों में वह भावना फिर से जागृत की जानी चाहिये । पिछले बीस वर्षों में नेताजी की उपेक्षा की गई है । उनके यशस्वी कार्य को जानबूझ कर छोटा करके दिखाया गया है । हमें नेताजी के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिये अन्यथा हमारी भावी सन्तानें हमसे घृणा ही नहीं करेंगी अपितु हमारी निन्दा भी करेंगी ।

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) ; क्या इस देश में फैली इस भावना को, जो ठीक ही मालूम होती है, ध्यान में रखते हुए कि शासक दल ने पिछले 20 वर्षों से सुभाष-चन्द्र बोस के प्रति कुछ उपेक्षा का रवैया अपनाया है, मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम में सुभाष चन्द्र बोस की आवाज तथा 'वन्दे मादरम्' गीत शामिल किया जायेगा ।

श्री नाथपाई : विजय चौक में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भी एक मूर्ति स्थापित की जा सकती है । इस समय जिस स्थान पर सम्राट जार्ज पंचम की मूर्ति है उस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi–Sadar) : Our countrymen as well as foreigners come to see this 'Sound and Light' spectacle at the Red Fort, Delhi. Such a programme should therefore reflect the true picture of the history of our country. I appreciate the idea of having such a programme but political considerations should be kept out of such programmes. It seems that political considerations have weighed in the finalisation of this sound and light spectacle at the Red Fort. The memory of revolutionaries who had spent major part of their life as prisoner in the Red Fort during the struggle for freedom is not being depicted in the Red Fort. The hon'ble Minister should give correct information about Netaji also. Similarly there is a Kaurvas and pandavas Fort and Gurdwara built in the memory of Guru Tegh Bahadur. I want to know whether Government is considering to carry out same programme at these places also. Many foreigners visit these places in order to know the facts about the Indian history. The people of this country will get inspiration of selfless service and sacrifice if these places are developed.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We are proud of Netaji. Sixty thousand brave soldiers of Haryana joined Indian National Army and lost their lives under the some flag. We remember Netaji in the capacity of a leader, General and a f ghter He inspired people of this country. Therefore the memory of Netaji alongwith brave soldiers of Haryana should be depicted. Similarly the memory of Maharaja Surajmal Jowar Singh of Haryana should also be depicted who attacked Red Fort twice and occupied it.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : भारत के स्वतन्त्रता सम्बन्धी आन्दोलन का जो भी कोई इतिहास लिखेगा यदि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा किये गये वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख नहीं करता तो उसे अच्छा इतिहास लेखक नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस महानुभाव ने यह पाण्डुलिपि लिखी है उसने कुछ राजनीतिक कारणों से इतिहास के इस भाग की अवहेलना की है । मन्त्री महोदय को इस बात की जांच करवानी चाहिये कि इस पाण्डुलिपि में इस महत्वपूर्ण भाग को क्यों छोड़ा गया । वह एक महान देशभक्त थे । वन्दे मातरम् और सुभाष चन्द्र बोस की ध्वनि, आवाज-दिल्ली चलो को इस पाण्डुलिपि में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये । मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों को कोणार्कपुरी, भुवनेश्वर जैसे स्थानों पर भी आरम्भ करने के बारे में वह विचार करेंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : It has been practice of the ruling party that no mention is made in the history about the persons who were unable to form the Government. The hon'ble Minister should clearly say whether or not it is proper to inclu-

de Vande Matram ? It has also been stated that Marching Song of I. N. A. has not been properly recorded and therefore removed from the script. The Government should take immediate steps to correct the mistake and include it in the script. I would also suggest that this programme should be named in Hindi or Sanskrit instead of a foreign language.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस कार्यक्रम से भारत का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संसार के सामने आयेगा। इसलिये इस कार्यक्रम में भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का सही रूप परिलक्षित होना चाहिये। बिना सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिये भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन की बात करना बिल्कुल अनुचित होगा। इसलिये सुभाष चन्द्र बोस और महात्मा गांधी का नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिये नहीं तो यह कार्यक्रम अधूरा ही समझा जायेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सुभाषचन्द्र बोस ने जो वीरतापूर्ण कार्य किये हैं, उनका इस कार्यक्रम में उल्लेख तक नहीं किया गया। क्या मन्त्री महोदय वर्तमान कार्यक्रम को तब तक जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे जब तक इसका कोई ऐसा पुनरीक्षित संस्करण नहीं तैयार कर लिया जाता जिसमें स्वतन्त्रता आन्दोलन का वास्तविक विवरण दिया गया हो ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Shri Lal Bahadur Shastri had declared on 15th August, 1965 from the ramparts of the Red Fort that peace will be met with peace and force with force. I want that these words of Shri Lal Bahadur Shastri should definitely be included in this programme.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : सर्व प्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का हिन्दी नाम प्रकाश-ध्वनि है। इस कार्यक्रम में कोई अभिनेता नहीं होते और इसमें किसी आन्दोलन का भी उल्लेख नहीं है। यह कार्यक्रम किसी स्मारक के बारे में आयोजित किया गया है। इसलिये यह आवश्यक है कि जो कुछ इस कार्यक्रम में दिखाया जाये वह उस स्मारक से सम्बन्धित हो। यह 'प्रकाश ध्वनि' कार्यक्रम स्वतन्त्रता आन्दोलन का नहीं हैं। नहीं तो स्वतन्त्रता आन्दोलन तो बहुत विस्तृत है। इसलिये यह सम्भव है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलू इस कार्यक्रम में सम्मिलित न किये गये हों क्योंकि लाल किले के साथ उनका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

इस कार्यक्रम का एक बार पुनरीक्षण हो चुका है। अब फिर इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है। अगले वर्ष इसका नवीन संस्करण प्राप्त हो जायेगा क्योंकि इसमें तकनीकी काम काफी करना पड़ता है।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान नेताजी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, उनके बारे में दो मत नहीं हो सकते। यह ठीक नहीं है कि उनका उल्लेख नहीं किया गया। बल्कि इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आजाद हिन्द फौज उन्हीं के नेतृत्व में संगठित हुई। परन्तु उनकी आवाज को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि उनकी आवाज के रिकार्ड प्राप्त हो सकें जो इस सारे कार्यक्रम में जोड़ी जा सके तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा और उसे कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहूंगा। जहां तक 'मार्चिंग सांग' कदम कदम बढ़ाये जाने का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि इसकी रिकार्डिंग ठीक न होने के कारण, इसे सम्मिलित नहीं किया जा सका। हम इसकी नई रिकार्डिंग प्राप्त करके इसे निश्चय ही सम्मिलित करेंगे। मैं

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से तथा अन्य संस्थाओं से कहूंगा कि यदि सम्भव हो तो कुछ ऐसे रिकार्ड प्राप्त करने का प्रयत्न करें जो वास्तव में उपयुक्त हों ओर कार्यक्रम में सम्मिलित किये जा सकें।

जहां तक 'वन्दे मातरम्' का सम्बन्ध है, यह केवल राष्ट्रीय गीतों में से एक ही नहीं है बल्कि इससे देश को एक नया जीवन और नयी आशा दी थी। इसी मन्त्र को पढ़ते पढ़ते हजारों लोग जेल गये थे। मैं यहां तक कह सकता हूं कि 'वन्दे मातरम्' के बिना भारत भारत नहीं है क्योंकि यह उसी मन्त्र की शक्ति है जिसने देश में एक नई जागृति ला दी थी। निश्चय ही इस नये कार्यक्रम में इसे सम्मिलित करना वांछनीय है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि इसे कैसे और कहां सम्मिलित किया जायेगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से वन्दे मातरम् को सम्मिलित करने के लिये विशिष्ट प्रयत्न करूंगा। कई वीरों का उल्लेख किया गया है जैसे भरतपुर के महाराजा सूरजमल का नाम में लिया गया है। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों से आकर महान वीरों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। परन्तु दुर्भाग्य से हम सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सकते। फिर प्रकाश ध्वनि पर काफी खर्च होता है। इसकी लागत कम से कम 15 लाख है जिसमें से तीन से चार लाख की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि एक लाख तो पुनरीक्षण पर खर्च हो जाता है। फिर भी हमने भारत के अन्य भागों का भी सर्वेक्षण किया है। हमने काश्मीर में शालीमार को चुना है क्योंकि यह बहुत ही सुन्दर स्थान है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। दक्षिण में भी हमने दो तीन स्थान देखे हैं। बंगाल में भी किसी एक स्थान पर प्रकाश-ध्वनि कार्यक्रम चलाने का हमारा विचार है इस सम्बन्ध में हम सुझावों का स्वागत करेंगे।

श्री नाथपाई (राजापुर) : अजन्ता और एलोरा के बारे में क्या विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : इत दोनों में से एक पर विचार किया जा सकता है। मेरा अभीप्राय यह है कि स्थान वही होना चाहिये जहां काफी संख्या में विदेशी तथा भारतीय पर्यटक जाते रतेते हों।

लाल किले से सम्बन्धित वर्तमान पाण्डुलिपि आगामी वर्ष दोहराई जायेगी और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ आजाद हिन्द फौज का 'मार्चिग सांग' निश्चित रूप से उसमें सम्मिलित होगा। मैं स्वयं इस बात का प्रयास करूंगा कि वन्दे मातरम् भी इसमें सम्मिलित हो जाये।

जहां तक श्री लाल बहादुर शास्त्री की 15 अगस्त 1965 की घोषणा का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारा यह कार्यक्रम 1947 तक का है जब हमें स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है मेरे विचार में हम इसे 1947 से आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There should be something relating to Mougbal period and Kaurva Pandava also in this programme.

श्री स० कुन्डू : आपने पुरी और कोणार्क के विषय में कुछ नहीं बताया ।

डा० कर्ण सिंह : मैंने इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दिया है । हमारे विशेषज्ञ भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं । हम विभिन्न स्थान देखने के बाद जो कुछ हो सकेगा करेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 10 जुलाई, 1967/19 आषाढ़. 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 10th July 1967/19 Asadha 1889 (Saka)